खण्ड-337, अंक-3
सोमवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1900
(12 मार्च, 1979 ई0)

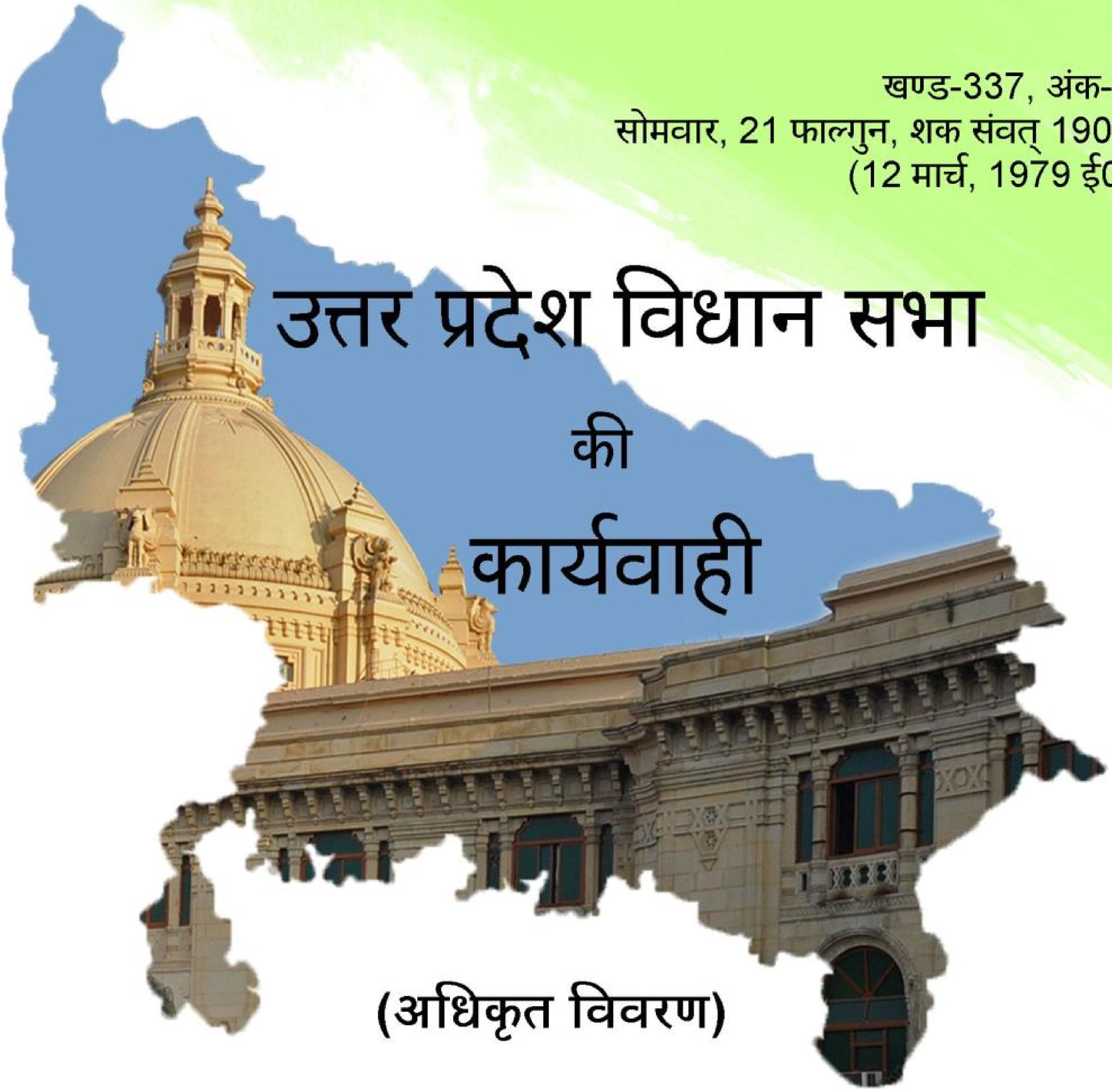

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 12 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य —395

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बडौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्णकुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहन आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ गन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहेरवार, श्री

डी० पी० [illegible]
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, (श्री जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेमसिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शास्त्री, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री

लोकसभा सचिवालय

प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभूदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजवल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगलराम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री

यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज बली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर चौधरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री

शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरीराम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री राम अधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 12 मार्च, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश को अवैध किया जाना

**1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय 1979 द्वारा आरक्षण सम्बन्धी शासकीय आदेश को अवैध घोषित किया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कर दी गई ? यदि नहीं, तो कब तक अपील दायर कर दी जायेगी ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)---

शासकीय सेवाओं में आरक्षणसम्बन्धी शासनादेश संख्या 2003/चालीस–रा0 एकी0–6 (11)/77, दिनांक 20 अगस्त, 1977, जहाँ तक उसका सम्बन्ध पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से है, को माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी, 1979 के निर्णय द्वारा अवैध घोषित किया गया है।

उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी जो स्वीकृत हो गई है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को अवैध घोषित किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको किस आधार पर अवैध घोषित किया है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, जजमेंट की कापी मेरे पास तो है लेकिन वह बहुत बड़ी है और इसके लिए निश्चित सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के खंडों के अनुसार पिछड़ी हुई जातियों के लिए सरकार को आरक्षण करने का अधिकार है और उसको वैध घोषित किया है परन्तु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की कोई अनुक्रमणिका या कोई शिड्यूल संविधान के अन्दर जिस तरह से अनुसूचित जातियों का होता है, नहीं दिया गया है तो कौन सी जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उसके लिए राज्य सरकार को कोई पैमाना बनाना होगा जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं। उसमें उन्होंने मिसाल के तौर पर लिखा है कि जैसे मुस्लिम सफाई करने वाले पिछड़ी जातियों के अन्दर नहीं आते हैं। उन्होंने विशेष रुप से लिखा है कि कुर्मी और अहीर को आरक्षित करने का क्या आधार है। सरकार ने इसका सम्प्रेक्षण नहीं किया है इसलिए हाई कोर्ट ने निर्णय किया है कि सबसे पहले इसका सम्प्रेक्षण किया जाये कि कौन सी जातियां आरक्षित की जा सकती हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन की आरक्षण सम्बन्धी नीति क्या है जिसके आधार पर आरक्षण की वह समर्थक है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपका क्या मतलब है ? स्पष्ट कहें।

श्री बनारसी दास---

संविधान में एक मात्र आधार शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन है और उसी आधार पर यह आरक्षण किया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शैक्षिक और सामाजिक आधार की कोई कसौटी बनानी चाहिए थी जिसके आधार पर प्रत्येक जाति को नापना चाहिए था। यह उसका आधार है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

पिछड़ी जातियों में क्या सरकार मुस्लिम तेली और थवई (राजगीर) जातियों को भी सम्मिलित करने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे चुका हूं कि कोई भी जाति जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है उसको पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है इन जातियों पर भी विचार किया जा सकता है। इनको देख लेंगे कि यह आ सकती हैं या नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान भारत के उप प्रधान मंत्री (प्रथम), श्री चरण सिंह के उस वक्तव्य की ओर गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिये। उनका यह वक्तव्य 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश जनता विधान मंडल दल की बैठक में हुआ है और जो कानपुर के एक दैनिक पत्र में भी छपा है? (व्यवधान) क्या मुख्य मंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी के निर्देश पर विचार कर इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे? (व्यवधान)

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

जनता पार्टी के अन्दर यदि किसी नेता ने कोई बयान दिया है तो क्या उसे यहाँ चर्चा का विषय बनाया जा सकता है?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

चौधरी चरण सिंह भारत के उप प्रधान मंत्री भी हैं, जो प्रश्न पूछा गया है उसका जबाव आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

अगर वक्तव्य पर सवाल होंगे तो कार्यवाही कैसे चल सकती है?

श्री बनारसी दास—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह जी की कोई राय उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है जो सरकार के लिये मान्य नहीं है। सरकार संविधान के अनुसार उसमें प्रदत्त जो अधिकार हैं, उसके अनुसार कार्य करने के लिये कटिबद्ध है। उनका यह कथन कि आर्थिक आधार हो, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के निश्चित करने के पैमाने के रूप में तो आर्थिक कारण भी सामाजिक और शैक्षिक योग्यता को नापने का हो सकता है। इसलिए हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को बहाल रखा, तो सरकार यह विचार करेगी कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियाँ कौन हैं और उसका निर्णय करने के लिए एक मापदण्ड कि शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन क्या है, नापने का, आर्थिक भी हो सकता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं, क्या उनके आधार पर जो संविधान में व्यवस्था है कि 10 साल बाद सर्वेक्षण कराया जाय, तो क्या मुख्य मंत्री जी का इस सरकार का भार सम्भालने के बाद यह विचार बन गया है कि वह पुनःसर्वेक्षण करायेंगे और फिर उच्च न्यायालय के मुताबिक अपने आदेश में संशोधन करेंगे?

श्री बनारसी दास—

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि पिछड़ी हुई जाति की सूची बनाने के पहले कोई सम्प्रेक्षण नहीं किया गया, इसलिए उनका आदेश है, पहले सम्प्रेक्षण किया जाय और वह केवल दो जातियों तक सीमित था। लेकिन इसके विरुद्ध प्रदेशीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।

(श्री चेतराम गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---
समान अधिकार दिया जाय प्रश्न करने का भी।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---
माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संतोष हुआ। क्या सरकार कोई पैमाना निश्चित करेगी शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि के अलावा? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर भी ध्यान देंगे कि उस जाति को, जिसको पिछड़ी जाति में शामिल कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में उनका अनुपात क्या है और कितना है?

श्री बनारसी दास—
यह जो कहा गया कि क्या पैमाना हो, शैक्षिक और सामाजिक बड़ा विस्तृत शब्द है। सामाजिक क्या है, उसके लिए बहुत सी चीजें देखना होगा, हो सकता है आर्थिक हो सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व क्या है, शिक्षा में उनका क्या अनुपात है। तो इसके लिए कोई इक्झास्टिव लिस्ट इस वक्त नहीं दे सकता हूं। इस समय अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तब तय करेंगे कि क्या-क्या पैमाना हो सकता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---
क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की धारा 340 के अन्तर्गत और आर्टिकिल 15, उपखण्ड (4) और आर्टिकिल 16, उपखंड (4) के अनुसार शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन को आधार मानकर बात कही गयी है और जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार 25 से 35 प्रतिशत का आरक्षण किया जाना चाहिए। क्या प्रदेशीय सरकार इसको 15 प्रतिशत से बढ़ाकर और अधिक करने की घोषणा करेगी?

श्री बनारसी दास—
श्रीमन्, प्रश्न था कि क्या आरक्षण किया गया है, तो मैंने उत्तर दिया कि आरक्षण किया गया है और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं किया जा सकता इसलिए प्रदेशीय सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, अपंग लोग और भूतपूर्व सैनिक उन सबको जो आरक्षण है वह कुल मिलाकर 50 फीसदी के लगभग है और वह उससे बढ़ाया नहीं जा सकता है। माननीय वर्मा जी ने जो सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही उस पर पुनः विचार किया जा सकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--
क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अगर राज्य सरकार कोई संशोधित प्रपत्र जारी करेगी, तो वह यह फैसला होने के बाद। काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 120 पिछड़ी जातियां हैं और वर्तमान शासन के अनुसार 58 हैं, तो क्या इसको बढ़ाकर 120 करने की घोषणा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—
मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आरक्षण की जो पूर्व निर्धारित नीति है, जिसको माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, तो इस बीच में क्या आरक्षण की जो पूर्व निर्धारित नीति है वह चलती रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उसमें कोई परिवर्तन किया जायेगा?

श्री बनारसी दास—

यह मैं पहले कह चुका हूं कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को पूर्णतया अवैध नहीं घोषित किया है। बल्कि उसने कुछ जातियों को इस आधार पर कि उनका कोई आधार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है इसलिए नीति में परिवर्तन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आरक्षण की नीति है यह आर्थिक आधार पर करने की कृपा करेंगे और पदोन्नति योग्यता और सीनियारिटी के आधार पर करेंगे तथा पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का जो सवाल है वह बड़ा विस्तृत है और इसलिए हाईकोर्ट ने भी इसको रूल-आउट किया है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को निर्धारित करने के लिए कि आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन का आधार क्या है, सदन की कोई समिति बनाकर कोई राय जाहिर करने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

यह प्रश्न अभी सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है। जब सरकार इसका निर्णय करने के लिये कोई सम्प्रेक्षण करने का निर्णय करेगी तब इस बात पर भी विचार विचार करेगी कि सदन की कमेटी हो या विशेषज्ञों की कमेटी हो या विशेषज्ञों और सदन, दोनों लोगों की मिली जुली कमेटी हो। जब निर्णय नहीं होता तब तक कमेटी के बनाने पर विचार करना मुमकिन नहीं है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-संघ के स्वरूप के परिवर्तन पर विचार

**2—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-संघ को समाप्त होने का प्रश्न अथवा उनके वर्तमान स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र-संघ के वर्तमान स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-संघ नहीं है। अतः उनके स्वरूप के परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, क्या सरकार छात्रसंघों के गठन से सिद्धान्ततः सहमत है ? यदि हां, तो वे कौन से प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर वर्तमान स्वरूप को सरकार परिवर्तित करने पर विचार कर रही है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, छात्रसंघों के स्वरूप के विषय में बहुत दिनों से शासन के सामने विचार उपस्थित किया जाता रहा। गत 26 और 27 जून, 1978 को विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की बैठक राजभवन में की गयी। उस मीटिंग में कुछ संस्तुतियां की गयी थीं, जो मंत्रि-परिषद् के सामने आयीं। मंत्रि-परिषद् ने अपनी कैबिनेट सब-कमेटी बनायी जिसमें

तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त की अध्यक्षता में 7 मंत्री--गृह मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, संस्थागत वित्त मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री -उस कमेटी में थे। लगातार इस कमेटी में चर्चा परिचर्चा हुई लेकिन कोई अंतिम निर्णय इस संदर्भ में नहीं लिया गया। इसलिये यह प्रश्न जहां था वैसे ही है। अब पुनः इस दिशा में नयी मंत्रिपरिषद् के सामने ये प्रश्न हैं। मान्यवर, माननीय विरोधी पक्ष के नेता और सदन के माननीय सदस्यों और तमाम लोगों की राय के साथ-साथ जो छात्रसंघ है उनसे भी विचार विमर्श करने के पश्चात् इस विषय में जो निर्णय होगा उसके विषय में विचार किया जायगा।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि वह कौन से कारण हैं जिससे सरकार मौजूदा स्वरूप को बदलना चाहती है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि वर्तमान स्वरूप को बदलने जा रहे हैं। एक विचार है कि जो विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था हो रही है उसमें किस प्रकार से सुधार हो ? इस विचार करने के पश्चात् उस पर निर्णय लिया

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, जमंत्री जी ने कहा कि एक कैबिनेट की सब-कमेटी बनी थी जिसमें 7 मंत्री थे। उसकी मीटिंगें होती रहीं लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सब-कमेटी थी उसमें कौन से मुद्दों पर विचार विमर्श होने के बावजूद भी एकता नहीं हुई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस विषय में तो जो उपकुलपतियों की सिफारिशें थी वह मैं आपको बता सकता हूं कि किन-किन आधार पर विचार हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि वह कौन-कौन से मुद्दे थे जिन पर सब-कमेटी में विचार हुआ और निर्णय नहीं लिया जा सका ?

श्री उपाध्यक्ष--

कौन-कौन से मुद्दे थे, अगर मालूम हो तो बता दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैंने बताया कि मंत्रि-परिषद् की कमेटी की कोई भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। केवल उन संस्तुतियों को हम बता सकते हैं जिनके आधार पर कमेटी का गठन किया गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, वह रिपोर्ट न हो लेकिन उस समिति में कोई कार्यवाही लिखी गयी होगी तो क्या मंत्री जी ने उसका अवलोकन किया है ? यदि हाँ, तो उसमें कौन-कौन से मुद्दे थे जिन पर सहमति नहीं हो पायी ?

श्री बनारसी दास--

जब कोई सब कैबिनेट की रिपोर्ट नहीं है और उपसमिति भी नहीं है तो कोई सूचना देना उचित नहीं होगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि उप समिति ने किन-किन विषयों पर विचार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि छात्रसंघ के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय या न किया जाय इस मुद्दे पर उस समिति में विचार हुआ कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी बता चुके हैं कि वह पत्रावली उनके पास इस समय नहीं है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मैं जानना चाहता हूं कि समिति का गठन किन मुद्दों पर विचार करने के लिये हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह बता चुके हैं।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छात्र संघों के स्वरूप के पुनर्गठन के सिलसिले में, उसकी सदस्यता ऐच्छिक हो या अनिवार्य हो, इस विषय में क्या शासन विचार कर रहा है और विचार करते समय 1966 में जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके पहले डा0 राधा कृष्णन की जो रिपोर्ट थी तथा गत वर्ष छात्र संघों के स्वरूप के बारे में जो सम्मेलन तिलक हाल में हुआ था, उसकी संस्तुतियों को क्या शासन ध्यान में रखेगा ?

श्री शिवानन्द नौटियाल---

मैंने पहले निवेदन किया कि इस संबंध में विचार किया जा रहा है और जो सब-कैबिनेट के सामने विचार आया था उसमें 26--27 जून, 1978 को जो वाइस चांसलर की मीटिंग हुई और उसकी जो संस्तुतियां थीं, इस समिति ने उन पर विचार किया था। इसलिए अभी ऐच्छिक और अनैच्छिक का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या मंत्री जी कोई नई कमेटी छात्र संघ के स्वरूप पर विचार करने के लिये गठित करेंगे और यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर मंत्री जी कह चुके हैं कि इस माननीय सदन के कुछ लोग और कुछ परिषद् के लोग होंगे।

श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या मंत्री जी ने घोषणा किया है कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय का सत्र प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि हां, तो पहले छात्र संघ के स्वरूप पर विचार नहीं हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि छात्र संघ के स्वरूप के विषय में किन-किन मुद्दों पर जल्दी-से-जल्दी घोषणा कर देंगे ?

श्री बनारसी दास---

पहले मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति कुलपतियों की संस्तुतियों पर विचार करने के लिये बनायी गयी थी। अब पुनः एक उप समिति उन सब संस्तुतियों पर विचार करने के लिये गठित की जायेगी।

जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव की मांग

**3---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों तथा गांव सभाओं के चुनावों को कराने हेतु सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उक्त संस्थाओं में जनता द्वारा चुनी गई कमेटियां प्रदेश में कब से विधिवत् कार्य करना शुरू कर देंगी ? यदि नहीं, तो इस बारे में शीघ्र निर्णय करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है और यह चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)---

जिला परिषदों एवं क्षेत्र पंचायतों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव के उपरान्त ही होते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारियाँ पूरी प्रगति पर है और चुनाव की तिथियाँ शीघ्र ही घोषित कर दी जायेंगी। चुनाव के उपरान्त उक्त संस्थाओं में जनता द्वारा चुनी गयी कमेटियाँ प्रदेश में विधिवत् रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। ग्राम पंचायतों के चुनाव उनके वर्तमान कार्यकाल अर्थात् दिनांक 14-6-79 से पूर्व सम्पन्न करा दिये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गांव पंचायतों के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में क्या-क्या काम अब तक हो चुके हैं और तत्काल इस चुनाव को कराने में क्या कठिनाई है तथा चुनाव की तिथि अब तक घोषित कर देंगे ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, गांव पंचायतों की जो मतदाता सूची है, वह एक दो दिनों में प्रकाशित कर दी जायेगी। इसके बाद 15 दिन निरीक्षण के लिये होंगे। फिर नयी मतदाता सूची प्रकाशित होगी और उसके बाद चुनाव की बात हो पावेगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि अशोक मेहता समिति ने इस संबंध में गांव पंचायतों, विकास खण्डों तथा जिला परिषदों का गठन किस प्रकार से किया जाय इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं ? अगर ये सुझाव दिये हैं तो उस पर इस प्रदेश की सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया होगा ? तो क्या आपने अंतिम निर्णय लिया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, गांव पंचायतों के चुनाव के संबंध में अशोक मेहता कमेटी के अनुसार कोई रोक-टोक हो, ऐसी बात नहीं। गांव पंचायतों के चुनाव तो होंगे ही। अशोक मेहता कमेटी का विशेष संबंध तो क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों से है। लेकिन उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट की अग्रिम मीटिंग में विचार होगा।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उक्त कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पंचायतों का दायरा इस प्रकार होगा जो उत्तर प्रदेश के दायरे से बिल्कुल भिन्न है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों सभी के चुनाव सीधे आम मतदाताओं के द्वारा कराने पर क्या सरकार अब भी अटल है या अशोक मेहता कमेटी के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करने की सोची है ? अगर परिवर्तन करने की सोची है तो वह कब तक फाइनल फैसला ले लेंगे ? अगर पहले कर लिया है तो गाँव पंचायतों के चुनाव कराने में क्या बाधा है ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, उसमें तो जैसा कि मैंने कहा, उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर मन्त्रि-परिषद् में जो निर्णय होगा, तदनुसार कार्यवाही कर लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो मन्त्रि-मंडल के पुराने सदस्य रहे हैं और फिर उनको यही विभाग मिल गया है मैं जानना चाहता हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को कब प्राप्त हुई और अब तक उस पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन प्रश्न केवल चुनाव के बारे में है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इस पर सरकार विचार करेगी, तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और अब तक उस पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट दो महीने पूर्व मिली। 15 फरवरी के बाद सरकार में कुछ खिलाफत और उथल-पुथल हो गया और महीने भर का समय लगा। अब मन्त्रि-परिषद् बैठेगी तो उस पर विचार होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक इनका चुनाव विधियत् नहीं हो जाता है, सरकार की तरफ से जिला-परिषदों, क्षेत्रीय विकास समितियों के प्रमुखों के मनोनयन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद---

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सभापतियों का चुनाव कराये जाने से पहले जो गांव सभाओं का वर्तमान स्वरूप है, क्षेत्रफल है उसे भी प्रारम्भिक यूनिट माना गया है और उसी के आधार पर चुनाव होगा अथवा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब आ चुका है।

श्री राजनाथ सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं की जो वर्तमान यूनिट है उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया था कि मतदाता सूची प्रकाशित होगी उस पर आब्जेक्शन होंगे। फिर मतदाता सूची पुनः प्रकाशित होगी। उसके बाद गाँव सभाओं का डिमारकेशन होगा उसके बाद चुनाव होगा।

श्री राजनाथ सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब तक जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों का चुनाव विधिवत् नहीं हो जाते तब तक सरकार की ओर से जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय विकास समितियों के प्रमुखों के मनोनयन का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद---

इस प्रकार का प्रश्न तो एक माननीय सदस्य ने बीच में किया था और मैंने उत्तर दिया कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इस समय जो जिला परिषदों, क्षेत्रीय विकास समितियों तथा ग्राम सभाओं के चुनाव की पद्धति है, उसमें कुछ परिवर्तन करने के सुझाव उस कमेटी ने दिया है ? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कई मर्तबा बता चुके हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

क्या माननीय मंत्री जी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जमुना प्रसाद---

अगर इजाजत दी जायेगी तो रखी जा सकती है।

वाराणसी जिले की महाराज ट्रैवेल्स की बस की नैपाल में कथित दुर्घटना

**4---श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि 27 फरवरी, 1979 ई0 को वाराणसी महाराज ट्रैवल्स की बस नम्बर यू0 पी0 डी0 7124 नैपाल में दुर्घटना ग्रस्त हो गई ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि मृतकों की संख्या क्या है ? बस को कब फिटनेस दिया गया था तथा ट्रैवल्स परमिट नियमानुसार दिया गया अथवा नहीं ?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार महाराजा ट्रैवल्स वाराणसी की बस संख्या यू0 टी0 टी0 7124, दिनांक 27 फरवरी, 1979 को नैपाल में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अत: मृतकों की संख्या बताने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत बस का स्वस्थता प्रमाण-पत्र दिनांक 2-11-77 से 1-11-79 तक वैध है। उक्त बस को संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय से नैपाल यात्रा के लिए कोई परिमिट जारी नहीं किया गया था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बस गयी थी उसमें एक फर्म के कर्मचारी गये थे और यह फर्म बराबर अपने कर्मचारियों को नैपाल भेजकर तस्करी का माल मंगवाती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, उस बस से 60 यात्री गये थे और उन 60 यात्रियों में कौन-कौन किस विभाग से संबंधित था या किस-किस स्थान का था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। न कोई जानकारी ली जाती है। व्यक्ति टिकट खरीदता है, उसको टिकट दे दिया जाता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बनारस के वरिष्ठ पुलिस कप्तान ने बस दुर्घटना की पुष्टि की थी सार्वजनिक रूप से ? बनारस के ज्येष्ठ पुलिस कप्तान ने सार्वजनिक रूप से बस के उलटने की पुष्टि की थी ? अगर हां, तो इस गैर जिम्मेदारी का बयान वहां के पुलिस कप्तान ने क्यों दिया ? क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कोई जानकारी देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, यह जो प्रश्नगत अंश है इसके संबंध में मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई बल्कि जिस विभाग से मैं संबंधित हूं उस विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में यह खण्डन भी समाचार पत्रों में भेज दिया गया था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। शतरुद्र प्रकाश जी ने यह जो प्रश्न उठाया है हो सकता है कि वहां के पुलिस कप्तान ने किसी दूसरी बस दुर्घटना की बात की हो। माननीय विधायक जी अगर मुझे लिखकर देंगे तो मैं निश्चित रूप से इसकी जानकारी करूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, उसी बस के बारे में वहां के पुलिस कप्तान ने बस के उलटने की पुष्टि की थी। एक बयान बनारस का पुलिस कप्तान देता है और बनारस का जिलाधिकारी उसकी पुष्टि

करता है और इस तरह लगातार तीन दिन तक इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहाँ के पुलिस कप्तान ने क्यों ऐसा बयान दिया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)---

मान्यवर, श्री श्याम देव इस समय इस सदन में नहीं हैं फिर भी आप इस प्रश्न को चला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो चल ही गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, श्याम देव जी उपस्थित नहीं थे और चर्चा शुरू हुई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं है और किसी ने यह भी नहीं कहा कि इस प्रश्न में मेरा इंटरेस्ट है तो यह प्रश्न अन चर्चा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे शंका हुई कि श्याम देव जी उठ खड़े हुए हैं इसलिये मैंने इजाजत दी। यह भ्रमवश हो गया। ऐसा हो जाता है, यह कोई खास बात नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड परतावर एवं घुघली में मण्डक परियोजना के अन्तर्गत नालियों की खोदाई एवं फसल को क्षति

*1---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के परतावर एवं घुघली विकास खण्ड में हजारों एकड़ भूमि मण्डक परियोजना विभाग के कर्मचारियों द्वारा चकरोड ड्रेनेज तथा नालियों के लिए खोदी जा रही है, जिसमें रबी की फसल बोई गयी है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए शासन का कोई आदेश है ? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कौन सी कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी हां, गोरखपुर जिले के कथित विकास खण्डों में 4308 एकड़ भूमि परियोजना के कर्मचारियों द्वारा चकरोड, ड्रेनेज तथा नालियां जिला भूमि एवं जिला संरक्षण समिति तथा सम्बन्धित कृषकों द्वारा गठित पांच सदस्यीय कार्य समिति जिसे 'चक समिति' कहते हैं, के अनुमोदन से खोदी गयी हैं। प्रक्षेत्र विकास का यह कार्य "उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963" के अधीन सम्पन्न कराया गया है और कोई कर्मचारी इसके लिये दोषी नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप देखें यह प्रश्न जो है, यह 9 मार्च, 1978 को दिया गया था मान्यवर। आज एक साल पूरा हो गया और 3 दिन और हो गये एक साल 3 दिन के बाद उत्तर आता है मान्यवर, और मैंने क्षेत्र में जाकर देखा कि फसलों से लहलहाते हुए खेत खोदे जा रहे थे। हजारों एकड़ जमीन जिसमें फसल खड़ी हुई थी उसको खोद डाला गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपने अधिकारियों को कोई ऐसा आदेश दिया हुआ है कि खड़ी हुई फसल को काटकर कैनाल या सड़क बनाई जायें ? इस संबंध में कोई उत्तर नहीं आया है।

क्या इस तरह से निर्देश सरकार ने अधिकारियों को दिये थे कि जिसके खेत में फसल खड़ी हुई हो उसकी फसल काट कर [illegible] या नहर बनाने की कार्यवाही की जाय ? यदि नहीं, तो जिन अधिकारियों ने ऐसी कार्यवाही की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में इस तरह के शासन के आदेश गये हों कि खड़ी हुई फसल को काट कर मिट्टी खोदी जाय। यह भूमि संरक्षण अधिनियम . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी के कार्य को हल्का कर रहे हैं। उत्तर उन्हीं से आना चाहिए।

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, यह योजना गन्डक नहर कमान्ड एरिया के अन्तर्गत आती है। उस क्षेत्र के किसानों की राय से चक समिति के निर्णय के अनुसार भूमि खोदी गयी थी। खेत चकबन्दी समिति द्वारा निर्धारित है। इसलिए शासन की ओर से वहां जो मशीनरी है उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वहां खेतों पर नाजायज कब्जा किये हुए थे इसलिए कोई गलत काम करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या मंत्री जी ऐसे पत्र को पढ़ कर बतायेंगे कि किन्हें किसानों के खेत एक्वायर कर लिये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद---

इस पर सूचना की आवश्यकता है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

इस तरह का जो नुकसान होता है उस अधिनियम में [illegible] जिसका का जिक्र किया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी उस अधिनियम में संशोधन लाने की कृपा करेंगे जिससे फसलों को नुकसान न पहुंचे ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनकी फसल खड़ी हुई थी उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नहर बनाने के आदेश देने से पूर्व इस नाजायज कब्जे की रिपोर्ट शासन को मिल चुकी थी ? यदि मिल चुकी थी, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा जो नाजायज कब्जे किये थे भूमि पर उस भूमि का स्वामित्व किसका था ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि चक समिति किसानों की सलाह से तय करती है कि कौन सी भूमि किस कार्य के लिए ली जाय। जो भूमि ली गयी है उस पर नाजायज कब्जा था और नाजायज कब्जे को हटाना शासन का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए उस पर कार्यवाही हुई।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि भूमि का स्वामित्व किस का था और दूसरा, भूमि में जो नाजायज कब्जा किये हुए थे उनको बेदखल करने की, जुर्माना करने की कोई कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप सप्लीमेन्टरी से एवाइड हो रहे हैं, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

चीनी मिलों के क्षेत्र में छोटे कृषकों की गन्ना आपूर्ति का कोटा

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में 1 फरवरी, 1978 तक छोटे काश्तकारों से गन्ना आपूर्ति का कोटा पूरा कर दिया गया था? जिन मिलों में उक्त तिथि तक ऐसा नहीं किया गया, उनके सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

प्रदेश की निम्न 11 चीनी मिलों में निर्दिष्ट तिथि तक छोटे काश्तकारों से गन्ना आपूर्ति कोटा पूरा कर दिया गया था:—

1—जसवन्त
2—अनूपशहर
3—बुढ़वल
4—औराई
5—खड्डा
6—छितौनी
7—लक्ष्मीगंज
8—रामकोला (के)
9—पडरौना
10—रसड़ा
11—सठियाँव

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के क्षेत्र में छोटे कृषकों की कुल संख्या 9,82,102 है उसमें से 5,63,602 कृषकों को गन्ना आपूर्ति का कोटा उक्त तिथि तक पूरा हो चुका था। छोटे काश्तकारों को प्राथमिकता दिये जाने के आदेश थे। सम्पूर्ण सट्टा सभी मिलों में उक्त तिथि तक समाप्त हो जाएं, ऐसे आदेश नहीं थे। अतः उन चीनी मिलों, जिन्होंने उक्त छोटे काश्तकारों को गन्ना आपूर्ति का कोटा पूरा नहीं किया है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

जबाव में यह कहा गया है कि समस्त सट्टा सभी मिलों में उक्त तिथि तक समाप्त हो जाय ऐसे आदेश नहीं थे, तो पहली बात सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी क्या यह सही है कि हरदोई जिले में चीनी औद्योगिक संघ के सचिव को गत वर्ष केवल इसी आरोप में सस्पेंड किया गया था कि उसने छोटे काश्तकारों से प्राथमिकता के आधार पर गन्ने की आपूर्ति नहीं करायी थी और अगर हरदोई में ऐसा किया गया था तो दूसरे जिलों में गन्ना आपूर्ति के आधार पर यह नहीं किया गया और यदि किया गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शिव मंगल सिंह—

जब कैलेंडर बनाया जाता है तो उसमें आमतौर से यह होता है कि पूर्वी क्षेत्र में 100 दिन में तथा 120 दिन में मध्य क्षेत्र में पूरा कर दिया जाय। बीच-बीच में मिलें बन्द भी हो सकती हैं, ब्रेकडाउन हो सकते हैं, रिपेयर्स की आवश्यकता होती है इसलिये कार्यवाही करने की बात नहीं होती है। जहाँ तक हरदोई का सम्बन्ध है वहाँ कुछ अधिकारियों ने गलत ढंग के कैलेंडर को बनाया था और छोटे काश्तकारों का नाम भी छोड़ दिया था जिसके कारण उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें आई थीं। लिहाजा जो दोषी पाये गये

कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी जैसे श्री गौतम, सचिव निलम्बित हैं, बनारसी दास यादव निलम्बित हैं। ये दोनों सचिव हैं। रामानन्द पाठक, सहायक सचिव को उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया। छोटे लाल, गन्ना विकास निरीक्षक, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है। गन्ना विकास निरीक्षक ए० के० तिवारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है। एल० बी० सिंह के खिलाफ कार्यवाही करके उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

हरदोई जिले में गन्ना आपूर्ति न किये जाने के सिलसिले में जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की, लेकिन साथ ही अपने उत्तर में यह भी कहा है कि उक्त तिथि तक गन्ना आपूर्ति का कोटा पूरा न होने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। तो दोनों उत्तर में यह विरोधाभास क्यों है और फिर अगर एक जिले में उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की तो उसी आधार पर दूसरे जिलों में कार्यवाही न करने का प्रश्न क्यों नहीं उठता है? तो क्या यह सही नहीं है कि हरदोई जिले के इन कर्मचारियों के विरुद्ध किसी द्वेषवश कार्यवाही की गई है और आधार सिर्फ छोटे काश्तकारों को बनाया गया है?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि सर्वे कराने में कुछ गड़बड़ी हुई .....

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपके जवाब से हमारा काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, वही मैं कह रहा हूं। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की थी उनको मुअत्तल किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

उन्होंने छोटे काश्तकारों के सम्बन्ध में बताया है। इस तरह के कर्मचारी दूसरे जिलों में भी हो सकते हैं।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, कोटे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि कार्यवाही उस पर की गई कि उन्होंने रजिस्टर पर गलत ढंग से एन्ट्रीज किया था।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)--

हमारे देवरिया जिले के छोटे बड़े काश्तकार तबाह हो गये हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--

बगैर बुलाये आप बोल रहे हैं। आप कृपया बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ तो यह आदेश दिये गये थे कि छोटे काश्तकारों का कोटा अमुक तिथि तक पूरा हो जाना चाहिए और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि कोटा पूरा नहीं किया गया और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने आदेश दिए थे कि किसी तिथि तक छोटे काश्तकारों के कोटों की आपूर्ति हो जानी चाहिए और यदि वह मिल नहीं करती है, तो क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की जायेगी?

श्री शिव मंगल सिंह--

जहाँ तक आदेश का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह आदेश दिये गये हैं कि 100 दिन के अन्दर पूर्वी और 120 दिन के अन्दर मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपूर्ति

हो सकेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ियां ऐसी थीं जिससे यह सम्भव न हो सका। जहाँ तक प्रश्नकर्त्ता का सवाल है 1 फरवरी, 1978 तक 100 दिन भी नहीं होते हैं, तो कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम नरेश पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देवरिया जिले में आज छोटे बड़े सभी काश्तकार तबाह हैं और वहाँ बड़ी अव्यवस्था है। खेतों में गन्ना खड़ा है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस इलाके में रि-सर्वे कराने का आश्वासन सदन को देंगे?

श्री शिव मंगल सिंह—

इस समय रि-सर्वे का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरगाँव और गोला मिल क्षेत्रों में छोटे काश्तकारों का बकाया रह गया है? क्या माननीय मंत्री जी इन मिल मालिकों को आदेश देंगे कि होली के अवसर पर वे काश्तकारों की पर्चियों का भुगतान कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।....

(घोर व्यवधान)

उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ मण्डल द्वारा जब वे कृषि अधिकारी, सीतापुर के पद पर थे, लाखों रुपयों का गोलमाल उर्वरक की ढुलाई आदि पर हुआ और जब वे उप कृषि निदेशक, शुष्क योजना राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में कार्यरत थे तब हजारों रुपयों का गोलमाल अनुदान में किया गया तथा उनका निजी ट्रैक्टर यू0 टी0 जी0 7544 द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी, लखीमपुर खीरी व लखनऊ के अन्तर्गत भूमि की समतलीकरण हेतु कार्य में लगाकर भिन्न-भिन्न नामों पर भुगतान किया गया तथा उनके कार्यकाल में तमाम नियुक्तियाँ बिना रोजगार दफ्तर के माध्यम से की गयीं? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शिव मंगल सिंह—

उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), लखनऊ (श्री ब्रह्मानन्द) के उप कृषि निदेशक, शुष्क योजना, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर तथा जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के पदों पर उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण जाँच कराई गयी। सम्प्रेक्षण रिपोर्ट से सम्बन्धित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। शिकायतों की जाँच संयुक्त कृषि निदेशक (सघन) द्वारा की जा रही है।

प्रश्न में उल्लिखित ट्रैक्टर संख्या यू0टी0जी0 7544 श्री मुरारी लाल आत्मज श्री शेर सिंह के नाम पंजीकृत है। अतः उसके उक्त अधिकारी के निजी होने का प्रश्न नहीं है।

संयुक्त कृषि निदेशक (सघन) की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सम्प्रेक्षण रिपोर्ट पर समाधानात्मक कार्यवाही के बाद शेष आपत्तियों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जायेगी।

गोंडा–अयोध्या रूट की बस में पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों से सम्बन्धित कागजात का गबन

*4—श्री फजलुलबारी (जिला गोण्डा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चेकिंग स्क्वायड, मुख्यालय लखनऊ द्वारा दिनाँक 17 अप्रैल, 1978 को चैत रामनवमी मेला के अवसर पर गोंडा–अयोध्या रूट पर बस नं0 9713 में साढ़े सत्ताईस यात्री बिना टिकट पकड़े गये और सम्बन्धित केस अन्य

[नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

कागजातों के साथ लखनऊ से गोरखपुर भेजा गया परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में कागजात गायब कर दिए गए ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हाँ। साढ़े 24 1/2 बिना टिकट सवारी पाए गए व सम्बन्धित कागजात गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचे। इस सम्बन्ध में पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है। मामले में परिवहन निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने भी जाँच की है, जिनकी रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

गोण्डा बस स्टेशन में वे-बिल का गबन एवं थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

*5---श्री फजलुल बारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 31 जनवरी, 1977 को गोण्डा बस स्टेशन से 1000 वे-बिल गायब हुए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली, नगर गोण्डा व क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर को तत्कालीन स्टेशन प्रबन्धक, गोण्डा द्वारा दिनाँक 2 फरवरी, 1977 को दी गयी और पुनः क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर के दबाव में आकर कोतवाली, गोण्डा में उनको बिलों के मिल जाने की गलत सूचना लिखी गयी जबकि उनके वे-बिलों में से कुछ वे-बिल दिनाँक 13 मई, 1978 को लखनऊ--कानपुर मार्ग पर चेकिंग स्कवाड, लखनऊ द्वारा गोण्डा डिपो की बस सं0 यू0टी0ए0 865 में पकड़े गये ? अगर हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह सत्य है कि दिनाँक 31 जनवरी, 1977 को गोण्डा डिपो के एक हजार वे-बिल गायब हो गये थे जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली गोण्डा में तत्कालीन वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, गोण्डा ने दिनाँक 2 फरवरी, 1977 को की थी और उन्होंने ही दिनाँक 23 फरवरी, 1977 को वे-बिलों के पुनः मिल जाने की गलत सूचना स्वेच्छा से, न कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर के दबाव से लिखाई थी।

यह सही है कि इन्हीं 1000 गायब हुए वे-बिलों में से 3 वे-बिल गोण्डा डिपो की बस संख्या यू0टी0ए0 865 में लखनऊ--कानपुर मार्ग पर चेकिंग स्क्वाड, लखनऊ द्वारा पकड़े गए।

सम्बन्धित परिचालक, लिपिक तथा स्टेशन प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी गोण्डा को भी आरोपित कर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उप विकास आयुक्त व जिला विकास कार्यालय, झांसी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति

*6--- श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने ऐसे कोई आदेश प्रसारित किए हैं कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नतियों में 18 प्रतिशत का कोटा आरक्षित रहेगा ? यदि हाँ, तो 20 मार्च, 1974 से अब तक कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की वर्गवार पदोन्नति झांसी जनपद में सामुदायिक विकास विभाग में की गई ? क्या ऐसी पदोन्नति के लिए कर्मचारियों ने प्रतिवेदन भी दिए ? यदि हाँ, तो उन प्रतिवेदनों पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी हाँ, झांसी जनपद में सामुदायिक विकास विभाग का उप विकास आयुक्त तथा जिला विकास कार्यालय हैं। उप विकास आयुक्त कार्यालय जनपद, झांसी में 20 मार्च, 1974 से अब तक किसी पद पर पदोन्नति नहीं की गयी। जिला विकास कार्यालय जनपद झांसी

में 20 मार्च, 1974 से अब तक की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार है —

पद नाम जिस पर पदोन्नति की गयी	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या	पदोन्नत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
1—क्षेत्र विकास अधिकारी प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (अस्थायी स्थानापन्न—4 माह के लिए)।	8	3
2—ज्येष्ठ लिपिक	4	1

उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी भी कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले के विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज में निर्माण कार्यों हेतु ईंटों की खरीद

*7—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में निर्माण कार्यों हेतु जो ईंटें सरकार द्वारा खरीदी गयीं, वे किन भट्ठों से किन दरों पर खरीदी गयीं ? क्या यह सही है कि यह ईंटें ब्लाक प्रमुख के भट्टों से मनमाने दरों पर खरीदी गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गम्भीर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में निर्माण कार्यों के लिए कुल 8 रजिस्टर्ड भट्टों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही ईंटें खरीदी गयी हैं। उक्त 8 भट्ठों में से सिर्फ एक भटठा "शंकर ईंट उद्योग, राघवपुर" ऐसा है जिसके प्रोप्राइटर एक भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख श्री राम पाल वर्मा हैं। इस भट्ठे से केवल 1,04,000 ईंटें शासन द्वारा निर्धारित दर (क्रमशः 94 रु0 व 106 रु0 प्रति हजार) से ही खरीदी गयी हैं। भट्ठों, ईंटों की संख्या, दर व कार्यों का विवरण संलग्न है। इस खरीदारी में कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में नहीं आया है, अतः जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 288 290 पर)

रिसीवरशिप एवं सरकारी नियन्त्रण में चल रही चीनी मिलों का आय-व्यय एवं लाभ हानि

*8—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर), श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर) तथा श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 से अब तक प्रदेश की कौन-कौन सी चीनी मिलें रिसीवर के अथवा सरकारी नियन्त्रण में रही हैं ? रिसीवर के अथवा सरकारी नियन्त्रण में चलने वाली इन मिलों पर क्या-क्या आय-व्यय रहा है और प्रत्येक वर्ष यह मिलें कितने-कितने लाभ और कितनी-कितनी हानि पर रहीं ? क्या इनके संचालन के सम्बन्ध में सरकार को कुछ रुपया देना पड़ा ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार ने इन चीनी मिलों में हो रही हानि को रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ? यदि हाँ, उसका क्या विवरण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1971 से अब तक रिसीवरशिप एवं सरकारी नियन्त्रण में कार्य कर रही चीनी मिलों का विवरण तालिका 'क' में दिया गया है। इन चीनी मिलों के आय-व्यय तथा लाभ एवं हानि का विवरण तालिका 'ख' † में संलग्न है। उक्त चीनी मिलों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 29.09 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया जिसमें से रिसीवरशिप के अन्तर्गत मिलों को 21.13 करोड़ व चीनी निगम के यूनिटों व नियन्त्रणाधीन मिलों को रु0 7.96 करोड़ का ऋण दिया गया। जहाँ तक इन चीनी मिलों में हो रही हानि की जाँच एवं उसे रोकने के उपाय का प्रश्न है, सरकार के सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग द्वारा एक 'टास्क फोर्स' का गठन किया गया है, जो अन्य बातों को देखने के साथ-साथ उक्त मिलों में हो रही हानि के परिहार हेतु सुझाव भी देगी।

पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धक श्री बी० पी० गर्ग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री बृज लाल का घरेलू नौकर के रूप में कथित प्रयोग

*9—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या परिवहन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (श्री बी०पी० गर्ग) अपने अधीनस्थ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (बृज लाल) को अपना घरेलू नौकर बना कर उससे अपना निजी कार्य दिन-रात लेते हैं जिसका वेतन भुगतान सरकारी कोष से होता है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

पर्यटन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

जी नहीं।

श्री गर्ग पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत नहीं थे परन्तु पर्यटन विकास निगम में निर्माण प्रबन्धक के पद पर थे। प्राप्त सूचना के अनुसार उनके साथ कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं था और न ही उनके साथ काम करने के लिए किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान निगम द्वारा किया गया। श्री बृज लाल, निगम में दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और उनके वेतन का भुगतान अवर अभियन्ता द्वारा मस्टर रोल पर उपस्थिति का प्रमाण-पत्र देने पर किया जाता रहा।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नानपारा, बहराइच में उपल वृष्टि से क्षति

*10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि राजकीय कृषि फार्म, नानपारा, जनपद बहराइच में माह अप्रैल, 1978 में उपल वृष्टि से हुई क्षति का प्रतिशत माल विभाग के कर्मचारियों से साँठ-गाँठ करके अधिक दिखाकर लाखों रुपए की फसल उपज का गोल-माल किया गया जबकि जिला कृषि अधिकारी, बहराइच एवं उप निदेशक (कृषि) फैजाबाद ने दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को मात्र एक प्रतिशत क्षति का ही आकलन किया था? यदि हाँ, तो फार्म अधीक्षक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

यह सही है कि राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नानपारा, जनपद बहराइच में माह अप्रैल, 1978 में उपल वृष्टि से गेहूँ की फसल को क्षति हुई थी। जिला कृषि अधिकारी, बहराइच ने औसत कुल क्षति 1 प्रतिशत बताई थी। उप निदेशक (कृषि), फैजाबाद ने दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को उक्त फार्म का निरीक्षण किया था किन्तु अपनी रिपोर्ट में क्षति के विषय में कोई अनुमान व्यक्त नहीं किया और राजस्व विभाग से क्षति के अनुमान की पुष्टि किये जाने हेतु निर्देशित किया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 एकड़

---

†छापी नहीं गयी।

गेहूं की खड़ी फसल में 35% क्षति तथा लगभग 10 एकड़ की फसल (गेहूं) जो कट कर खलिहान में रखी थी उसमें 10 प्रतिशत क्षति हुई। प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रक्षेत्र से हटा दिया गया है।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास एवं पूना से प्रशिक्षण प्राप्त सहकारी निरीक्षकों की नियुक्ति

*11—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सहकारी निरीक्षक मद्रास एवं पूना ट्रेनिंग कालेजों में बैंकिंग की विशेष ट्रेनिंग के लिए अब तक भेजे गए तथा उन पर औसतन प्रति निरीक्षक क्या व्यय किया गया? इनमें से कौन-कौन सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया? यदि नहीं, तो उक्त ट्रेनिंग पर भेजने का क्या औचित्य था?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

विभिन्न स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार सहकारी प्रशिक्षण कालेज मद्रास एवं पूना में 20 सहकारी निरीक्षकों जिनके नाम संलग्नक में दिए हैं, को बैंकिंग में विशेष ट्रेनिंग हेतु भेजा गया।

प्रशिक्षण केन्द्र की सूचना के अनुसार उक्त निरीक्षकों पर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अनुमानतः 370·00 रु0 प्रति निरीक्षक व्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी दिया गया।

उक्त निरीक्षकों में से 7 निरीक्षकों को जिनके नाम संलग्नक में दिए हैं, सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और एक निरीक्षक श्री मोहम्मद दीन अन्सारी को पंजाब नेशनल बैंक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया।

सहकारिता विभाग में ऋण एवं बैंकिंग योजना जो एक प्रमुख योजना है, के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त निरीक्षकों को केवल सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजना आवश्यक नहीं है। सहकारी संस्थाओं में केवल उन्हीं निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, जिनके लिए संस्थाएं माँग करती हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 291 पर)

जिला सहकारी बैंक, इलाहाबाद में सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा समाप्ति एवं सचिव के पद पर पुनर्नियुक्ति

*12—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, इलाहाबाद की शाखाओं में अगस्त, 1974 में 32 सहकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गयी थी और उन्हें पुनः फरवरी, 1977 में सेवा से निष्कासित कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अगस्त, 74 में पर्यवेक्षकों की कोई नियुक्ति जिला सहकारी बैंक लि0, इलाहाबाद की शाखाओं में नहीं की गयी थी। फरवरी, 1977 में 16 पर्यवेक्षकों की सेवाएं, जिनकी नियुक्तियाँ बिना सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अनुमोदन के 25 जुलाई, 1972 के पश्चात किन्तु अगस्त, 1974 के पूर्व अनियमित रूप से की गयी थीं, बैंक द्वारा समाप्त कर दी गयीं।

*13—श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त निष्कासित सहकारी पर्यवेक्षकों की पुनः जनवरी, 1978 में उससे छोटे पद, सचिव के पद, पर नियुक्ति कर ली गयी? यदि हाँ, तो क्या शासन इन्हें पुनः सहकारी पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

फरवरी, 77 में हटाए गए कर्मचारियों में से किसी की नियुक्ति जनवरी, 78 में नहीं की गयी। बैंक द्वारा जिन कर्मचारियों की फरवरी, 1977 में सेवाएं समाप्त की गयी थीं, उनमें से 13 की नियुक्ति प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के सचिव पद पर की गयी और 3 की नियुक्ति यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन द्वारा सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर की जा चुकी है। अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षक पद के लिए अनर्ह होने के कारण उक्त पद पर नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मिहींपुरवा, बहराइच के विरुद्ध रिश्वतखोरी का मुकदमा

*14---श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड, मिहींपुरवा, जनपद बहराइच के विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध जून, 1978 में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का कोई मुकदमा थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में दर्ज हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो उसका क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद---

जी हाँ?

मामले की विवेचना पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही है। खण्ड विकास अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है।

आगरा जिले के विकास खण्ड, फिरोजाबाद के गाँवों में खड़ंजा लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि

*15---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड फिरोजाबाद में क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 में गाँवों की गलियों में खड़ंजा लगाने और नालियों को पक्का करने के लिए क्या कोई धन स्वीकृत हुआ? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में खड़ंजे लगे और नालियाँ पक्की कीं और अब कितने गाँवों में खड़ंजे लगने को हैं तथा नालियाँ बनने वाली हैं?

श्री जमुना प्रसाद---

वर्ष 1977-78 में जनपद आगरा के विकास खण्ड, फिरोजाबाद को 26,372 रुपए की धनराशि गाँवों में खड़ंजा लगाने व नालियों को पक्का कराने आदि हेतु आवंटित की गयी थी परन्तु क्षेत्र समितियों की कार्यावधि समाप्त होने के कारण उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया गया जिससे गाँवों में खड़ंजा लगवाने, नालियों को पक्का करने तथा अन्य निर्माण के कार्य नहीं कराये जा सके। वर्ष 1978-79 में जनपद आगरा में फिरोजाबाद विकास खण्ड को गाँवों में खड़ंजा लगवाने व नालियों को पक्का कराने हेतु कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

संचालक मण्डल, जिला सहकारी बैंकों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*16---श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)---

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल द्वारा 1972 के पश्चात् नियुक्त किए गए कर्मचारियों में से जिनकी सेवाएं समाप्त की गयी हैं, उनमें कितने कर्मचारी स्थायी थे एवं कितने अस्थायी थे तथा उक्त छटनी क्यों की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल द्वारा 1972 के पश्चात कुल 1432 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जिनमें से 322 कर्मचारियों की सेवा समाप्त हुयीं। जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हुयीं उनमें से 317 कर्मचारी अस्थायी थे तथा शेष 5 स्थायी कर्मचारी थे।

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती तथा अनुशासनिक नियन्त्रणसम्बन्धी प्रक्रिया लागू हो जाने के पश्चात् बैंक के संचालक मण्डल द्वारा की गयी सीधी नियुक्तियाँ सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल की अनुमति के बिना अनियमित थीं। अतः 289 कर्मचारियों की सेवाएं अनियमित होने के कारण सहकारी बैंकों से समाप्त कर दी गयीं। 28 कर्मचारियों ने स्वयं त्याग-पत्र दे दिया, 4 कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यकता से अधिक स्टाफ होने के कारण तथा एक कर्मचारी की सेवा आरोप सिद्ध होने के कारण समाप्त की गयी।

कृषि सेवाई सहकारी समिति, गाजीपुर पर विभागीय नियन्त्रण एवं उससे लाभ

*17--श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवाई सहकारी समिति, गाजीपुर कब विभागीय नियन्त्रण में ली गयी तथा नियन्त्रण में लिए जाने के बाद समिति को क्या लाभ हुआ है? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उनके एक माह के अन्दर ही चुनाव कराए जाने के उनके आदेश के बावजूद अब तक चुनाव नहीं कराया जा सका तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कृषि सेवाई सहकारी समिति विभागीय नियन्त्रण में नवम्बर, 1977 में आई।

प्राप्त सूचना के अनुसार समिति को 458.08 रु0 का लाभ हुआ। समिति का चुनाव 27 जुलाई, 1978 को कराया जा चुका है।

[सोमवार, 12 मार्च, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के गेहूं के बीज का मूल्य

*1--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में गेहूं के बीज के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के विक्रय मूल्य में 50 रुपए क्विंटल का अन्तर है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हाँ। सरकारी प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीज बिना लाभ हानि के आधार पर विक्रय किया जाता है और उसमें प्रबन्ध व्यय नहीं जोड़ा जाता है जबकि संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज पर भागीदारों का लाभ तथा संस्थाओं के संचालन से सम्बन्धित प्रबन्धव्यय विक्रय-मूल्य में सम्मिलित रहता है।

*- --श्री देव राम--

[मन्त्रिपरिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया।]

छितौनी चीनी मिल, देवरिया को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु दिया गया ऋण

*3—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला देवरिया की छितौनी चीनी मिल को 12 लाख रुपए अभी हाल में सरकार ने कर्ज के रूप में दिया ? यदि हां, तो इसका कितना भाग गन्ना काश्तकारों के बकाए के मद में खर्च किया गया ? शेष बकाए के भुगतान के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जिला देवरिया की छितौनी चीनी मिल को शासन ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को 10.00 लाख रुपए तथा दिनांक 10 जनवरी, 1979 को 15.00 लाख रुपए अर्थात् कुल 25.00 लाख रुपए का ऋण सीजन 1977-78 तक के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु दिया था। मिल ने उक्त धनराशि में से 21.32 लाख रुपए किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु छितौनी समिति को दे दिया है।

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*5—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[उरे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि मण्डल लखनऊ के एकाउन्टेंट श्री राम गोपाल शर्मा के विरुद्ध कृषि मन्त्री का कथित आदेश

*6—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कृषि मण्डल का वह कौन सा एकाउन्टेंट है जिसके सम्बन्ध में भूतपूर्व कृषि मन्त्री, श्री वीरेन्द्र वर्मा ने सम्बन्धित कृषि निदेशक को यह आदेश दिए थे कि या तो उसे कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाय या उसे बिना कोई काउन्टर दिए हुए वेतन दिया जाय ? यदि इस प्रकार के आदेश दिए गए थे तो उसे कैसे पदोन्नति देकर उसी कार्यालय में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अभिलेखों में तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री वीरेन्द्र वर्मा जी का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है जिसमें लखनऊ मण्डल के किसी एकाउन्टेंट को कम्पलसरी रिटायरमेंट देने या उसे बिना कोई काउन्टर दिए हुए वेतन देने के आदेश हों। परन्तु अभिलेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने तत्कालीन कृषि निदेशक द्वारा तत्कालीन उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल को यह आदेश दिये थे कि श्री राम गोपाल शर्मा, एकाउन्टेंट से काम न लिया जाय। यद्यपि तत्कालीन उप कृषि निदेशक ने इसकी पुष्टि नहीं की। कृषि निदेशक अवकाश प्राप्त हो चुके हैं तथा उप कृषि निदेशक का स्वर्गवास हो गया है। जहां तक उनकी पदोन्नति का प्रश्न है, एकाउन्टेंट के पद से ऊपर के पद पर प्रोन्नति वित्त विभाग द्वारा की गयी है।

जरवल रोड चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*7—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1977-78 का महमूदाबाद, पैतेपुर, फतेहपुर सेंटरों का गन्ना का भुगतान जरवल शुगर मिल को देना शेष रह गया है ? यदि हां, तो उन किसानों की धनराशि को दिलाने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1977–78 का महमूदाबाद, पैतेपुर तथा फतेहपुर क्रय केन्द्रों के किसानों का कुल गन्ना मूल्य 19.332 लाख रुपया देय था जिसमें से जरवल रोड चीनी मिल ने 19.204 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। अब केवल 2800 रुपए देना अवशेष है। इसके तुरन्त भुगतान करने के लिए मिल को निर्देश भेज दिए गए हैं।

कृषि विभाग व कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में राजपत्रित पदों पर हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग सेक्शन-सी तथा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में वर्ष 76 से 78 तक कितने राजपत्रित पद कितने-कितने समय खाली रहे हैं और इन पदों के खाली रहने का क्या कारण है? आरक्षण शासनादेश के अनुपालन में पिछड़े वर्गों एवं हरिजन वर्ग के कितने कर्मचारियों की, कृषि विभाग सेक्शन-सी में पदोन्नति राजपत्रित पदों पर की गयी है और यदि नहीं की गयी, तो क्यों? अब कब तक पदोन्नतियां कर दी जाने की सम्भावना है?

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्ष 1976 से 1978 तक कृषि विभाग में उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–1 व 2 सेक्शन-सी तथा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत राजपत्रित पदों की रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	श्रेणी–1	श्रेणी–2	योग
कृषि विभाग	14	82	96
कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	20	12	32

उक्त रिक्तियों की संख्या, रिक्ति की अवधि तथा रिक्ति का कारण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में संलग्न† है।

कृषि विभाग के श्रेणी-1 के 14 पदों में से 4 पदों पर पदोन्नति द्वारा व तदर्थरूप में नई नियुक्तियाँ की गयीं। पात्रता क्षेत्र में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति का उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जातियों के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी। श्रेणी-2 के 82 पदों में से 59 पदों पर पदोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गयीं। इन 59 नियुक्तियों में 7 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण माह अगस्त, 1977 से लागू किया गया है तब से कोई नई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। अतः पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। शेष रिक्तियों के शीघ्र भरने का प्रस्ताव है।

कृषि विश्वविद्यालय की सभी रिक्तियां अभी भरी नहीं गयी हैं। रिक्त पदों पर नियुक्तियां अब विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं नियमानुसार की जायेंगी।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा बीज का विक्रय एवं उससे लाभ

*9—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज तराई विकास निगम, पन्तनगर, उत्तर प्रदेश कब से कार्य कर रहा है और उसमें कितनी पूंजी लगी है तथा कितने किसान इस निगम में शेयर खरीदे हैं? अब तक प्रत्येक वर्षों में इस निगम ने कितने रुपए

---

†छापी नहीं गयी।

के बीज का आधार क्या है ? इसमें कितने कर्मचारी तथा अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि यह विभाग [illegible] प्रत्येक वर्ष [illegible] दाम पर बीज खरीदता है और उसको 70 फीसदी दाम बढ़ाकर घोषित करके प्रमाणित बीज प्रदेश तथा देश में बेचता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? अब तक [illegible] वर्षों में कितने रुपए का रोजगार किया गया और मुनाफा कितना होता रहा ?

श्री शिव मंगल सिंह---

अपेक्षित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 292 पर)

उन्नाव जिले के विकास खण्ड, नवाबगंज में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के विरुद्ध शिकायती पत्र

*10---श्री देवकी नन्दन (जिला उन्नाव), श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर), श्री चन्द्र भूषण सिंह (जिला उन्नाव), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राजनाथ सिंह तथा श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के विधायक माननीय हेमराज की शिकायत पर दिनांक 4 दिसम्बर को नवाबगंज में सम्पर्क मार्गों की जांच करने क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री गये थे और मौके पर गड़बड़ी पाई थी तथा उन्होंने जांच रिपोर्ट के साथ यह संस्तुति भेजी थी कि बी0डी0ओ0 को नवाबगंज व जिला विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाय तथा ग्राइमाफेसी केस सुनिश्चित होने के आधार पर पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर मुकदमा चलाया जाय ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि 12 कि0मी0 मार्ग पर मिट्टी के कार्य हेतु प्राप्त 1 लाख रुपए का गेहूं नवाबगंज में बेच दिया गया ? यदि हां, तो अभी तक गम्भीर आरोप स्पष्ट होने के बाद भी कार्यवाही न किये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री जमुना प्रसाद---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के स्थायीकरण की मांग

*11---श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के कई स्थानों पर वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं, जिन पर अस्थायी रूप से पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुबद्ध अधिकारी 4--5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन अधिकारियों की संख्या प्रदेश में कितनी है तथा इनका स्थायीकरण कब तक होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह---

ऐसे कुल अधिकारियों की संख्या 3 है जिनके स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर के ग्राम दिलावरपुर भटकर को गांव सभा नुसरतपुर से पृथक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*12---श्री मुहम्मद रफी खां---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलायेंगे कि तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के गांव नुसरतपुर उर्फ बड़ी गांव की ग्राम सभा से अब तक ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 के अन्तर्गत गांव दिलावरपुर भटकर को न निकालने और वहां एक नई ग्राम सभा न बनाने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

शाहजहांपुर की [illegible] के ग्राम नगरसपुर उर्फ बड़ी गांव की ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 के अनुसार ग्राम दिलदारपुर मटकर को पृथक गांव सभा घोषित कर दिया गया है।

नगरपालिका कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार, नैनीताल के कर्मचारियों के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

*13—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार, नैनीताल के आय-व्ययक लेखों में अनियमितताओं तथा गबन की शिकायतों पर सन् 1974 में कोई अभियोग चलाया गया था? यदि हां, तो उस मामले में मुख्य अभियुक्त कौन था और उसे विभाग द्वारा क्या दण्ड दिया गया? क्या यह सही है कि विभागीय कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग से सम्बद्ध निम्न श्रेणी के दो कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया परन्तु मुख्य अभियुक्त को नौकरी में बहाल कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

नगरपालिका कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार नैनीताल के आय-व्यय के अभिलेखों में अनियमितताओं तथा गबन की शिकायतों पर प्रथम सूचना दर्ज की गयी। उक्त मामले में भण्डार के अवैतनिक सुपरवाइजर/एडवोकेट श्री शिव प्रसाद घिल्डियाल, मुख्य अभियुक्त थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया और भण्डार की सेवा से पृथक कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित भंडार के अन्य दो कर्मचारी सर्वश्री हीरा बल्लभ पाठक एवं बिशन सिंह बिष्टी को भी गिरफ्तार किया गया और भण्डार की सेवा से पृथक कर दिया गया। मुख्य अभियुक्त श्री घिल्डियाल को उपभोक्ता भण्डार की सेवा में बहाल नहीं किया गया है। श्री घिल्डियाल नगर पालिका की सेवा में कार्यरत थे और अब भी हैं।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14—श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कानपुर के भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच व स्थानान्तरण हेतु माह अगस्त, 78 को कानपुर के दस विधायकों ने संस्तुति कर, एक प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहायक निबन्धक कानपुर के विरुद्ध, कानपुर के 10 विधायकों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1978 को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों पर जांच की जा रही है। सहायक निबन्धक का स्थानान्तरण कानपुर जनपद से आगरा को कर दिया गया है।

शाहजहांपुर जिले की मार्केटिंग सोसायटी, तिलहर के अध्यक्ष के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट

*15—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहाँपुर जिले की तिलहर मार्केटिंग सोसायटी में दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 को एक लाख रुपए से अधिक का उर्वरक घोटाला पकड़ा गया जिसके लिए मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कुछ उनके साथी उत्तरदायी पाए गए हैं? क्या इस घोटाले की नामजद रिपोर्ट तहसीलदार तिलहर द्वारा अध्यक्ष व अन्य लोगों के

विरुद्ध दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 को थाना तिलहर में [illegible] गयी है क्या यह भी सही है कि इस घोटाले की विस्तृत जानकारी भू [illegible] एवं [illegible] डाइरेक्टर मार्केटिंग सोसाइटी, तिलहर द्वारा जनवरी, 1979 में रजिस्ट्र[illegible] मुख्य मन्त्री, खाद्य मन्त्री, कृषि मन्त्री एवं सहकारिता मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार को [illegible] गयी ? यदि हाँ, तो ये क्या-क्या शिकायतें हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवा[illegible] ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*16—श्री बाबू राम शुक्ल—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूमि एवं जल प्रबन्ध अग्रगामी भाट मिर्दा परियोजना, देवरिया का मुख्यालय

*17—श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि एवं [illegible] अग्रगामी भाटमिर्दा परियोजना, देवरिया का मुख्यालय देवरिया होने के बजाय गोरखपुर में रखने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इसमें मकान भत्ता, यात्रा भत्ता एवं पेट्रोल इत्यादि पर खर्च प्रतिमाह बढ़ रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रशासनिक, आर्थिक तथा दक्षता आदि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त परियोजना का मुख्यालय गोरखपुर में रखा गया है । उक्त सभी मदों पर कुल मिलाकर खर्च नहीं बढ़ रहा है ।

जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ का सहकारी समितियों पर बकाया

*18—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ की 60 प्रतिशत से अधिक समितियाँ लगातार दो वर्ष 1975–76 व 1976–77 में बकायादार रही हैं ? यदि हाँ, तो इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 35-क के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला सहकारी बैंक लि0, फतेहगढ़ की ऋणी समितियों में से 60 प्रतिशत से अधिक समितियाँ लगातार दो सहकारी वर्ष 1975–76 व 1976–77 के अन्त में बकायादार रही हैं ।

बैंक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35-क के अन्तर्गत अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि वर्ष 1975–76 में पूरे वर्ष में बिलकुल नहीं तथा वर्ष 1976–77 में दो माह से भी कम का संचालक मण्डल का कार्यकाल रहा ।

डाक्टर बी०एस० पाण्डेय, पशु चिकित्सक, साहबगंज, वाराणसी का निलम्बन

*19—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1978 में डा0 बी0 एस0 पाण्डेय, पशु चिकित्सक, साहबगंज, बनारस को बिना किसी पूर्ववत् जाँच के निलम्बित करते हुए उन्हें आज तक आरोप-पत्र एवं निलम्बन भत्ता प्राप्त नहीं कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या उन्हें तत्काल आरोप-पत्र एव निलम्बन भत्ता देते हुए मामले की न्यायोचित जाँच कराई जायगी ?

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)---

जी नहीं। डा०बी०एन० पाण्डेय के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जाँच करा कर उन्हें निलम्बित किया गया था। उन्हें आरोप-पत्र भी दे दिया गया है तथा निर्वाह-भत्ते का भुगतान भी बराबर किया जा रहा है।

डा० पाण्डेय के विरुद्ध सी०एन० (सी०सी०ए०) नियमों के अन्तर्गत न्यायोचित जाँच सम्पन्न की जा रही है।

गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*20---श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार चीनी मिल के गन्ना किसानों के गन्ने का कितना दाम अब तक बाकी है और किस तिथि तक का भुगतान हो गया है तथा अब शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी चीनी मिलों ने सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया कि गन्ना देने की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसानों का पूर्ण भुगतान दे दें और उनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिव मंगल सिंह---

वर्ष 1978-79 में सिसवा बाजार चीनी मिल ने 15 फरवरी, 1979 तक जो गन्ना खरीदा है उसका कुल मूल्य 44.17 लाख रुपए देय हुआ है इसके विरुद्ध 25.72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है और अब 18.45 लाख रुपया अवशेष है।

शासन ने इस मिल को सीजन 1977-78 तक के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 25.00 लाख रुपए का ऋण दो किस्तों में 15 दिसम्बर, 1978 तथा 10 जनवरी, 1979 को दिया गया था जिसके फलस्वरूप पुराने वर्षों का दिनांक 28 फरवरी, 1979 तक केवल 3.21 लाख रुपया शेष रह गया है।

सरकार के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं।

गन्ने के मूल्य पर विशेष अनुदान दिए जाने की योजना

*21---श्री शम्भू नाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिकों से सरकार ने गन्ना की कीमत जिस दर से भुगतान करने का आदेश गत वर्ष दिया था, उसी आदेश का पालन इस वर्ष 1978-79 में भी करायेगी अथवा सरकार ने ऐसे दाम के विषय में इस वर्ष भी भिन्न नीति अख्तियार की है? यदि हाँ, तो वह क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह---

पिछले वर्ष 1977-78 में चीनी मिल मालिकों ने गन्ने का मूल्य रु० 13.50 प्रति क्विंटल पश्चिम तथा मध्य उत्तर प्रदेश में तथा 12.50 प्रति क्विंटल पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिया था। इस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलें भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगी। पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य से इस वर्ष के मूल्य का अन्तर, सरकार द्वारा विशेष अनुदान के रूप में चीनी मिलों को पूर्ति किए गए गन्ने पर कृषकों को दिया जायेगा?

जलेसर रोड, फिरोजाबाद, आगरा के खाद विक्रेता की खाद का लिया गया सैम्पुल

*22---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन (उर्वरक अनुभाग) के अधिकृत विक्रेता जलेसर रोड, फिरोजाबाद से दिनाँक 4 अक्तूबर, 1978 को श्री सुल्तान सिंह पुत्र भगवान सिंह खनाका लाल ने क्या यूरिया खाद की बोरी खरीदी और क्या यूरिया खाद की बोरी में मिट्टी थी?

क्या दिनाँक 6 अक्तूबर, 1978 को बी0 डी0 ओ0, फिरोजाबाद ने इस दुकान के गोदाम को चेक किया और सैम्पुल लिए ? क्या उन सैम्पुलों में मिट्टी थी ? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह खनाका ने दिनाँक 4 अक्तूबर, 1978 को यू0पी0 एग्रो के फिरोजाबाद गोदाम से एक बोरी यूरिया खाद क्रय की थी। खाद की बोरी में मिट्टी नहीं थी। बी0डी0ओ0 फिरोजाबाद ने दिनाँक 6 अक्तूबर, 1978 को गोदाम चेक किया और सैम्पुल लिए। उन सैम्पुलों को विश्लेषण हेतु जिला कृषि अधिकारी, आगरा के पास भेजा है जिनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*23—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*24–25—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

मण्डी समिति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिकाएं और अधिवक्ता की फीस

*26—श्री राम दत्त जोशी—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि कुछ टैक्सों के विरुद्ध सरकार तथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति को प्रतिवादी बनाकर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कुल कितनी याचिकाएं दायर की गयी हैं और उन सब याचिकाओं में मण्डी समितियों की ओर से इलाहाबाद के श्री बी0 डी0 मध्यान नामक वकील को न्यूनतम 740 रु0 प्रति केस की दर से पारिश्रमिक पर इंगेज किया है ? यदि हाँ, तो क्या निदेशक, कृषि उत्पादन, मण्डी परिषद के संकेत पर सभी मण्डी समितियों ने एक ही वकील को अपने मुकदमें देना तय किया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

शासन द्वारा प्रदेश की सभी मंडी समितियों में व्यापार को विनियमित करने के लिए विज्ञापित 115 निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विरुद्ध लगभग 172 रिट याचिकायें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उच्च न्यायालय, लखनऊ (बेंच लखनऊ) में दायर की गयीं थीं। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गयी लगभग 159 रिट याचिकाओं की पैरवी हेतु मण्डी समितियों ने स्वविवेक से अधिवक्ता श्री वी0 डी0 मध्यान को 600 रु0 प्रति केस फीस पर नियुक्त किया था। अधिवक्ता की नियुक्ति करने हेतु किसी भी मण्डी समिति को निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया था।

सहकारी कोल्डस्टोरेज, हरदोई में आलू की क्षति

*27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री को इसकी जानकारी है कि जुलाई, 1978 में किसी दिन हरदोई जिले में एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज का चेम्बर बैठ जाने से काश्तकारों का भारी मात्रा में जो आलू रखा था वह नष्ट हो गया जिससे किसानों के सामने भीषण संकट उत्पन्न है ? यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जुलाई, 1978 में हरदोई सहकारी समिति द्वारा संचालित शीत गृह के द्वितीय चैम्बर में कुछ यांत्रिक दोष के कारण कृषकों द्वारा भंडारित आलू आंशिक रूप में क्षति ग्रस्त हो गया था। शीत गृह का कोई चैम्बर बैठा नहीं है। इस क्षति के लिए दावा बीमा कम्पनी को कर दिया गया है। बीमा कम्पनी से दावा की धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला परिषद् फैजाबाद के चिकित्सालयों में वैद्य पद पर नियुक्ति एवं आरक्षण सम्बन्धी आदेश का अनुपालन

*28—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषदीय चिकित्सालय फैजाबाद में वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में वैद्य पद की कितनी रिक्तियाँ थीं ? क्या इन वैद्यों का चयन हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या चयन आरक्षण प्रतिशत को दृष्टि में रखकर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

वर्ष 1977–78 में जिला परिषद, फैजाबाद के चिकित्सालयों में वैद्य पद पर चार रिक्तियाँ थीं। वर्ष 1978–79 में कोई रिक्ति नहीं थी।

रिक्तियों की पूर्ति हेतु दिनाँक 23 फरवरी, 1978 को चयन समिति द्वारा वैद्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन किया गया था। उस समय तक जिला परिषदों में आरक्षण के आदेश लागू नहीं थे।

*29—श्री मित्र सेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 233 (विम) का033-77, दिनाँक 21 सितम्बर, 1977 के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी जिला परिषद्, फैजाबाद में अनियमित नियुक्तियाँ हुई हैं ? यदि हाँ, तो इन अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद फैजाबाद द्वारा शासनादेश दिनाँक 21 सितम्बर, 1977 के बाद वैद्यों की कोई अनियमित नियुक्ति नहीं की गयी।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के अधिकारियों का आरक्षण कोटा

*30—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या यह सत्य है कि पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के फार्म के मैनेजमेंट व सुपरवाइजरी स्टाफ में हरिजन अधिकारियों की संख्या शून्य है और पिछड़ी जाति के अधिकारी केवल तीन प्रतिशत हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सही है कि दिनाँक 13 दिसम्बर, 1978 को उप निदेशक (विकास) के पद के लिए साक्षात्कार हुआ है? यदि हाँ, तो क्या इसमें हरिजन व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के फार्म के मैनेजमेंट व सुपरवाइजरी स्टाफ में हरिजन अधिकारियों की संख्या शून्य है तथा पिछड़ी जाति के अधिकारी 13.92 प्रतिशत हैं। विश्वविद्यालय के परिनियम में नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर करने का प्राविधान है तथा आरक्षण का प्राविधान नहीं है। 13 दिसम्बर, 1978 को उपनिदेशक (विकास) के पद के लिए साक्षात्कार हुआ है। इसमें हरिजन व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

*31—श्री नरेन्द्र चन्द्र—

क्या प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 17 अक्तूबर, 1978 को मुख्य मन्त्री, सहकारिता मन्त्री व विशेष सचिव, सहकारिता को संस्थागत सहकारी सेवाओं में हरिजन व पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति व नियुक्तियाँ दिए जाने के सम्बन्ध में पत्र

लिखा था ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक प्रोन्नतियाँ रोक देगी ताकि हरिजन व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का हक न मारा जा सके ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार किए जाने के आदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को भेजे जा चुके हैं।

उन्नाव जिले में नवाबगंज-कुईधर मार्ग के निर्माण के विरुद्ध आरोप-पत्र

*32--श्री हेमराज (जिला उन्नाव)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा नवाबगंज से कुईधर मार्ग पर मिट्टी का कार्य वर्ष 1978 में कराया गया ? यदि हाँ, तो कितने रुपए खर्च हुए और कितना कार्य हुआ ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 4 नवम्बर, 1978 ई0 को मुख्य मन्त्री जी को इसी सम्बन्ध में आरोप-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो क्या जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पीलीभीत जिले के सिंचाई विभाग के अनुसूचित जाति के कथित अवैध कर्मचारी

*33--श्री विजय राज सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि उनके विभाग में जिला पीलीभीत में 11 कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के न होते हुए भी अनुसूचित जाति की सभी सुविधाएं प्राप्त करते रहे हैं ? यदि हाँ, तो कैसे ? इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

लघु सिंचाई मन्त्री (श्री ख्याली राम)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद कुम्भ मेले से बुढ़हनपुर जाने वाली बस की दुर्घटना एवं मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

*34--श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनाँक 8 फरवरी को इलाहाबाद कुम्भ मेला से बुढ़हनपुर जाते हुए एक सिटी बस नं0 यू0टी0एल0 03157 सई नदी में बरगदर (जौनपुर) के पास गिर गयी जिसमें बैठे सभी यात्री मर गये तो सरकार की ओर से मृतकों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की जाँच कराई गयी है, तो जाँच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दिनाँक 8 फरवरी, 1978 को इलाहाबाद कुम्भ मेला बुढ़हनपुर जाते हुए सिटी बस नम्बर यू0 टी0 एल0 नहीं बल्कि यू0टी0एन0 3157 सई नदी में गिर गयी थी, जिसमें चालक समेत 55 यात्रियों की मृत्यु हो गयी थी।

दुर्घटना होने के पश्चात् तुरन्त ही मृतकों के उत्तराधिकारियों में से प्रत्येक को निगम की ओर से रु0 1,000 की दर से अनुग्रह भुगतान दिया गया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, जौनपुर की ओर से भी प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को एक-एक हजार रुपए की दर से अनुग्रह भुगतान दिया गया।

इसके साथ ही ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कुल रु0 4,16,000 स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत 4 बाल मृतकों को 4-4 हजार रुपए तथा प्रत्येक 50 वयस्क मृतकों को रु0 7,136 दिया गया। बीमा कम्पनी से शेष रु0 43,200 मिलने पर प्रत्येक वयस्क मृतक को रुपया 864 और दिया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक बाल मृतक को 4 हजार तथा प्रत्येक वयस्क मृतक को 8 हजार रुपया मिलेगा।

मृतक चालक के उत्तराधिकारी को भी दिए गये रुपया 2 हजार के अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त शेष भुगतान के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मैजिस्टीरियल जाँच की जा चुकी है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा धरना एवं उनकी मांग

*35—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना ग्राम सेवक संघ शासन द्वारा स्वीकृत ग्राम स्तरीय वेतन मान और सेलेक्शन ग्रेड को लागू कराने और प्रशासनिक अन्याय–उत्पीड़न एवं शोषण की रोक थाम हेतु लिखित एवं मौखिक अपने अनुरोध की उपेक्षा को लेकर 26 जनवरी, 1979 को धरना एवं तत्पश्चात् प्रदेश व्यापी आन्दोलन की सूचना शासन को दिया है? यदि हाँ, तो शासन उस दिशा में कौन-सी कार्यवाही कर रहा है?

श्री शिव मंगल सिंह—

शासन को उत्तर प्रदेश गन्ना ग्राम सेवक संघ की गन्ना आयुक्त कार्यालय पर दिनांक 26 जनवरी, 1979 को केवल साँकेतिक धरना देने की सूचना प्राप्त हुई थी। तदनुसार उक्त तिथि को गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा गन्ना आयुक्त कार्यालय पर साँकेतिक धरना दिया गया था। इनकी माँगें शासन के विचाराधीन हैं।

गन्ना कर्मचारी महासंघ का धरना एवं उनकी मांगें

*36—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग के लगभग 80 हजार समिति वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला गन्ना कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश गन्ना ग्राम सेवक संघ के समर्थन एवं सहयोग से 5 फरवरी, 1979 से विभिन्न वैधानिक माँगों की पूर्ति हेतु प्रदेश व्यापी अनिश्चित कालीन हड़ताल की सूचना दी है? यदि हाँ, तो उस दिशा में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना कर्मचारी महा संघ, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, केन यूनियन इम्प्लाइज फेडरेशन, उत्तर प्रदेश एवं गन्ना ग्राम सेवक संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी माँगों की पूर्ति के सम्बन्ध में दिनाँक 5 फरवरी, 1979 से गन्ना आयुक्त कार्यालय पर केवल धरना देने की ही नोटिस दी गयी थी। तद्नुसार गन्ना कर्मचारी महा संघ द्वारा उक्त दिनाँक 5 फरवरी, 1979 को गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरना देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, किन्तु गन्ना आयुक्त द्वारा उनकी माँगों पर विचार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन कर दिए जाने के कारण कर्मचारी महासंघ द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया।

गंजरिया फार्म के विरुद्ध गबन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*37—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंजरिया फार्म के लाखों रुपए के गबन से सम्बन्धित श्री विश्वदेव प्रसाद, निवासी ग्राम भगौसा, जनपद बस्ती का शिकायती पत्र रजि0 नं0 1949, दिनांक 24 जुलाई, 1968, रजि0नं0 5208, दिनांक 9 अगस्त, 1978, रजि0 नं0 3497, दिनांक 4 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां। निदेशक, पशुपालन को आवश्यक जांच करने हेतु आदेशित कर दिया गया है।

फैजाबाद जिले की टेऊंआं जलालपुर–दरवन व हायपाकड़ अमासिन सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की मांग

*38—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद की टेऊंआ जलालपुर से दरवन, हाथपाकड़ होकर अमसिन को जाने वाली गन्ना विभाग की सड़क की उपयोगिता और गन्ना विभाग की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उक्त सड़क की शीघ्र पक्की कराने के उद्देश्य से उसे अविलम्ब सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और ऐसा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत सड़क के हस्तान्तरण एवं निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। उत्तर प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

किसान सहकारी मिल्स लिमिटेड, अकबरपुर के सम्बन्ध में पत्र

*39—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान सहकारी मिल्स लिमिटेड, अकबरपुर जिला फैजाबाद में अविलम्ब प्रोजेक्ट आफिसर नियुक्त करनेऔर मिल के स्थान का अन्तिम रूप से चयन करने हेतु साइट सेलेक्शन कमेटी को शीघ्र मौके पर भेजने आदि के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 13 फरवरी, 1978 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और इस कार्य को शीघ्र पूरा करके मिल को शीघ्र चालू कराने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ, माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य का संदर्भगत पत्र शासन को मिला था। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित चीनी मिल का लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने के कारण इस दिशा में अन्य कोई प्रगति नहीं हो सकी।

जमालपुर–मड़ियाहू, जौनपुर के बीच बस दुर्घटना एवं मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

*40—श्री राज किशोर तिवारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 5 जनवरी, 1977 को राजकीय बस नम्बर यू0 टी0 वी0 2772 जमालपुर तथा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गयी ?

जिसमें मोहल्ला खरुद्दीनगंज, कस्बा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के मिठाई लाल पुत्र जवाहर तथा उसी मोहल्ले का एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और घटना के कुछ ही दिन बाद मिठाई लाल की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृतक एवं घायल व्यक्ति को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दुर्घटना दिनांक 5-1-1977 को नहीं हुई थी बल्कि 6-11-75 को हुई थी जिसमें श्री मिठाई लाल तथा श्री नाटे दो व्यक्ति घायल हुए थे । श्री मिठाई लाल की मृत्यु दो माह बाद हो गयी थी और उनके वारिसों को रूपया 500 की सहायता दी गई थी। घायल श्री नाटे को रुपया 250 की सहायता दी गयी ।

गोवंश को बध हेतु प्रदेश से निर्यात करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम शर्मा, सहारनपुर का पत्र

*41—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगोह व फंदपुरी, जिला सहारनपुर व जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर आदि स्थानों में लगने वाली पशु पैठों के माध्यम से स्वस्थ एवं जवान गोधन वान्द्रा (बम्बई) तथा हावड़ा को बध हेतु ले जाने से रोकने के लिए श्रीश्रीराम शर्मा एडवोकेट, सहारनपुर ने दिनांक 31 मई, 1978 को एक पत्र मन्त्री, पशु-पालन विभाग को लिखा था जिसमें गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3 की खुली अवहेलना तथा पुलिस की निष्क्रियता के आरोप लगाए गए थे ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्य-वाही हुई व गोधन को विनाश से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए ? तथा जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां । उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम में गोवंश के प्रदेश से निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध प्राविधानित नहीं है । इसलिये किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीराम शर्मा एडवोकेट के पत्र में पशुधन के रख-रखाव और प्रदेश से बाहर भेजे जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन की हड़ताल

*42—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि 1 जनवरी, 1979 से 3 जनवरी, 1979 तक उत्तर प्रदेश ट्रक आपरेटर्स असोसियेशन के आह्वान पर प्रदेश व्यापी ट्रक हड़ताल हुई उससे शासन को कितनी क्षति हुई ? क्या असोसियेशन व शासन के बीच हड़ताल के पूर्व कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी तथा असफल हो गई ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन के आह्वान पर हुई उक्त ट्रक हड़ताल से शासन को कोई क्षति नहीं हुई ।

फेडरेशन के प्रतिनिधियों से शासन के स्तर पर कई बार वार्ता हुई और समझौता होने वाला था । दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 को हुई अन्तिम वार्ता के दौरान फेडरेशन की ओर से यह माँग की गई कि नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं द्वारा लगायी जाने वाली ट्रान्जिट फी (बहती) भी समाप्त की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर किसी प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ था और न ही आवश्यक आंकड़े उपलब्ध थे, अतः शासन की ओर से कहा गया कि आवश्यक आंकड़े एवं सामग्री एकत्र करके इस मामले पर

अलग से विचार कर लिया जाय। फेडरेशन के प्रतिनिधियों को यह स्वीकार नहीं था और वार्ता विफल हो गई।

गोरखपुर जिले की महावीर शुगर मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

*43—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर जो सरकार के नियन्त्रण में चल रही है उस मिल पर काश्तकारों के गन्ने की बकाया धनराशि 26,00,000 (छब्बीस लाख) रुपया है, को दिलवाने हेतु माह मई, जून, 1978 में प्रश्नकर्त्ता द्वारा मुख्य मंत्री जी को पत्र लिख कर दिया था जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश हुए कि शक्कर निधि में जमा धनराशि से धन की व्यवस्था करें? यदि हां, तो आदेश पर कार्यवाही न होने तथा कार्यवाही की सूचना प्रश्नकर्त्ता को आज तक न देने का कारण क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, विधायक का मई/जून, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ था। 30-11-78 तक इस चीनी मिल पर किसानों का 26·81 लाख रुपया गन्ना मूल्य का बकाया था जिसके भुगतान हेतु शासन ने दो किस्तों में इस मिल को 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया है।

*44—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[8-5-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता

*45—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अगस्त, 1972 से निर्मित परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश में सेवा शर्तें अभी तक नहीं बनी हैं? यदि हां, तो क्यों? और इस कार्य हेतु कितना व्यय हो चुका है? क्या परिवहन विभाग में दिनांक 1 अगस्त, 1972 से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिया जावेगा?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दिनांक 1-6-72 से स्थापित परिवहन निगम में कर्मचारियों के सेवा विनियमों का प्रारूप तैयार करके सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की जांच तथा परिमार्जन के लिये भेज दिया गया है। परिमार्जन के उपरान्त उसे निगम की बैठक में पारित कराया जायेगा और शासन के अनुमोदन के पश्चात् अन्तिम रूप से लागू किया जायेगा।

सेवा विनियमों के बनाने का कार्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यों के साथ-साथ करते हैं। अतः इस पर किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ है।

शासकीय आदेशों के अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं है। अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

गो हत्या निवारण के सम्बन्ध में अखिल भारतीय गोसंरक्षण परिषद् के अध्यक्ष का पत्र

*46—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अ0 भा0 गोसंरक्षण परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष, स्वामी योगेश्वर विदेहीं हरिनेगल आश्विन शुक्ल नवमी सम्वत् 2035 वि0 (10-10-78) को एक पत्र सचिव, पशुपालन विभाग को गोहत्या का सम्पूर्ण विरोध करने हेतु लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार गोहत्या निवारण कानून को और कड़ा करने पर विचार कर रही है?

श्री अब्दुल हलीम खां—
पत्र में कही गई बातों पर विचार किया जा रहा है।

इलाहाबाद जिले की झील अलवारा का पर्यटन की दृष्टि से सर्वेक्षण किए जाने की मांग

*47—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—
क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत झील अलवारा का सर्वे इस दृष्टि से करायेंगे कि उक्त तहसील के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल कोशाम्भी, पवोसा, पहाड़ी एवं झील अलवारा होकर जिला बांदा के राजापुर चित्रकूट, बांदा कालिन्जर, महोबा एवं खजुराहो से जुड़ सके? यदि हां, तो कब तक सर्वे का कार्य आरम्भ हो जाएगा?

श्री आबिद अली—
जी नहीं।

*48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
[21-8-78-को तारांकित प्रश्न संख्या 35 द्वारा उत्तरित]

पिपराइच चीनी मिल, गोरखपुर पर बनकटिया व मुहद्दीनपुर के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

*49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
क्या गन्ना विकास मन्त्री अपने अ0शा0प0 सं0 1783/ग0 वि0 म0-78, दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के सन्दर्भ में कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के गांव बनकटिया मुहद्दीनपुर के किसानों के पिपराइच मिल पर पुराने गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही किया और क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त धनराशि का भुगतान नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों और भुगतान कब तक हो जाएगा?

शिव मंगल सिंह—
जनपद गोरखपुर के बनकटिया एवं मुहद्दीनपुर गांव के किसानों का गन्ना मूल्य सीजन 1972-73 व 1973-74 का 29699.99 रु0 पिपराइच चीनी मिल को देना अवशेष है।

पंजाब नेशनल बैंक, गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल के खाते में रु087,696-14 पैसे उपलब्ध हैं जिससे उक्त धनराशि के भुगतान हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रदेश में बीज व खाद की कथित कमी

*50—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें सूचना मिली थी कि प्रदेश में बीज और खाद की कमी के कारण रबी की फसल की बुआई देर से हो रही है और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है? यदि हां, तो यह कमी क्या हुई और किस-किस जिले में हुई है?

श्री शिव मंगल सिंह—
जी नहीं।
प्रश्न ही नहीं उठता है।

*51—श्री शिव प्रसाद—
[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

टाण्डा तहसील में श्रम के बदले अन्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

1—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष 1978–79 में फैजाबाद जनपद के टाण्डा तहसील में श्रम के बदले अन्न योजना के अन्तर्गत कितने मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों का लक्ष्य रक्खा गया है और उनमें से अब तक कितने मार्गों का निर्माण हो चुका है ? अवशेष का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिला परिषद की कतिपय सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

2—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले की कौड़ी राम गजपुर, बोक्टा-जयतपुर मार्ग को जिला परिषद से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का आग्रह किया गया है ? क्या इस जिले की कुछ अन्य सड़कों को हस्तान्तरित किया भी गया है ? यदि हां, तो इन्हें अब तक हस्तान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

जिला परिषद, गोरखपुर की भीटीरावत, हरपुर-बुद्धहट, पैसिया-ललाइन-लक्ष्मीपुर तथा सहजनवा-वखिरा सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है । अन्य सड़कों को धनाभाव के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लेने में असमर्थता प्रकट की है ।

मुन्डेरवा चीनी मिल, जिला बस्ती पर बकाया गन्ना मूल्य

3—श्री रवीन्द्रसिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सितम्बर, 1978 में मुन्डेरवा चीनी मिल, बस्ती के बकाया आदि के सम्बन्ध में काश्तकारों द्वारा अनशन किया गया था ? यदि हां, तो भुगतान कराने के सन्दर्भ में शासन ने क्या प्रयास किया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां,

मुन्डेरवा चीनी मिल, बस्ती पर गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य 33·26 लाख रुपये अवशेष होने के कारण चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने आदेश दिनांक 7–10–78 द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया । शासन ने इस मिल को 10 जनवरी, 1979 को 33 लाख रूपया बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण स्वीकार किया जिसके फलस्वरूप उक्त बकाया में से अब केवल 0.26 लाख रुपये शेष प्रतिवेदित हैं ।

डा० जीत नारायण सिंह, भूतपूर्व सहायक निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर की पेंशन

4—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० जीत नारायण सिंह, भूतपूर्व सहायक निदेशक, ग्राम समूह योजना, पशुपालन, गोरखपुर के पेंशन आदि के विषय में कोई पत्र शासन को माह सितम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा अवकाश प्राप्ति के एक साल बाद भी उनकी पेंशन क्यों नहीं निर्धारित की गयी ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां। उक्त पत्र निदेशक, पशुपालन को दिनांक 3-10-1978 को प्राप्त हुआ था। महालेखाकार, उ0 प्र0 ने डा0 जीत नारायण सिंह को रु0 386 प्रति माह की दर से अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत कर दी है।

गोरखपुर जिले के ग्राम हरैया स्थित दुग्धशाला

5—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के हरैया गांव में स्थापित डेयरी पूर्ण क्षमता के साथ चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इसमें सुधार के लिए कौन सा कदम उठा रही है?

श्री अब्दुल हलीम खां—

गोरखपुर जिले के हरैया गांव में स्थापित दुग्धशाला अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है। इसकी स्थिति खराब है। इसका मुख्य कारण दुग्धशाला के पास वित्तीय तथा अन्य संसाधनों का अभाव व बिजली की अनियमित सप्लाई है। गोरखपुर दुग्ध संघ के पुर्नगठन की संशोधित योजना बना ली गई है और इसके वित्तीय प्राविधानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नौतनवां बाजार, गोरखपुर के बी०डी०ओ० को हटाने की मांग

6—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 14-15 जुलाई, 1978को एक सीमेंट व्यापारी व बी0 डी0 ओ0 के विवाद को लेकर नौतनवां बाजार, गोरखपुर बन्द हो गयी थी? व्यापार मण्डल ने बी0 डी0 ओ0 को हटाने की मांग की थी? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जमुना प्रसाद—

कथित विवाद अवश्य हुआ लेकिन बाजार बन्द होने की कोई सूचना नहीं है।

व्यापार मण्डल ने बी0डी0ओ0 को हटाने की मांग की थी लेकिन जांच करने पर उन्हें निर्दोष पाया गया।

एग्रो कार्यालय, गोरखपुर के विक्रय सहायक, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा का अनशन

7—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर एग्रो कार्यालय पर अपनी कतिपय मांगों को लेकर 3 अक्तूबर, 1978 से किसी कर्मचारी ने अनशन प्रारम्भ कर दिया था? यदि हां तो उसकी मांगे क्या थीं और उस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही किया?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विक्रय सहायक, गोरखपुर ने वेतन न मिलने के कारण दिनाँक 2-10-1978 से एग्रो के शाखा कार्यालय गोरखपुर पर अनशन प्रारम्भ किया।

उनकी माँगें थीं:—

(1) सितम्बर, 1975 माह के वेतन का भुगतान किया जाय।
(2) 7-3-76 से 12-3-76 की अवधि के वेतन का भुगतान किया जाये।
(3) 23-12-77 एवं 27-12-77 की अवधि के वेतन का भुगतान किया जाय।
(4) फरवरी, 1978 माह के वेतन का भुगतान किया जाय।
(5) मार्च, 78 में 100 रु0 वेतन का भुगतान किया जाय।
(6) अप्रैल, 1978 माह के वेतन का भुगतान किया जाय।

श्री शर्मा की उक्त माँगों की पुष्टि करने के उपरान्त अप्रैल, 1978 माह के वेतन छोड़कर शेष सभी बकाया वेतन का भुगतान उनकी सहमति से कर दिया गया है।

अप्रैल, 1978 माह के वेतन का भुगतान श्री शर्मा को इसलिये नहीं किया जा सका था क्योंकि स्थानान्तरण होने के कारण उन्हें नये स्थान (वाराणसी) से वेतन लेना था जहाँ पर उन्होंने योगदान नहीं किया था।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा भीवापार को जिला परिषद् द्वारा दिया गया कथित अनुदान

8—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 1977 के जनवरी-फरवरी में गोरखपुर जिला परिषद् ने ग्राम सभा भीवापार, विकास क्षेत्र पिपरौली को 10 हजार रुपया का अनुदान दिया था ? यदि हाँ, तो वह रुपया उक्त ग्राम सभा को अब तक क्यों नहीं मिला ?

श्री जनुना प्रसाद—

जी नहीं।

जिला परिषद, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1977 के जनवरी-फरवरी मास में ग्राम सभा भीवापार विकास क्षेत्र पिपरौली को 10 हजार रुपये का कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। अतः अनुदान के न दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गोरखपुर जिले के मझगांवां कृषि बीज भंडार के विरुद्ध लिखायी गयी गबन की रिपोर्ट

9—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के मंझगांवां कृषि बीज भंडार के विरुद्ध कुछ रुपए के गबन का मामला जून, 1978 में गगहा (गोरखपुर) थाने में दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। आपराधिक कार्यवाही के अन्तर्गत अभी जाँच जारी है। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तत्कालीन बीज भण्डार प्रभारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।

10—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3 रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

11—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

छितौनी चीनी मिल, देवरिया पर बकाया गन्ना मूल्य

12—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जुलाई-अगस्त, 1978 तक चीनी मिल छितौनी, जिला देवरिया पर काश्तकारों का 23 लाख से अधिक रुपया बकाया था ? यदि हाँ, तो काश्तकारों को पैसा दिलाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये ?

श्री शिव मंगल सिंह—

छितौनी चीनी मिल, देवरिया पर गन्ना काश्तकारों का जुलाई-अगस्त, 1978 तक कुल 23.14 लाख रुपये (22.24 लाख रु0 सत्र 77–78 तथा 0.90 लाख रुपये पुराने वर्षों का) गन्ना मूल्य अवशेष था।

बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु सरकार ने इस मिल को 25 लाख रूपये का ऋण स्वीकार किया है जिसके फलस्वरूप अब दिनाँक 31–1–79 की स्थिति के अनुसार केवल 1.82 लाख रुपये गन्ना मूल्य अवशेष रह गया है जिस पर भी भुगतान किया जा रहा है।

गोरखपुर—गोला मार्ग के निजी बस-मालिकों की याचिका

13—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर-गोलामार्ग पर "सरकारी बसें न चलें, बल्कि निजी बसें ही चलें" इस सन्दर्भ में क्या बस मालिकों ने न्यायालय से कोई स्थगन आदेश लिया था ? यदि हाँ, तो क्या अब वह समाप्त हो गया ? यदि हाँ, तो उस मार्ग पर सरकारी बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ। गोरखपुर-गोला मार्ग पर निजी बस मालिकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था और वह अपनी बसें उक्त मार्ग पर चला रहे हैं।

उक्त याचिका अभी अनिर्णीत है तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी है।

गोरखपुर--पिपरौली बाजार मार्ग की बस सेवा सम्बन्धी पत्र

14--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर से पिपरौली बाजार तक बस चलाए जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र जुलाई, 1978 में सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ। बस सेवा चालू कर दी गयी है।

गोरखपुर के वर्डघाट रोडवेज बस डिपो की समाप्ति का कथित आदेश

15--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्डघाट (गोरखपुर) रोडवेज डिपो को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं।

गोरखपुर जिले के सम्पर्क मार्ग का निर्माण

16--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 24 मई, 1978 को गोरखपुर के जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के विभिन्न ब्लाकों में कितने किलोमीटर सम्पर्क मार्गों का निर्माण करने का निश्चय किया गया था ? क्या इस निर्माण को 30 जून तक पूरा करने का भी निर्देश था ? यदि हाँ, तो 16 जुलाई, 1978 तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है ?

श्री जमुना प्रसाद--

उक्त बैठक में 47.600 किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्गों को निर्मित किए जाने का निर्णय लिया गया था तथा इन्हें 30 जून, 1978 तक पूरा किए जाने का मौखिक निर्देश था परन्तु जून, 1978 में फसल की कटाई, मड़ाई और तदुपरान्त अतिवृष्टि आदि के कारण इन मार्गों का कार्य पूरा कराना सम्भव नहीं हो सका। 16 जुलाई, 1978 तक केवल 850 मीटर लम्बी सम्पर्क मार्ग पर ही मिट्टी डालने का कार्य कराया जा सका।

परिवहन निगम की "पिक-मी-अप" बस सर्विस

17--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन विभाग द्वारा गत वर्ष से कोई "पिक मी अप" बस सर्विस प्रदेश में शुरू की जाने वाली थी ? यदि हाँ, तो अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ की जा सकी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हाँ। परिवहन निगम के अधिकांश क्षेत्रों में "पिक मी अप" बस सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

गोरखपुर में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

18--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई, 1978 में केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को काम के लिए खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 80 हजार टन गेहूं दिया है ? यदि हाँ, तो स गेहूं से गोरखपुर जिले में कौन से निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद---

भारत सरकार ने श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 1,36,000 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है। गोरखपुर जनपद में उक्त योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायत राज विभाग तथा मण्डी परिषद द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, उनका विवरण नीचे तालिका में दिया हुआ है:---

विभाग का नाम	गोरखपुर जनपद में आवंटित गेहूं की मात्रा (मी0 टन में)	प्रस्तावित कार्य
1--सार्वजनिक निर्माण विभाग	150	30 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण।
2--सिंचाई विभाग	10	(1) नहरों एवं राजकीय नलकूपों के रख-रखाव के कार्य। (2) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण। (3) राजकीय नलकूपों का निर्माण।
3--पंचायत राज विभाग	598	25 सम्पर्क मार्गों का निर्माण।
4--मण्डी परिषद्	525	72.95 कि0 मी0 सम्पर्क मार्गों का निर्माण।

उक्त विभागों के अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा भी वनीकरण सम्बन्धी कार्य कराना प्रस्तावित है।

दलहन फसल के उत्पादन में वृद्धि हेतु दी गयी सुविधाएं

19---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन (अरहर, मटर, मूंग, उर्द, मसूर, चना) आदि की कुल कितनी पैदावार वर्ष 1977-78 में हुई और काश्तकारों को दाल पैदा करने पर क्या सुविधा प्रदान की गयी जिससे दालों का उत्पादन बढ़े? क्या दाल उत्पादन काश्तकारों को कोई सरकारी सहायता दी गई? यदि हाँ, तो वह धनराशि क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह---

वर्ष 1977-78 में प्रदेश में दलहनी फसलों का उत्पादन 24,28,000 मीट्रिक टन हुआ तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को निम्न सुविधायें प्रदान की गयीं :---

(1) संस्तुत सघन कृषि विधियों को अपनाने हेतु कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किये गये और इस पर 275 रुपये प्रति हैक्टर की दर से कृषि सामग्रियों के रूप में अनुदान दिया गया।

(2) फसल को कीट व बीमारियों से बचाव हेतु उपचार पर रसायन के मूल्य का 25 प्रतिशत 15 रुपये प्रति हैक्टर की अधिकतम सीमा तक अनुदान कृषि रक्षा रसायन के रूप में उपलब्ध कराया गया।

(3) कृषि रक्षा उपकरणों के क्रय पर कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(4) कृषि रक्षा उपचार में आपरेशनल चार्जेज पर 12.50 रु0 प्रति हैक्टर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(5) राइजोबियम कल्चर पर अधिकतम 10 रुपये प्रति हैक्टर की दर से अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

(6) कृषकों को उचित मूल्य पर दलहन का बीज उपलब्ध कराने के लिए एक रुपया प्रति किलोग्राम की अधिकतम सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया गया।

कृषकों को दलहन उत्पादन बढ़ाने लिए प्रदान की गयी उक्त सुविधाओं पर वर्ष 1977–78 में कुल 26,39,365 रुपया सरकारी सहायता दी गयी।

मिर्जापुर से हंडिया सैदाबाद व मछलीशहर–हंडिया लक्षागिरि आदि मार्गों पर बस सर्विस की मांग

20—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की ओर से दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 को इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि जनता एवं सरकार के हित में मिर्जापुर से हंडिया सैदाबाद, असड़िया घाट तक एवं भोपतपुर-पूरेमिया-हंडिया-विन्ध्याचल तक तथा जौनपुर के मछली शहर, हंडिया-लक्षागिरि तक सरकारी बस चलाई जावे ? यदि हाँ, तो कब तक बसें चालू कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ, प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त हुआ था। इसके संबंध में जो सर्वेक्षण कराया गया उससे ज्ञात हुआ कि इन मार्गों पर संचालन परिवहन निगम के लिए लाभप्रद न होगा। मार्ग राष्ट्रीय कृत नहीं है।

गन्ना अनुसन्धान केन्द्र, शाहजहांपुर में कथित जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति

21—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में गन्ना अनुसन्धान केन्द्र, शाहजहाँपुर में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेन्ट एवं कुछ अन्य पदों के लिए कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं ? यदि हाँ, तो इन नियुक्तियों में कितने लोग पिछड़े वर्ग तथा हरिजन के लिये गये ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत केन्द्र (संस्थान) में कोई नियुक्ति हाल में नहीं हुई है ? अतएव शेष का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

सीतापुर जिले के कतिपय क्षेत्रों के विकास हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

22—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1977–78 में सीतापुर जनपद के गावरी क्षेत्र, महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा, वेहटा तथा सकरन ब्लाक में विकास के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति सर्वे करने के लिए भेजी गयी थी ? यदि हाँ, तो उस विकास जाँच समिति ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी है ? क्या उस रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ। उक्त क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट काफी विस्तृत है। माननीय सदस्य उक्त रिपोर्ट तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पत्राचार्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

सीतापुर जिले के कृषि फार्मों के कर्मचारियों की संख्या एवं आय व व्यय का विवरण

23—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में कितने राजकीय कृषि फार्म ? इन राजकीय फार्मों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, व्यय तथा आय प्रति वर्ष क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सीतापुर जनपद में आठ राजकीय कृषि फार्म हैं।

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 293 पर)

सीतापुर जिले की सहकारी समितियों के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

24—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की कितनी सहकारी समितियों में वर्ष 1977–78 में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हुई हैं? जिन समितियों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं उन समितियों के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद सीतापुर की 9 सहकारी समितियों में वर्ष 1977–78 में भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 5 सहकारी समितियों के मामलों में जांच पूर्ण करके सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में दर्ज करा दी गयी है। शेष 4 समितियों के मामलों में विभागीय जांच की जा रही है। 3 पर्यवेक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जिन 5 सहकारी समितियों की जांच पूर्ण हो गयी है उनमें से दो समितियों के सत्यापन के आधार पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है उनकी प्रतियां व अन्य तीन समितियों की जांच रिपोर्ट† सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

सीतापुर जिले की सहकारी समितियों में गोदाम व उपभोक्ता भण्डार खोलने की योजना

25—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में कितनी सहकारी समितियों के मुख्यालयों पर खाद गोदाम तथा उपभोक्ता भंडार खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है? और इनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सीतापुर जनपद में समस्त 204 न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों के मुख्यालयों पर गोदाम तथा उपभोक्ता भंडार खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

इनमें से 48 समितियों के मुख्यालयों पर गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 23 ग्रामीण गोदाम इस समय निर्माणाधीन है व एक ग्रामीण गोदाम में इस माह में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 37 समितियों में गोदाम निर्माण प्रस्तावित हैं जिनमें शीघ्र निर्माण आरम्भ होने की आशा है।

शेष 95 समितियों में अगले तीन वर्षों में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ही ग्रामीण गोदाम बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

---

†छापी नहीं गई।

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि० द्वारा दी गयी एजेंसियां

26—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रदेश में किन-किन लोगों को 1978–79 में एजेन्सियाँ दी गयी हैं ? क्या एजेन्टों ने निर्धारित शर्तें पूरी कर दी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० द्वारा प्रदेश में जिला एवं ब्लाक स्तर पर जिन लोगों को उर्वरक विक्रय हेतु एजेन्सियाँ दी गयी हैं उनकी सूची† संलग्न है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु चार एजेन्ट तथा पशु आहार के विक्रय के लिए एक एजेन्ट की नियुक्ति भी की गयी है जिनका विवरण भी संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है जिसमें शर्तें पूरी कराये बिना एजेन्सी दी गयी हों।

शासकीय आदाता के अधीन चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

27—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितनी ऐसी चीनी मिलें हैं जिनमें रिसीवर नियुक्त हैं ? जिन चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त हैं, उनमें किसानों को उनके गन्ने का वर्ष 1978 का कितना बकाया देय है ? क्या इस गन्ने के बकाये की सरकार किसानों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री शिव मंगल सिंह—

इस समय प्रदेश की 15 चीनी मिलें शासकीय आदाता के अधीन कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध दिनाँक 31–1–79 को सीजन 77–78 का 299–85 लाख रुपये गन्ना मूल्य का किसानों को देय है। हाल ही में शासन ने वर्ष 77–78 व पूर्व वर्षों के बकाये के भुगतान हेतु ऋण दिया है, जिससे बकाया का वितरण किया जा रहा है।

28—श्री राम नरायन वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय कृषि फार्मों में घाटा

29—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे सरकारी कृषि फार्म हैं जो घाटे में चल रहे हैं ? जिन कृषि फार्मों पर घाटा आ रहा है, क्या उनके सम्बन्ध में कोई अन्य व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कुछ सरकारी कृषि प्रक्षेत्र घाटे पर चल रहे हैं। वर्ष 1977–78 के सम्बन्ध में अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1976–77 में 35 सरकारी कृषि फार्म घाटे पर चल रहे थे। घाटे की जाँच कराकर उन्हें लाभ पर लाने की कार्यवाही की जाती है।

जिला कृषि अधिकारी, श्री आत्मा राम, के कार्यकाल में हरदोई में गबन

30—श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी (श्री आत्माराम) कब से कब तक जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के पद पर रहे तथा उस अवधि में कितने कर्मचारियों द्वारा कितने गबन किये गये तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया और गोरखपुर की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

31—श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना विकास मन्त्री देवरिया और गोरखपुर जिले की गन्ना मिलों से गन्ना किसानों को उनके गन्ने का गत वर्ष का बकाया दाम शीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे ताकि बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत मिल सके ?

श्री शिव मंगल सिंह—

देवरिया और गोरखपुर जिले की 19 चीनी मिलों ने पिछले वर्ष 350·00 लाख रुपये मूल्य का गन्ना खरीदा था जिसमें से 270.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है और दिनांक 31-1-79 को केवल 79.44 लाख रुपया बकाया रह गया है ।

गोरखपुर और देवरिया जिले की रिसीवरशिप व चीनी निगम के अधीन चलने वाली चीनी मिलों को सीजन 1977-78 व उससे पूर्व सीजनों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 1.11 करोड़ रुपये का ऋण शासन द्वारा माह दिसम्बर, 78 व जनवरी, 79 में स्वीकृत किया गया है ।

राज्य कृषि औद्योगिक निगम लि०, बरहज बाजार, देवरिया के गोडाउन मैन श्री सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी की जमानत की धनराशि का भुगतान

32—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड के फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्र, बरहज बाजार, देवरिया पर कार्यरत गोडाउन मैन श्री सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी, जिनकी सेवाएं जून, 1976 में समाप्त कर दी गयीं के अदत्त देयों (जमानत आदि) का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो भुगतान कब तक हो जायेगा ।

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ । निगम पर उनके देयों की अपेक्षा श्री तिवारी पर एग्रो का देय अधिक है । उनके देयों का समायोजन निगम के देयोंके विरुद्ध करने के आदेश दिये गये हैं । अतएव उनके देयों का भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है ?

श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, लिपिक राज्य चीनी निगम, जिला गोरखपुर के वेतन का भुगतान

33—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, केन क्लर्क, चीनी राज्य निगम, पिपराइच, जिला गोरखपुर, जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 से दिनांक 21 दिसम्बर, 1875 तक डी० आई० आर० में देवरिया जिला जेल में राजनैतिक बन्दी थे और दिनांक 21 दिसम्बर, 1975 को जेल से छूटते ही कार्यभार ग्रहण कर लिया ? क्या उनको दिनांक 9 अगस्त, 1975 से 21 दिसम्बर, 1975 के बीच का वेतन अब तक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री चन्द्र देव पाण्डेय जो राजनैतिक बन्दी के रूप में जिला कारावास, देवरिया में बन्द थे एक सीजनल लिपिक हैं तथा बैठकी के लिए (off-season में) प्रतिधारण भत्ता (retaining allowance) पाते हैं । सीजन 1975-76 के पेराई का सत्र 2-12-75 को प्रारम्भ हुआ था । अतः श्री पाण्डेय को 1-12-75 तक का प्रतिधारण भत्ता दे दिया गया तथा 2-12-75 से 21-12-75 तक का वेतन भी दिया जा चुका है ।

पडरौना में बस डिपो के निर्माण की मांग

34——श्री श्रीनारायण——

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के पडरौना में सड़क परिवहन निगम का डिपो खोलवाने में उनके सामने कौन-कौन सी दिक्कतें हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——

देवरिया जनपद के पडरौना स्थान पर डिपो खोलने के लिए वहाँ डिपो वर्कशाप भी खोलना आवश्यक होगा और उसके लिए वहाँ पर्याप्त संख्या में बसों का होना आवश्यक है, जब कि वर्तमान समय में केवल 3 बसें ही वहाँ रात में रहती हैं। इसके अलावा यह स्थान देवरिया जनपद के उत्तरी एवं अन्तिम किनारे पर पड़ता है और यहाँ से चारों ओर बसों का संचालन सम्भव नहीं है।

देवरिया जिले के खण्ड विकास अधिकारियों का कार्यकाल

35——श्री श्रीनारायण——

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन विकास खण्डों में कौन-कौन से खण्ड विकास अधिकारी कब से कार्यरत हैं ? एक ही अधिकारी को एक ही स्थान पर 4 वर्ष से अधिक कार्यरत रखने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद——

देवरिया जिले में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित विकास खण्डों में उनके नाम के सम्मुख अंकित खण्ड विकास अधिकारी उल्लिखित तिथियों से कार्यरत हैं।

क्रमांक	खण्ड विकास अधिकारी का नाम व विकास खण्ड	वर्तमान विकास खण्ड में कार्यरत रहने की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री:——	
	1——चन्द्रशेखर सिंह——देवरिया	12-2-78
	2——दीप चन्द्र राम——बैतालपुर	16-10-76
	3——श्याम मनोहर वर्मा——रामकोला	2-9-73
	4——तेजपाल सिंह——देवरिया	13-8-78
	5——के0 पी0 सिंह——कसया	4-8-75
	6——रियाज अहमद——भलुअनी	7-10-78
	7——अशोक चन्द्र घर——दुधई	17-7-78
	8——जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी——पडरौना	17-9-75
	9——राजेन्द्र प्रसाद सिंह——भागलपुर	10-8-78
	10——नरेश चन्द्र जौहरी——पथरदेवा	10-8-78
	11——हरिद्वार धर दूबे——बनकटा	9-5-74
	12——रामअधार कुशवाहा——तमकुही	1-1-79
	13——बृजकिशोर त्रिपाठी——रामपुर का0	28-1-77
	14——लक्ष्मी नाथ चौधरी——खड्डा	10-8-78
	15——हरिशंकर वर्मा——हाटा	26-8-74
	16——रामनगीना सिंह——सलेमपुर	1-10-78
	17——रामाश्रय मिश्रा——भटनी	5-7-78
	18——श्यामकरन मिश्र——सुकुरौली	25-5-76

1	2			3
सर्वश्री				
19	ठाकुर प्रसाद मिश्र—सेवरही	..	..	19-8-74
20	रामानन्दराय—फाजिलनगर	..	..	20-9-77
21	रामचीन सिंह यादव—मोतीचक	..	..	11-10-75
22	विजय कु0 पाण्डे—लार	..	..	3-11-77
23	राम नरायन प्र0—बिशुनपुरा	..	..	1-1-79
24	केशव प्र0 त्रिपाठी—ने0 नौरंगिया	..	..	4-9-76
25	राजा राम गुप्ता—बरहज	..	..	28-1-77
26	रामदर्शन सिंह—भाटपाररानी	..	..	1-11-77
27	शारदा प्रसाद—गौरी बाजार	..	..	3-12-77
28	मनूदास—रुद्रपुर	..	..	1-9-76
29	चन्द्रभान सिंह—कप्तानगंज	..	..	17-12-77

शासन की साधारण नीति के अनुसार अधिकारियों को पाँच वर्ष तक एक स्थान पर कार्यरत रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चार वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारियों का कार्य संतोषजनक है। ऐसी स्थिति में इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

देवरिया जिले के कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण

36—श्री श्रीनारायण—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिंक रोड योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले के विकास खण्ड अधिकारी रामकोला नौरंगिया तथा खड्डा द्वारा निर्माणाधीन लिंक रोड किन कारणों से बन्द कर दी गयी है ? क्या आप इन योजनाओं की पूर्ति में विलम्ब करने वाले बाधक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री आर० पी० अवस्थी, जिला इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक (श्री आर0 पी0 अवस्थी), जनपद इटावा के विरुद्ध क्या माह अगस्त, 1978 में गम्भीर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं आदि का शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता के नोट सहित रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, इटावा का मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। परिवाद की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य जोन), उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को सौंपी गयी थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच श्री अवस्थी का स्थानान्तरण इटावा से झांसी कर दिया गया है।

फिरोजाबाद कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र

38—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के पशु चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं, घपला और घोटाले के कारण अढ़गढ़ा (केटलक्स) साड़ों के लिए हरा चारा, दाना आदि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

प्रश्नगत पशु चिकित्सालय के कार्य संचालन के बारे में कोई शिकायत नहीं पायी गई। इस पशु चिकित्सालय के प्रांगण में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी जांच आख्या विचाराधीन है।

39—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले के निजी नलकूपों की सिंचाई नाली को पक्का करने हेतु ऋण का प्राविधान

40—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा में वर्ष 1977–78 और 1978–79 में आगरा जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने निजी नलकूप हैं ? काश्तकारों को सिंचाई नाली पक्की करने को धन दिया है और इस प्रकार का धन देने का मानक क्या है ?

श्री ख्याली राम शास्त्री—

जनपद आगरा में वर्ष 1977–78 और 1978–79 के अन्त में प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यरत निजी नलकूपों की संख्या संलग्नक में दी जा रही हैं।

काश्तकारों को सिंचाई नाली पक्की करने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित दर 4,000 रु0 प्रति किलोमीटर प्रस्तावित नाली के हिसाब से ऋण दिये जाने का प्राविधान इस प्रतिबन्ध के साथ था कि कृषकों की ऋण अदायगी की क्षमता पर्याप्त हो किन्तु अभी तक बैंक से किसी कृषक ने पक्की नाली बनाने हेतु ऋण की मांग नहीं की है। जनपदों में चल रहे स्थानिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी लघु/सीमान्त कृषकों को उपरोक्तानुसार ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है जिसमें इन कृषकों को 25 प्रतिशत तथा 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 224 पर)

आगरा जिले के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

41—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1977–78, 1978–79 में लघु एवं सीमान्त काश्तकारों ने सिंचाई योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाए हैं ? क्या उन सभी नलकूपों को बिजली मिल चुकी है तथा क्या सरकार ने उन्हें नलकूप लगाने की कोई सहायता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी है ? यदि हां, तो वह सहायता क्या है ?

श्री ख्याली राम शास्त्री—

आगरा जनपद में वर्ष 1977–78 में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 43 तथा वर्ष 1978–79 में (30–11–78 तक) 16 विद्युत चालित नलकूप लगाये गये हैं। वर्ष 1977–78 में लगाये गये नलकूपों के 19 नलकूपों को तथा वर्ष 1978–79 में (30–11–78 तक) लगाये गये नलकूपों के 28 नलकूपों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो चुके हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को उन्हें सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए व्यावसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उस पर 25 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत की दर से राज्य सहायता वर्ष 1977-78 में दी गयी और अब भी यह सहायता दी जा रही है।

बटेश्वर नाथ पशु मेला से जिला परिषद् आगरा को हुई आमदनी एवं व्यय

42—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आगरा के प्रसिद्ध पशु मेला बटेश्वर से जिला परिषद् आगरा को वर्ष 1977-78 में कुल कितनी आमदनी हुई और क्या व्यय हुआ? व्यय के मद क्या हैं और आमदनी के मद क्या हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

आगरा जनपद के प्रसिद्ध मेला श्री बटेश्वर नाथ से 1977-78 में जिला परिषद, आगरा को कुल रु0 6,15,313 की आय हुई तथा मेले के संचालन में कुल 1,77,500 रु0 का व्यय हुआ। आय तथा व्यय के मद निम्नवत् हैं:—

आय के मद

1—पशुओं के क्रय विक्रय एवं पंजीकरण शुल्क	5,01,388.00
2—दुकानों की तह बाजारी, विद्युत किराया आदि	57,355.00
3—मोटर अड्डा वैरियर	16,120.00
4—पशुओं की लदाई-उतराई एवं यातायात कमीशन एजेंसी	40,000.00
5—साइकिल स्टैन्ड	250.00
6—मुर्दा मवेशीखाने के ठेके से आय	200.00
योग ..	6,15,313.00

व्यय के मद

1—डाकखाने के संचालन में डाक विभाग की क्षतिपूर्ति करना	464.00
2—सामान्य प्रशासन	69,219.00
3—मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर व्यय	17,238.00
4—सफाई व्यवस्था	14,484.00
5—मेला क्षेत्र में रोशनी एवं पानी की व्यवस्था	22,684.00
6—मानव एवं पशुओं की चिकित्सा	4,238.00
7—सांस्कृतिक प्रदर्शनी मनोरंजन आदि	5,164.00
8—पुलिस तथा अग्नि शमन की व्यवस्था	1,995.00
9—पशुओं के क्रय विक्रय हेतु पर्चियों तथा रजिस्टर आदि का मुद्रण	4,774.00
10—आवास हेतु डेरा तम्बू आदि की व्यवस्था	11,548.00
11—श्री बटेश्वरनाथ पर हवन, दीपावली एवं अखण्ड ज्योति का प्रज्वलित करना	695.00
12—काश्तकारों को प्रतिकर	7,902.00
13—मेला बैंक की स्थापना	1,142.00
14—अतिथियों एवं कवियों पर व्यय	3,688.00
15—लाउडस्पीकर एवं प्रचार	11,979.00
योग ..	1,77,500.00

फैजाबाद जिले की टांडा व बसखारी विकास क्षेत्रों में अन्त्योदय स्कीम से लाभान्वित परिवार

43—श्री अब्दुल हफीज—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिला के टांडा तहसील के दोनों ब्लाकों टांडा तथा बसखारी में अन्त्योदय स्कीम के अन्तर्गत कितने लोगों को सुविधा प्रदान करने का वर्ष 1978–79 में लक्ष्य है और अब तक कितने आदमी लाभान्वित हो चुके हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

फैजाबाद जिले के टाण्डा तहसील के विकास खण्ड टांडा तथा बसखारी में प्रति विकास खण्ड 400 परिवारों को सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष (1978–79) में रखा गया। विकास खण्ड टाण्डा में 12 परिवार तथा बसखारी में 19 परिवार अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।

44—श्री ईश्वर प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मिर्जापुर जिले के केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा नियन्त्रित वस्त्र का आवंटन

45—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार में माह जुलाई, 1978 से माह नवम्बर, 1978 तक विभिन्न प्रकार का कितना नियन्त्रित वस्त्र आया और किन-किन संस्थाओं एवं समितियों को कितना-कितना कपड़ा आवंटित किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के पशु चिकित्सालय, महाराजगंज के पशुधन विकास सहायक, श्री मकीनन तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

46—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पशुपालन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पशु चिकित्सालय महाराजगंज के पशुधन विकास सहायक (श्री मकीनन तिवारी) के विरुद्ध अप्रैल-मई, 1978 में कितनी शिकायतें गबन करने, अनुशासनहीनता बरतने एवं अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में जिला पशुधन अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुईं ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

47—श्री अब्दुल हफीज—

[4 थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ जिले की हरिजन बस्ती भरोसा में पेयजल कूप निर्माण की मांग

48—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी की हरिजन बस्ती ग्राम भरोसा में पेयजल योजनान्तर्गत कुएं का निर्माण होना वर्ष 1977–78 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में कुआं कब तक बनकर तैयार होने की सम्भावना है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं। वर्ष 1977–78 में ग्राम भरोसा की हरिजन बस्ती में पेयजल योजना के अन्तर्गत कुएं का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ था।

49—श्री राम आसरे वर्मा—

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा श्री बाबू सिंह तेबलिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा (श्री बाबू सिंह तेबलिया) के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित 34 आरोपों से युक्त शिकायती-पत्र जनपद आगरा के समस्त कृषि रक्षा कर्मचारियों की तरफ से उप निदेशक, कृषि रक्षा, लखनऊ को वर्ष 1975-76 में प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध उप निदेशक, कृषि रक्षा, लखनऊ ने दिनाँक 10 दिसम्बर, 1975 को जाँच की ? क्या यह भी सही है कि फिरोजाबाद आगरा के संसद सदस्य ने भी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र शासन को वर्ष 1977-78 में दिया है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है तथा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ, तैंतीस आरोपों से युक्त एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, लखनऊ द्वारा दिनाँक 10-12-1975 को जाँच आरम्भ की गयी जाँच के फलस्वरुप 9 आरोप पूर्णरूप से तथा 15 आरोप आँशिक रूप से सिद्ध पाए गए। 6 आरोपों के संबंध में जाँच जारी है। इस विषय में शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 1977-78 में फिरोजाबाद आगरा के संसद सदस्य से कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अतः जाँच का प्रश्न नहीं उठता।

51—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला सहकारी बैंकों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

52—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1978 से प्रदेश के सहकारी बैंकों में लिपिक एवं उससे ऊंचे पदों पर नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि हाँ, तो इन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों (उप जाति सहित) के लोगों की संख्या जिलेवार कितनी है ? क्या यह नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियम के नियम 3 का परिपालन करते हुए की गयी हैं ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के सहकारी बैंकों में लिपिक एवं उससे ऊंचे पदों पर जो नियुक्तियाँ की गयी हैं उनमें जनवरी, 1978 से की गयी नियुक्तियाँ तथा इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न है। यह नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियम के नियम 3 का परिपालन करते हुए की गयी है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 295-296 पर)

शारदा सहायक परियोजना द्वारा किराये पर लिये गये एग्रो व कृषि विभाग के ट्रैक्टर

53—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 एग्रो व कृषि विभाग के तमाम ट्रैक्टर सन् 1972 से शारदा सहायक परियोजना में मिट्टी दबाने हेतु किराये पर चलाये गये हैं जिसकी वजह से किसानों को समय पर ट्रैक्टर किराये पर नहीं मिल सके ? यदि हाँ, तो क्या कृषि मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1972 से तारीख 15 जून, 1978 तक यू0 पी0 एग्रो के ट्रैक्टरों के द्वारा कितने धन का शारदा सहायक परियोजना में कार्य किया गया है तथा क्या सिंचाई विभाग की परियोजनाओं में किराये पर ट्रैक्टर न लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

यह सही नहीं है कि यू0 पी0 एग्रो व कृषि विभाग द्वारा शारदा सहायक परियोजना में मिट्टी दबाने में ट्रैक्टरों को किराये पर लगाने के कारण कृषकों को ट्रैक्टर समय पर नहीं मिले। वर्ष 1972 से 15 जून, 1978 तक एग्रो व कृषि विभाग के ट्रैक्टरों द्वारा शारदा सहायक परियोजनाओं में 63,10,441.51 रु0 तथा 29,96,000 रुपये का कार्य किया गया।

एग्रो व कृषि विभाग द्वारा कृषकों को ट्रैक्टर बुकिंग कराने के पश्चात् उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्णित परिस्थिति में सिंचाई विभाग की परियोजनाओं पर ट्रैक्टरों को किराये पर लगाने पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होती।

श्री गंगा बख्श सिंह, सचिव व श्री विद्या प्रसाद उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा लेखक, जिला सहकारी बैंक, बहराइच के विरुद्ध शिकायती पत्र

54—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 बैंक इम्प्लाईज यूनियन के प्रान्तीय उपाध्यक्ष (श्री बृजेन्द्र सिंह) ने 1 जुलाई, 1976 को बहराइच की जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ लेखा लेखक (सीनियर एकाउन्टेंट) (श्री विद्या प्रसाद उपाध्याय) के द्वारा बरती गयी धन सम्बन्धी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायती-पत्र जिलाधीश एवं प्रशासक, बहराइच, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच, उप निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद तथा अन्य अधिकारियों को भेजे ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित शिकायती-पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ। श्री बृजेन्द्र सिंह के शिकायती पत्र दिनांक 1—7—76 में श्री गंगा बक्श सिंह, सचिव, जिला सहकारी बैंक, बहराइच एवं श्री विद्या प्रसाद उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा लेखक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं बैंक के धन के दुरुपयोग करने सम्बन्धी आरोप लगाए गए थे। शिकायती-पत्र की जाँच तत्कालीन उप निबन्धक सहकारी समितियाँ, फैजाबाद द्वारा की गई थी। शिकायती पत्र में लगाये गए कुछ आरोप सत्य पाए गए जिसके आधार पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही हेतु सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 68 (2) के अन्तर्गत उन्हें नोटिस दी गई है।

55—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के मोहल्ला ब्राह्मणीपुरा, निवासी श्रीमती सीता देवी, विधवा हरिचरन दास, भूतपूर्व प्रबन्धक सहकारी बैंक तथा श्री विजय कुमार भल्ला द्वारा 13 सितम्बर, 1976 से लेकर 25 सितम्बर, 1976 के बीच नगर कोतवाली, बहराइच में कोई एफ0आई0आर0 सहकारी बैंक, बहराइच के वरिष्ठ लेखा लेखक श्री विद्या प्रसाद उपाध्याय के विरुद्ध लिखायी गयी, जिसमें शिकायत-कर्त्ताओं के आर0डी0 एकाउन्ट से फर्जी हस्ताक्षर बनाकरश्री उपाध्याय द्वारा ही पैसा निकाले जाने का आरोप लगाया गया है ? यदि हाँ, तो वरिष्ठ लेखक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

12 सितम्बर, 1976 को श्री विजय कुमार भल्ला द्वारा नगर कोतवाली बहराइच में जिला सहकारी बैंक, बहराइच के वरिष्ठ लेखा लेखक, श्री विद्या प्रसाद उपाध्याय के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी जिसमें आर0 डी0 एकाउन्ट से श्री उपाध्याय द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर धन निकाले जाने का उल्लेख है। इस मामले की प्रारम्भिक जाँच उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा की गयी थी। जाँच में श्री उपाध्याय का आचरण संदिग्ध

पाया गया और उनके विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 (1) के अन्तर्गत औपचारिक जाँच करायी गयी तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 68 (2) के अन्तर्गत उन्हें नोटिस दी गयी है।

एग्रो शाखा इलाहाबाद के उद्यमकर्ता श्री क्षत्रपाल सिंह गौतम के खाते में अनियमितता

56—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 एग्रो के मुख्य हायर परचेज अधिकारी ने पत्रांक संख्या 8435/13 ह0 प0 वसूली उद्यम–हद–76–77 के द्वारा दिनाँक 11 जनवरी, 1977 को शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद को अवगत कराया है कि उद्यमकर्त्ता के खाते में शाखा द्वारा तमाम त्रुटियाँ की गयी हैं ? यदि हाँ, तो कृषि मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यमकर्त्ता को अब तक उसका सही खाता क्यों नहीं तैयार किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

यू0 पी0 एग्रो के मुख्य हायर पर्चेज अधिकारी द्वारा शाखा प्रबन्धक, यू0 पी0 एग्रो, इलाहाबाद को 11 जनवरी, 1977 के पत्र में श्री क्षत्रपाल सिंह गौतम, उद्यमकर्त्ता के खाते में पायी गयी अनियमितताओं से अवगत कराते हुए सम्बन्धित रिकार्ड माँगे गये थे। जाँच-पड़ताल के उपरान्त श्री गौतम का खाता सही कर दिया गया और उनको तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों की ज्येष्ठता सूची

57—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जा रहा है ? क्या इस ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में जो सूची अभी हाल ही में प्रसारित की गयी है उसमें लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों और शासनादेशों को ध्यान में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कैसे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में राजपत्रित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण सिद्धान्ततः सीधी भर्ती व प्रोन्नति से आये अधिकारियों के बीच नियमानुसार 50:50 के अनुपात में अन्तिम रूप से किया जाना है। अर्न्तज्येष्ठता संबंधी जो सूची अभी हाल में प्रसारित की गयी है वह अनन्तिम रूप से, लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी की गयी है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति

58—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक प्र0 अ0–195 (सरकुलर) 76–17472, दिनाँक 24 दिसम्बर, 1977 के द्वारा समस्त सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश को लिखा है कि मण्डी समितियों में होने वाले रिक्त स्थानों पर कृषि विभाग के छटनीशुदा कर्मचारियों को जो निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हों नियुक्ति में वरीयता दी जाय ? यदि हाँ, तो अब तक राज्य उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कितनी नियुक्तियाँ की गयीं और प्रदेश की मण्डी समितियों में कितनी नियुक्तियाँ की गयी ? क्या यह सत्य है कि छटनीशुदा कर्मचारियों को वरीयता एवं छटनी के आधार पर नहीं रखा जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ। अब तक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा सात नियुक्तयाँ की गयी हैं और प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इक्कीस नियुक्तियाँ की गयी हैं।

जी नहीं।

राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर द्वारा प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का आरक्षण

59—बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, कानपुर द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 को प्रशिक्षण हेतु कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है? क्या इस चयन हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा प्रशिक्षण हेतु पत्र संख्या 07/शिशु 18328, शिशु 12/400 कोई सूची भेजी गयी थी? क्या उक्त सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए कोई रिजर्व कोटा था? यदि हां, तो चयन की गयी सूची में कितने लोग रिजर्व कोटे से लिए गये? क्या चयन किए गए लोगों में कुछ महिलाएं भी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ मण्डल के जिला परिषदों में लिपिकों की नियुक्ति

60—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अप्रैल, 1974 से मार्च, 1978 तक लखनऊ मण्डल की किन-किन जिला परिषदों में लिपिकों की नियुक्तियां बिना पद को विज्ञापित किए तथा सेवायोजन कार्यालय से बगैर नाम मांगे तथा बगैर उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 में वर्णित चुनाव प्रक्रिया का अनुसरण किए, की गयी हैं? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इस प्रकार की गयी नियुक्तियों को समाप्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों पर दिया गया अनुदान

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि सरकार ने सन् 1977–78 में फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों पर राजकीय गोदामों एवं शीर्ष संस्थाओं (एपेक्स इंस्टीट्यूट) के द्वारा 20 प्रतिशत अनुदान कृषकों को दिया गया है? यदि हां, तो छोटे कृषक इससे कहां तक लाभान्वित हो सके हैं तथा फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की कीमत पूर्ति (सप्लाई) के प्रारम्भ में ही कम करने पर विचार करेंगे?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां। 20 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदेश के सभी कृषकों को बराबर दिया गया। ग्राम समाज अथवा सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि के आवंटियों को 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की और राज सहायता वर्ष 1977–78 में दी गयी थी।

उर्वरकों की कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः उर्वरकों की कीमत प्रारम्भ में कम करने का विषय भारत सरकार के कार्यक्षेत्र का है।

62—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

63—श्री राम नरायन वर्मा—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]।

1979—80 का आय-व्ययक

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

अब मैं मद संख्या 2 ले रहा हूं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे—)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से . . .

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

नियम 315 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. . . . .

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री राजनाथ सिंह आदि कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री मधुकर दिघे—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1979—80 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बजट की कापी बंटवा दीजिए।

(बजट की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री राजनाथ सिंह—

मैं आपका ध्यान नियम 315 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. . . .

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

आप (श्री दिघे से) जरा जोर से पढ़ें।

(बजट भाषण जारी रहा)

(घोर व्यवधान, मेजों को थपथपाना शुरू किया गया)

श्री मधुकर दिघे—

1—कुछ अपरिहार्य कारणों से अगले वर्ष की योजना का आकार अभी तय नहीं हो पाया है, अतः इस समय एक अन्तरिम बजट ही प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किए गए हैं। अगले वर्ष का सम्पूर्ण बजट, व्यय की नई मदों तथा नई योजनाओं इत्यादि का समावेश करते हुए, यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा। बजट अनुमानों के विस्तृत ब्योरे तथा उनसे सम्बन्धित समीक्षात्मक टिप्पणियां भी पूरे बजट के साथ प्रस्तुत की जायेंगी

2—अन्तरिम बजट के आधार पर तीन महीने का लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ परम्परानुसार एक श्वेत पत्र भी प्रस्तुत है। माननीय सदस्यों को प्रस्तुत

वित्तीय विवरण-पत्र तथा श्वेत पत्र में लेखानुदान के प्रयोजन के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध हो जायेगी ।

3—यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1979–80 में कुल प्राप्तियाँ 1552.05 करोड़ रु0 होंगी जिसमें 1342.04 करोड़ रु0 की राजस्व प्राप्तियाँ, 166.83 करोड़ रु0 की ऋणों से शुद्ध प्राप्तियाँ तथा 43.18 करोड़ रु0 की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य के अपने करों से 460.85 करोड़ रु0, करेतर राजस्व के रूप में 220.11 करोड़ रु0, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 540.27 करोड़ रु0 तथा केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 120.81 करोड़ रु0 प्राप्त होने का अनुमान है। ऋणों से शुद्ध प्राप्तियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों का अनुमान 127.50 करोड़ रु0 तथा अन्य आन्तरिक ऋणों का अनुमान 39.33 करोड़ रु0 लगाया गया है ।

4—बजट वर्ष में कुल व्यय 1641.20 करोड़ रु0 अनुमानित है। राजस्व लेखे के अन्तर्गत कुल 1168.28 करोड़ रु0 के व्यय का अनुमान लगाया गया है। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कुल व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से, जिन्हें लेखे में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है, 27.78 करोड़ रु0 से कम है, किन्तु आयोजनागत पक्ष में अनुमानित 296.50 करोड़ रु0 के व्यय को हिसाब में लेकर कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान 268.72 करोड़ रु0 है। ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिए 204.20 करोड़ रु0 की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

5—वर्ष 1979–80 में संचित निधि में कुल 89.15 करोड़ रु0 का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे के अन्तर्गत अनुमानित लगभग 75.14 करोड़ रु0 की शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर वर्ष के समस्त लेन-देनों के फलस्वरूप 14.01 करोड़ रु0 का घाटा अनुमानित है ।

6—इस वर्ष केन्द्रीय सरकार वर्ष 1977–78 के लगभग 175 करोड़ रु0 के ऋणात्मक अन्तिम शेष को पूरा करने के लिए इतनी ही राशि का मध्यम-कालीन आयोजनेतर ऋण दे रही है जिससे आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष का अन्तिम शेष केवल (–) 35.67 करोड़ रु0 रह जाएगा। यह घाटा राज्य सरकार को रिजर्व बैंक से प्राप्य अर्थोपाय अग्रिम से पूरा कर लिया जायेगा ।

7—चालू वर्ष के उपरोक्त अनुमानित घाटे को तथा अगले वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप सम्भावित 14.01 करोड़ रु0 के घाटे को मिलाकर अनुमान है कि अगले वर्ष का अन्तिम ऋणात्मक शेष 49.68 करोड़ रु0 होगा। परन्तु अगले वर्ष के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट के तैयार हो जाने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

8—जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था, अगले वर्ष की योजना का आकार अभी निश्चित नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा 1979–80 की वार्षिक योजना के प्रारूप में 1269 करोड़ रु0 के प्रस्ताव योजना आयोग की सहमति के लिए भेजे गये थे। कई अवसरों पर विचार-विमर्श के उपरान्त योजना आयोग ने अगले वर्ष की योजना 690 करोड़ रु0 की इंगित की है जिसे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस वर्ष के 755 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में इस घटी हुई धनराशि का मुख्य कारण यह है कि जब कि वर्ष 1978–79 में केन्द्रीय सहायता की धनराशि लगभग 330 करोड़ रु0 है, अगले वर्ष केन्द्रीय सहायता की धनराशि 250 करोड़ रु0 इंगित की गयी है ।

9—राष्ट्रीय विकास परिषद् की 24 व 25 फरवरी की बैठक में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है कि पिछड़े राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं (Centrally sponsored schemes) की लगभग 6000 करोड़ रु0 की धनराशि में से 2,000 करोड़ रु0 काट कर अगले चार वर्षों में 14 गाडगिल फार्मूले

[श्री मधुकर दिघे]

के प्रदेशों को उपलब्ध कराये जायेंगे, लेकिन उसके साथ केन्द्र पोषित योजनाओं की संशोधित व्यवस्था भी सम्बद्ध रहेगी। उपर्युक्त 2000 करोड़ रु0 की धनराशि को बांटने के लिए गाडगिल फार्मूले के स्थान पर एक अन्य फार्मूला, जिसे "Income adjusted to total population" कहा जाता है के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अगले 4 वर्षों में 424 करोड़ रु0 मिलनेकी सम्भावना है। इस 424 करोड़ रु0 में से अगले वर्ष कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश को और किन शर्तों पर मिलेगी, यह अभी भारत सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार इस बात पर लगातार जोर दे रही है कि आयोजनागत परिव्यय प्रदेश की समस्याओं के अनुरूप और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं और कोई अन्तिम निर्णय 1979-80 की योजना के आकार के बारे में लेना अभी सम्भव नहीं हो सका है।

(वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे अपना भाषण पढ़ते रहे और उनके भाषण के मध्य अनेक सदस्यों द्वारा बराबर बहुत शोर होता रहा। सर्वश्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, राजनाथ सिंह, अशफाक अहमद, पूरन चन्द्र, शारदा प्रसाद जायसवाल आदि कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये उनमें से कुछ माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान नियम 315 की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहे।)

(घोर व्यवधान)

(तत्पश्चात कुछ सदस्य व्यवधान उत्पन्न करते हुए सदन के बीच खाली स्थान पर आ गए पूरन चन्द्र के साथ खड़े हुए सदस्य डायस के ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे तो उनको विधान सभा सुरक्षा गार्डों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। श्री पूरन चन्द्र जनरल राइटर के बायीं ओर की मेज पर खड़े होकर 'गुण्डागीरी की सरकार नहीं चलेगी' नारा लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई। 12 बजकर 22 मिनट पर मार्शल ने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रहने की सूचना दी। मार्शल ने 1 बजे श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन के 1.30 बजे तक के लिए पुनः स्थगित किए जाने की सूचना दी।

तदुपरान्त 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

आज नियम 301 आदि की सूचनाओं को बजट तथा लेखानुदान से पूर्व लिये जाने का प्रस्ताव

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष बजट भी प्रस्तुत किया जाता रहा है और लेखानुदान भी प्रस्तुत होते रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि शून्य प्रहर समाप्त कर दिया जाय। हमारी नियमावली में एक क्रम दिया हुआ है जिसके अनुसार हर चीज को क्रम से रखा जायगा। एजेंडे का क्रम निर्धारित है। दिनांक 9 मार्च को कार्य-मन्त्रणा समिति ने यह सिफारिश की थी कि नियम 301 आदि की सूचनाएं सवा 4 बजे ली जायेंगी, लेकिन मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पूर्व की भांति शून्य प्रहर की सूचनाएं इस समय पहले ले ली जायं और उसके बाद लेखानुदान व बजट आदि लिया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य-मन्त्रणा समिति ने इस क्रम को बदला और सदन ने उसे स्वीकार किया। उस परिवर्तित कार्यक्रम को सदन स्वीकार कर चुका है। मैं स्वयं यह चाहता था कि किसी तरह का परिवर्तन न किया जाता और लेखानुदान व बजट 3 बजे से पहले न रखा जाता। माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि शून्य प्रहर की सूचनाएं पहले ले ली जायें और लेखानुदान पर विचार व मतदान आदि 3 बजे से हो, मैं उससे सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम 301 आदि की सूचनाएं पूर्व की भांति इस समय ले ली जायं और उसके बाद 3 बजे लेखानुदान व बजट आदि लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, दो आदमी आपस में कोई समझौता कर लें यह तो ठीक नहीं है। यह नियमों का उल्लंघन है। परसों कार्य मन्त्रणा समिति की जो बैठक हुई थी उसमें सर्व सम्मति से एक चीज तय हुई थी और सदन ने उसे स्वीकार किया था। अब बिना हम लोगों की बात सुने हुए दो आदमी कोई परिवर्तन कर लें, तो दो आदमियों के गठबन्धन से तो यह सदन नहीं चलेगा. . . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

प्रश्न यह है कि कार्य मन्त्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और प्रस्ताव एक मत से पारित हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि बिना नेता विरोधी दल से परामर्श किए हुए तथा बिना अन्य विरोधी दलों के नेताओं से पूछे हुए, यह गुपचुप परिवर्तन कैसे हो गया ? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी जो यह परिवर्तन किया गया और माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी को यह प्रस्ताव लाना पड़ा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे तथा कुछ अन्य नेताओं को परामर्श के लिए अपने कक्ष में बुलाया था, मैं नहीं जानता हूं कि माननीय उप नेता, साम्यवादी दल, को बुलाया गया था या नहीं, किन्तु जहां तक इस परिवर्तन का प्रश्न है यह ठीक ही है और इसमें तो हम माननीय सदस्यों की एक तरह से अधिकारों की विजय ही हुई है। कार्य मन्त्रणा समिति के प्रस्ताव में एक तरह की जो खामी रह गयी थी वह दूर हो रही है। विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने भी इसके लिए मांग की थी कि शून्य प्रहर की सूचनाएं आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पहले आने चाहिए। कार्य मन्त्रणा समिति में ही जब यह प्रस्ताव लिया जा रहा था उस समय उसकी भाषा समझ में कुछ गलत आई, वरना उसी समय उसका विरोध किया जाता। यह जो परिवर्तन का प्रस्ताव है यह बिलकुल ठीक है। अत्यन्त महत्व के विषयों को बजट के दिन भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारी तरफ से भी समय की मांग की जाती रही है। इस पर समय की मांग हमारी ओर से की गई है। इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ कहा जाय कि यह उचित नहीं है। इसमें मान्यवर, विरोधी दल की विजय है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह शून्य प्रहर जब हम चाहेंगे, तब नहीं हो जायगा, शून्य प्रहर का समय निर्धारित है। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे या 2 बजे प्रारम्भ कर दें, इस तरह की परम्परा हम डालेंगे, तो इससे कार्य में व्यवधान होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने एक निर्णय लिया था और उस पर किसी माननीय सदस्य ने आपत्ति भी नहीं उठाई थी। सदन को कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार है। सदन कार्य-मन्त्रणा समिति के ऊपर है। माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी ने एक प्रस्ताव किया और उसे माननीय नेता सदन ने स्वीकार किया है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, कार्य-मन्त्रणा समिति बैठती और उसमें जो निश्चय होता वह उचित था। इस प्रकार से कुछ नेता लोग आपस में बैठकर एक बात तय कर लें, यह उचित नहीं है। कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठकर जो बात तय होती, वह सदन में रखा जाता, तो उचित होता।

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि देव बहादुर सिंह जी इतने पुराने सदस्य होते हुए भी सदन से कार्य मन्त्रणा समिति को ऊपर समझते हैं। सदन को पूरा अख्तियार है कि वह बिना कार्य मन्त्रणा समिति की राय से कार्यक्रम तय कर सकता है। प्रस्ताव मेरा नहीं, प्रस्ताव तो माननीय केशरी नाथ जी का है। मैंने तो उसको स्वीकार किया है और माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपनी सहमति प्रकट की है। माननीय देव बहादुर सिंह जी के नेता भी वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने स्वीकार किया है। अब इस पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह प्रस्ताव जो है, नियमानुसार नहीं है। प्रस्ताव अगर यह होता कि कार्य मन्त्रणा समिति को दुबारा विचार करने के लिए भेज दिया जाय, तब तो उचित था, अथवा प्रस्ताव यह होता कि उस प्रस्ताव के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए कार्य-मंत्रणा समिति को सौंप दिया जाय। परम्पराओं के अनुसार, कन्वेंशन्स के अनुसार और जो भी पीठासीन अधिकारी हो चुके हैं, उन्होंने व्यवस्थायें दी हैं, उसके अनुसार यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदन ने एक निश्चय किया है। जैसा माननीय नेता सदन ने बताया, यह सदन जो है किसी भी समिति के ऊपर है, सक्षम है और इसका सर्वोच्च अधिकार है। इसलिए इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस सदन की अब तक शून्य प्रहर की जो परम्परा रही है, अगर किसी विशेष कारण से इस सदन ने कोई परिवर्तन किया और फिर किसी विशेष कारण से रद्द करके उस परम्परा को रखा है, तो इसमें हमारे देव बहादुर सिंह जी और नेगी जी को क्या आपत्ति हो सकती है। आज फिर वही परम्परा कायम हो रही है तो हमको तो खुश होना चाहिए। इसमें हम सब की विजय है। उस परम्परा की विजय है, मान्यवर।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर माननीय पाण्डेय जी इससे खुश हो गये हैं, तो मैं भी इससे खुश हूंगा।

विधान परिषद् में बजट की प्रतियां समय से पूर्व वितरित किए जाने पर बजट की गोपनीयता भंग किए जाने का आरोप

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 207 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि बजट पहले विधान सभा में पेश किया जायगा, कौंसिल में नहीं पेश किया जायगा।

मान्यवर, आज कौंसिल पौने 12 बजे के पहले स्थगित कर दी गई। कौंसिल में बजट की प्रतियां वितरित हो गयीं,उसके बाद यहां पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश करना शुरू किया है। उसके पहले कौंसिल में पौने 12 बजे बजट की कापियां वितरित कर दी गयीं ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इंगलैण्ड की जो पहली गवर्नमेंट थी उसके वित्त मन्त्री श्री डाल्टन साहब थे। उन्होंने सदन में बजट पेश करने से 5 मिनट पूर्व अपने एक मित्र से लाबी में बजट की एक ग्रान्ट की लीकेज कर दी थी जिसे एक संवाददाता ने सुन लिया था और उसने उस सूचना को अपने अखबार तक पहुंचा दिया था जिसके आधार पर उस अखबार ने स्पेशल सप्लीमेंट निकाल दिया था और उस आधार पर डाल्टन साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। मान्यवर, विधान सभा का अधिकार है कि बजट को सबसे पहले यहाँ पेश किया जाय। बजट की प्रतियाँ समय से पहले विधान परिषद् के सदस्यों और प्रेस सम्वाददाताओं को वितरित करके गोपनीयता भंग की गयी है, तथा सदन का अवमान किया गया है। मैंने इसकी सूचना सचिव महोदय को लिख कर भेज दी है। मान्यवर, पहले इस पर विचार होना चाहिए, बाद में कोई और कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री तिवारी जी ने जो आपत्ति उठाई है इसमें किसी दूसरे सदन में क्या हो रहा है, यह इस सदन को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वह वहाँ पेश हो चुका है, मैं इसकी जाँच कर लूंगा और बाद में उस पर अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इसमें जाँच का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि वित्त मन्त्री जी स्वयं सदन में मौजूद हैं। बजट काउंसिल में पहले पेश हो चुका है अतः अब उन्हें कोई अधिकार नहीं है। शिकायत यह है कि क्या काउन्सिल में बजट पेश हुआ है ? यह सदन आपके माध्यम से जानना चाहता है कि बजट वहाँ पेश हुआ है या नहीं ? इसमें न किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और न किसी जाँच की ही आवश्यकता है जबकि वित्त मन्त्री जी यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, 12 बजे वहाँ बजट पेश करने का समय था। पेश करने के समय से पूर्व ही वहाँ बजट की प्रतियाँ प्रेस के सभी लोगों को वितरित की गयी हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि बजट की कापी बाँटी गयी या नहीं और वित्त मन्त्री उसका स्पष्टीकरण दें। एक माननीय सदस्य अपनी पूर्ण सूचना के आधार पर एक ऐसा तथ्य सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सदन की कार्यवाही बिना उसकी जाँच किए न चलायें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना मैंने दी है। प्रश्न स्पष्ट है कि क्या पौने बारह बजे काउन्सिल में बजट पेश करने का समय था ? अगर काउन्सिल में बजट की प्रतियाँ वितरित की गयी हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि बजट का लीकेज हो गया। अगर बजट का लीकेज हो गया है तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रहा।

वित्त मन्त्री जी यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले वे इस्तीफा दें उसके बाद नये वित्त मन्त्री बजट पेश करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि परम्परा और प्रणाली के विपरीत, अगर यह तथ्य सही है कि पौने बारह बजे वहाँ पेश हुआ है।

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें, मैंने उनको इजाजत दे दी है। आप उनको सुन लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह माननीय सदन, जो दूसरा सदन है, विधान परिषद् में जो कुछ घटित हुआ है उसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ विचार विमर्श कर सकता है ?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कह चुका हूं कि दूसरे सदन में क्या हो रहा है इससे हमारा ताल्लुक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अब तक की परम्परा यह रही है कि चाहे मुख्य बजट हो या पूरक बजट हो या अन्तरिम बजट हो, यह निश्चय राज्यपाल करते हैं कि किस तिथि को किस समय वह पेश होगा। संविधान में लिखा है कि राज्यपाल बजट या पूरक बजट या अन्तरिम बजट की तिथि या समय निश्चित करेंगे, इस सदन के लिए और दूसरे सदन के लिए भी। आपके पास मान्यवर, आदरणीय राज्यपाल महोदय का पत्र होगा कि फलाँ तिथि को इतने बजे पूरक बजट पेश होगा और इसीलिए वित्त मन्त्री ने ठीक बारह बजे, जीरो आवर को कट करते हुए बजट पेश किया क्योंकि 12 बजे का समय राज्यपाल महोदय ने निश्चित किया था। अब अगर दूसरे सदन में पौने बारह बजे पेश हो गया तो यह संविधान के विरुद्ध हुआ, नियमों की और गवर्नर के आदेश की अवहेलना हुई। मैंने बजट बहुत पेश किए हैं। पूरक बजट भी पेश किया है, अन्तरिम बजट भी पेश किया है। तो जो समय निश्चित होता था उस समय पेश किया है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे सदन में, कौन से कारण रहे हैं कि ऐसा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे सदन में क्या हो रहा है, क्या इस पर हम यहाँ विचार कर सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह प्रश्न जो उठाया गया है यह दूसरे सदन की कार्यवाही का नहीं है। दूसरे सदन की कार्यवाही की टिप्पणी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि इस सदन में 12 बज रखा जाना था तो क्या यहाँ पौने 12 बजे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो अगर यहाँ पेश नहीं हो सकता था जो कि मुख्य सदन है, जहाँ पर ग्रान्ट पर वोट होता है तो दूसरी जगह चाहे वह दूसरा सदन हो या बाहर हो, पौने बारह बजे पेश नहीं हो सकता। तो अगर यह हुआ, दूसरे सदन में जहाँ ग्रान्ट पर वोटिंग नहीं होती है, वहाँ केवल एप्रोप्रिएशन बिल पर वोटिंग होती है, तो यहाँ पर जो समय निर्धारित था उससे पहले दूसरे सदन में पेश नहीं हो सकता। इसमें दो बातें हैं—एक तो यह, कि क्या दूसरा सदन पौने बारह बजे स्थगित हुआ और स्थगित होने के पहले क्या बजट पेश किया गया ? क्या इस सदन से

पहले किसी सदस्य को प्रतियाँ बंटी हैं ? होता यह है कि जब यह कहा जाता है कि मैं बजट प्रस्तुत करता हूं तो प्रतियाँ बाँटी जाती हैं। इसलिए अगर यह हुआ है तो नियमों के विपरीत हुआ है, परम्परा के विपरीत और संविधान के विपरीत हुआ है। राज्यपाल महोदय के आदेश की अवहेलना हुई है। इसलिए इस पर अवश्य सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए। अब मैं वित्त मन्त्री को सुझाव दूंगा कि वह इस पर खेद प्रकट करें कि इस प्रकार की गलती भविष्य में हमसे नहीं होगी।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति की जा रही है मैं समझता हूं कि वह पूरी जानकारी न होने के कारण है। मैंने अभी पता लगाया है और कुछ माननीय सदस्य विधान परिषद के यहाँ बैठे हैं उनसे पता लगा कि वहाँ पर ठीक 12 बजे बजट पेश किया गया है। यह कहना गलत है कि वहाँ पर पौने बारह बजे बजट पेश किया गया है। उसमें कोई लीकेज नहीं हुआ है। इसलिए यह प्रश्न सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने का था। दूसरा प्रश्न यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद् का उतना ही सम्मान है जितना इस सदन का। इसलिए उनके सम्बन्ध में कोई बात करना ठीक नहीं है।

इसके अलावा इस बजट को वहाँ पर श्री राम अधार पाण्डेय एम0एल0सी0 ने पेश किया है, वे उस सदन के नेता हैं। यदि मान भी लिया जाय कि किसी मन्त्री ने वहाँ पर पौने 12 बजे बजट पेश किया तो प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उसी सदन में पेश हो सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। इसलिए न मेरी तरफ से और न वित्त मन्त्री की तरफ से इसमें कोई खेद प्रकट करने की बात है। सर्वप्रथम मैंने कहा कि यह गलत है और बड़ा अफसोस है कि माननीय जिवारी जी इतनी जल्दी, बिना जानने की कोशिश किए हुए, ऐसा सेंसिटिव मामला जिसका ताल्लुक दूसरे सदन से है, उसके सम्बन्ध में संविधान का खण्ड 205 पढ़कर सुना दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह आपत्ति निराधार है और बजट का कोई लीकेज नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपत्ति उठाई गयी है उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यह आपत्ति यहाँ नहीं उठाई जानी चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक इस सदन से नहीं है। इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, दूसरे सदन के बारे में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, यह पहला प्रश्न है। तो इसमें जो व्यवस्था आपने दिया उसमें कोई बात नहीं लेकिन प्रश्न सीमित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि राज्यपाल महोदय के निदेशानुसार 12 बजे इस आदरणीय सदन में बजट पेश किया गया। अब देखना यह है कि 12 बजे के पहले क्या इस सदन के बाहर किसी सदस्य के हाथ में बजट की प्रति देखी गयी ? मेरा निश्चित मत है कि इस सदन के परिसर में 12 बजे के पहले जो इस सदन के सदस्य नहीं थे उनके हाथ में यह बजट की कापी पायी गयी है। मेरा कहना इस आधार पर है। इस सदन के बाहर प्रतियाँ देखी गयीं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

लेकिन पौने बारह बजे लोगों के हाथ में प्रतियाँ थीं।

श्री मकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, पौने बारह बजे के पहले प्रतियाँ देखी गयीं, यह गलत है। ये केवल सदन का टाइम जाया करना चाहते हैं। आप इनको बिठाइए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

12-00 बजे के पहले सदस्यों के हाथों में प्रतियां देखी गयीं।. मुझको यह निश्चित जानकारी दी गयी . . .

(व्यवधान)

12-00 बजे के पहले सदन के बाहर के लोगों के हाथ में प्रतियां देखी गयीं। इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री के विरुद्ध जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इस आपत्ति को मैंने अस्वीकार किया है। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं नेता सदन से बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जब उनके पीछे तालियाँ बजें तो कृपया उन तालियों से प्रभावित न हों क्योंकि तालियाँ उत्तेजनात्मक होती हैं। कुछ बोलने में जोश बढ़ा देती हैं। जैसे ही तालियाँ बजीं, मुख्य मन्त्रित्व का पारा चढ़ गया।

श्री बनारसी दास--

आप कृपया बैठिए। आपकी शक्ल को देखकर मुझको उत्तेजना हो ही नहीं सकती।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपका जितना आदर उस पक्ष के लोग करते हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उससे कम आदर यह पक्ष नहीं करता। हम उतना ही आदर करते हैं, उससे कम नहीं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि राज्यपाल महोदय ने किस समय के लिए आज्ञा दी। यहाँ वह 12-00 बजे का था और वहाँ भी 12-00 बजे हो सकता है। तो मसले के लिए मेरा निवेदन है कि एक समिति बिठाइए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इस विषय को अस्वीकार किया। मैं इसके ऊपर व्यवस्था दे चुका हूं। यह बात वहीं उठानी चाहिए थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार किया। जिस सदन की बात थी, वहीं चर्चा होनी चाहिए। अब आप कृपया बैठिए।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, आपने निर्णय दे दिया। अब नेता विरोधी दल क्या चाहते हैं ? विधान परिषद् की भी कार्य-सूची है और विधान सभा की भी कार्य-सूची है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दी थी, उसमें एक वाक्य और कहा था कि जाँच करा लेंगे, देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैंने प्रारम्भ में कहा था, फिर सुनने के बाद यह फैसला लिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह जाँच होगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

सुनने के बाद मैंने यह फैसला लिया। अब सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी उसमें कहा कि दूसरे सदन की कार्यवाही के बारे में यहाँ चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है। सवाल है कि 12-00 बजे राज्यपाल महोदय ने इस सदन में बजट पेश करने की अनुमति दी। प्रश्न यह है कि 12-00 बजे से पहले इस बजट की प्रतियाँ चाहे इस सदन के बाहर हों या दूसरे सदन के अन्दर हों, लेकिन प्रतियाँ बंटी। अब इसमें दो राय नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत नालेज के आधार पर कहा है कि बजट की प्रतियाँ 12-00 बजे के पहले बंटी। मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था देने के पूर्व, नेता विरोधी दल ने जैसा कहा है, जाँच करा लें और जो सहायता हमसे हो सकती है हम भी देने को तैयार हैं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने एक प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे दी तो उस पर बहस करना अध्यक्ष का निरादर करना है। इसलिए अब इस पर बहस न करायें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यही कहने जा रहा था।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है कि दूसरे सदन की चर्चा यहाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। उसमें मैंने यह नहीं कहा कि दूसरे सदन के बारे में चर्चा की जाय। जैसा नेगी जी ने कहा कि 12-00 बजे बजट पेश होने को था उसके पहले ही लीक हो गया। अगर सदन के निश्चित समय पर बजट प्रस्तुत करने से पहले लीक होता है तो व्यवस्था का प्रश्न बनता है। आदरणीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि दूसरे सदन के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। वित्त मन्त्री जी को 12-00 बजे सदन में बजट प्रस्तुत करना था। अब अगर वह उसके पहले ही लीक हो जाय, चाहे वह हजरतगंज में हो, चाहे अन्डमान निकोबार में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, तो यह निश्चित रूप से व्यवस्था का प्रश्न बनता है आपसे निवेदन है कि अन्याय न करें और आप उसकी जाँच अवश्य करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सोहनवीर सिंह तोमर ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह जब हमारे सामने विचाराधीन होगा तब हम देख लेंगे। अब वित्त मन्त्री जी का जो थोड़ा सा बजट भाषण शेष रह गया था उसे वह पूरा कर लें तब मैं नियम 301 लूंगा।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष जी, यह एक तकनीकी प्रश्न है और इसकी आपको जाँच करानी चाहिए. .

1979-80 का आय-व्ययक (क्रमागत)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस अवसर पर किसी विस्तृत समीक्षा की अपेक्षा नहीं की जाती। मेरा इस माननीय सदन से अनुरोध है कि वे इस अन्तरिम बजट को अनुमोदित करते हुए प्रस्तुत लेखानुदान को पारित करने की कृपा करें।

महोदय, मैं वर्ष 1979-80 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

सदन द्वारा नियम 301 आदि की सूचनाओं को पहले लिए जाने के निर्णय के बाद भी वित्त मन्त्री द्वारा आय-व्ययक भाषण पढ़े जाने पर आपत्ति

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

जब आपने नियम लम्बित करके बता दिया कि सदन 3-00 बजे के बाद ही बजट की प्रक्रिया के बारे में कार्यवाही करेगा और उसके पहले नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं हैं उसके बारे में निर्णय देंगे तो फिर इस वक्त बजट के शेष भाग को पढ़ने का क्या औचित्य है ? कृपया इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो आपत्ति उठाई है, इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपना भाषण पूरा कर लिया था। केवल थोड़ा सा अंश रह गया था। जहाँ तक वोट-आन-एकाउन्ट की बात है वह 3-00 बजे सदन में पेश होगा जैसा कि सदन ने निर्णय लिया है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

आपसे अपेक्षा है कि आप कोई ऐसी बात न करें जो स्वयं आपके विवेक के अनुसार उचित न हो। आपने अपने विवेक से निर्णय लिया और उस रूल को लम्बित किया। आपने कहा कि 3-00 बजे तक शून्य प्रहर की 301 की नोटिसें ली जायेंगी। आधा बजट रह गया तो वह 3-00 बजे के बाद भी हो सकता था। मान्यवर, यह भाषण उस रूल के खिलाफ है और यह भाषण पढ़ा हुआ नहीं माना जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधुकर दिघे ने पहला वाक्य शुरू में ही पढ़कर कहा कि मैं वर्ष 1979-80 का बजट प्रस्तुत करता हूं। बजट निश्चित समय पर प्रस्तुत हो गया, भाषण तो वैसे ही पढ़ा मान लिया गया। राज मंगल जी के कथन से मैं सहमत हूं कि यह प्रस्ताव मान लिया गया कि पहले विधिवत् कार्यवाही हो और 3 बजे के बाद लेखानुदान प्रस्तुत किया जाय। बजट तो वह प्रस्तुत कर ही चुके हैं, उनका भाषण पढ़ा हुआ माना जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात से मैं सहमत हूं। भाषण का जो भाग बाद में वित्त मन्त्री द्वारा पढ़ा गया है उसे कार्यवाही से निकाल दें और 3 बजे के बाद फिर पढ़वायें।

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय ने 12 बजे का टाईम निश्चित किया था और उन्होंने उसको पढ़ना शुरु किया। थोड़ा रह गया था उसको उन्होंने अब पढ़ दिया। लेखानुदान तो मैं 3 बजे ही ले रहा हूं। यह बजट भाषण थोड़ा बाकी रह गया था जिसे उन्होंने पढ़ दिया। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

आपने कहा कि थोड़ा सा रह गया था इसे पढ़ दिया गया, वित्त मन्त्री कहते हैं कि मैं पूरा पढ़ चुका था। अगर पढ़ दिया गया था तो दुबारा पढ़ने की आवश्यकता क्या थी और आवश्यकता थी तो यह 3 बजे के पहले क्यों हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, बड़ी मुश्किल है। माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री कृपया क्षमा करेंगे, कोई समन्वय इस सरकार में अभी से नजर नहीं आता। वित्त मन्त्री जी पूरा भाषण पढ़ देते हैं फिर ताली बजाने वाले ताली बजा देते हैं। अब मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि वित्त मन्त्री जी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब ताली बजाने वाले ताली वापस कैसे लें ?

श्री बनारसी दास--

आपके समझने में अन्तर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य मन्त्री जी को पहले ही वित्त मन्त्री जी से कह देना चाहिए था कि आप इसे पढ़ चुके हैं इसलिए अब मत पढ़ें। अब क्या किया जाय। मैं यह कह रहा हूं कि प्रस्ताव यह हुआ था कि बजट की कार्यवाही जो होगी वह 3 बजे के बाद ली जायगी। जो हमने प्रस्ताव पारित किया उसके अन्तर्गत भाषण बजट का अंग है। जब हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि बजट सम्बन्धी सारी कार्यवाही 3 बजे होगी तो अब अगर वित्त मन्त्री जी को पढ़ना है तो जितना उन्होंने अभी पढ़ा, वह दुबारा 3 बजे पढ़ाया जाय।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें। मैंने शुरू ही यहाँ से किया है कि मैं अपना सम्पूर्ण भाषण पढ़ चुका था। परन्तु चूंकि आपने आज्ञा दी तो मैंने आखिरी वाक्य एक बार फिर पढ़ दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

म बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम और आप रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन इस आदरणीय सदन की परम्परायें और यहाँ का सम्मान जीवित रहेगा। आगे आने वाली सन्तानें यह व्यवस्था पढ़ेंगी। आपने व्यवस्था दी थी कि 3 बजे के बाद आगे कार्यवाही होगी। उस तरह से जो कार्यवाही हो गयी है वह सदन की अवमानना मालूम होती है। तीन बजे पुनः शेष अंग माननीय वित्त मन्त्री जी पढ़ें इसी में इस सदन की गरिमा और इसका सम्मान रहेगा।

श्री बनारसी दास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि नेता विरोधी दल ने यह निर्णय किया है। मैंने यह कहा कि तीन बजे लेखानुदान लिये जायेंगे। जहाँ तक अनुपूरक बजट का सवाल है सब लोगों का मत था कि आज उस पर मतदान न हो। आज उस पर विवाद हो और फिर उसको किसी अन्य तारीख को लिया जाय। तो आज इस पर विवाद चल रहा है और यह भी मान लिया कि तीन बजे लेखानुदान लिये जायं तथा माननीय वित्त मन्त्री जी ने राज्यपाल की सिफारिश के मुताबिक बजट को 12 बजे पेश कर दिया और बजट भाषण भी किया। मैंने तो यह कहा बजट प्रेजेंट हो जाने के बाद अगर शोर-गुल में भाषण नहीं पढ़ा गया हो तो वह पढ़ा हुआ मान लिया जाय। जिसकी प्रतियाँ सब को मिल गई हैं लेकिन चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह आदेश दिया, बावजूद वित्त मन्त्री के यह कहने पर कि मैं पढ़ चुका हूं, कि वह अन्तिम पैरा पढ़ दें तो कोई नियमावली के विरुद्ध नहीं है, परन्तु मैं यह समझता हूं कि जब आपने यह निर्णय लिया है कि तीन बजे लेखानुदान हो तो आगे की कार्यवाही शुरू की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं शून्य प्रहर लेता हूं. . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, ...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, मैं क्या बताऊं। मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी परेशानी में अपने खुद के शब्दों से न पढ़ें। कोई तथ्य की बात इस पर हो तो अलग है। माननीय नेता सदन ने अब एक नई बात पैदा कर दी है। वह कह रहे हैं कि शोर-गुल के कारण वित्त मन्त्री जी अपना बजट भाषण पढ़ नहीं सके, प्रतियाँ क्योंकि बंट गयीं। इसलिए पढ़ा हुआ मान लिया जाय. . . . . (व्यवधान) यही कहा . . . .

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह सत्य नहीं है। ऐसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नहीं कहा है। ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं। निश्चित समझिए कि हम जनता पार्टी एक साथ हैं।

(श्री राज मंगल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरी बात रह गयी। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि बजट भाषण वित्त मन्त्री द्वारा पूरा पढ़ा जाता है, चाहे शोर-गुल हो या न हो। प्रतियाँ रखना मात्र बजट भाषण पढ़ना नहीं होता। आज तक परम्परा यही रही है। नेता सदन ने यह कहा कि अगर बजट पूरा नहीं पढ़ा जाय तो पढ़ा मान लिया जाय। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बजट जैसे महत्व-पूर्ण भाषण की केवल प्रतियाँ रखकर बजट भाषण पढ़ा हुआ माना जा सकता है? क्या ऐसी परम्परा रही है? या जो नेता सदन ने कहा है, वह सही है, परम्परा है। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट भाषण. . . .

श्री बनारसी दास—

माननीय. . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

हमको भी मौका दीजिए। नेता सदन, नेता विरोधी दल. . . .

श्री बनारसी दास—

माननीय नेता विरोधी दल का कहना ठीक नहीं है। मैंने यह कहा कि वित्त मन्त्री जी ने कहा कि मैं बजट प्रस्तुत करता हूं। मैंने कहा अगर शोर गुल में नहीं सुना जा सका। वत्त मन्त्री जी ने कहा कि उन्होने अपना पूरा भाषण पढ़ दिया। अगर आप नहीं सुन पाए और अगर आपस में बात करते रहे, शोर करते रहे और यह कहते हैं कि बजट भाषण नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा अगर शोर हो रहा है तो बजट भा षण पढ़ा मान लेना चाहिए, क्यों कि वह कहते हैं कि मैंने पढ़ा। मुझे आश्चर्य है कि नेता विरोधी दल अनावश्यक इस कार्यवाही में लग रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहिए . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपका कोई आदेश हो जाता है ता उसका पालन होना चाहिए। नियमों की जानकारी हमको अच्छी तरह से है। जब आपने एक व्यवस्था दे दी तो क्या उसमें माननीय नेता विरोधी दल अथवा कोई भी माननीय सदस्य अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है? आपने व्यवस्था दे दी कि वित्त मन्त्री अपना भाषण पूरा कर दें तो क्या उसके बाद आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है? अगर नहीं उठ सकता है तो आप बार बार कह चुके हैं कि शून्य प्रहर लेता हूं, शून्य प्रहर लेता हूं लेकिन शून्य प्रहर नहीं लिया गया। या तो आप व्यवस्था न दें और अगर देते हैं तो उस पर अमल करें। कुछ लोगों को ताली से बड़ी एलर्जी हो रही है और उनके द्वारा अव्यवस्था पैदा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी. . . (व्यवधान)

उस पर जब इधर से ताली बजी तो हंसी में नेता विरोधी दल ने कहा. . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कुछ लोगों पर ताली का प्रभाव पड़ता है तो कुछ लोग संजय गाँधी के प्रभाव में आ जाते हैं। संजय गाँधी जैसा कहते थे नारायण दत्त तिवारी वैसा ही करते थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह पेशाब के गिलास से प्रभावित होते हैं।

(व्यवधान तथा शोर गुल)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। जो मेरी इजाजत के बिना बोलेगा वह अब कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैं अब नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

[* * * *]

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[* * * *]

(व्यवधान और शोरगुल)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा।

(बहुत से सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, नियमों का ध्यान रखें। जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

दूसरों को आपने मौका दिया। मेरा आप नाम नहीं लेते हैं। इस तरह से कैसे सदन चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, आपने मुझे आज्ञा दी थी।

नोट—[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया सदन में शांति रखें और काम चलने दें। मैंने अब नियम 301 लिया है और श्री रवीन्द्र सिंह को बुलाया है। उनको बोलने दें और अवरोध न पैदा करें। (घोर व्यवधान) कृपया शांति रखें

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं फिर भी नेक-नीयती और ईमानदारी से नेता सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी आपके कक्ष में वायदा किया है, उसको पूरा करूंगा। 3 बजे से वोट आन एकाउन्ट होगा, उसे आप पास कर लें। 3 बजे से पहले जैसा निश्चय हुआ है, उसके अनुसार चलने दें। हम तो सदन को अपने वायदे के अनुसार चलने देंगे लेकिन अगर उधर से सदन को नहीं चलने दिया जायेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ..... (व्यवधान) मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नेता सदन ने यह कहा कि वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ दिया था और आपके निर्देश पर उन्होंने वह भाषण दुबारा पढ़ा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने उन्हें निर्देश दिया उस भाषण को पढ़ने के लिये, तो इसका मतलब यह है कि जो निर्देश आपने दिया वह मुख्य मंत्री जी के विवेक के मुताबिक अनुचित था ..... (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने आपकी स्थिति को द्विविधाजनक बता दिया कि वित्त मंत्री जी ने जो भाषण पढ़ दिया था इसलिये उनके हिसाब से आपका आदेश अनुचित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके निर्देश को चुनौती दी कि आपके आदेश से वित्त मंत्री ने भाषण दुबारा पढ़ा जो कि पढ़ा जा चुका था। यह गलत है या सही? क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का निर्देश दे सकते हैं कि जो निर्देश आपने दिया था वह गलत था और उस गलत निर्देश के मुताबिक माननीय वित्त मंत्री ने भाषण पढ़ा?

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे अभिलेख के हिसाब से कुछ वाक्यांश रह गये थे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई क्योंकि सदन के निर्णय के अनुसार ही मैं नियम 301 की सूचनाएं लेने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से कुछ वाक्यांश रह गये थे इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई (व्यवधान) शांति रखें। कृपया आप सदन को चलने दें।

हाई स्कूल एवं इण्टर के हजारों छात्रों की उपस्थिति कम होने पर परीक्षा से वंचित किए जाने पर छात्रों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, हाईस्कूल एवं इंटर के कई हजार छात्रों को उपस्थिति कम होने के कारण से बोर्ड की वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिये जा रहे हैं। इस प्रकार उनके जीवन का एक वर्ष का बहुमूल्य समय नष्ट होने जा रहा है। विगत कई वर्षों से कुछ विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा उपस्थिति में विशेष छूट दी गई है। पिछले वर्ष भी शिक्षकों की हड़ताल को ध्यान में रख कर ऐसा किया था।

नोट— [* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हाई स्कूल एवं इन्टर के हजारों छात्रों की उपस्थिति कम होने पर परीक्षा से वंचित किए जाने पर छात्रों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

शिक्षा का वर्तमान सत्र अत्यन्त ही अशांति था। प्रदेश के अधिकांश जिलों की अधिसंख्य शिक्षण संस्थाएं छात्र-संघ, आरक्षण आदि को लेकर या तो छात्र हड़ताल की शिकार थीं अथवा अशांति को ध्यान में रख कर महीनों और इससे भी अधिक शासन द्वारा बंद कर दी गई थी। इस प्रकार पठन-पाठन अवरुद्ध रहा।

अतः अनुरोध है कि अशांति को देखते हुए इस वर्ष भी उपस्थिति में विशेष छूट देने की घोषणा करने का सरकार कष्ट करे।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और आज सदन उठ रहा है फिर 19 तारीख को बैठेगा। 22 ता0 से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आरम्भ होंगी तो यदि 19, 20 तारीख तक कोई छूट की घोषणा की भी तो तमाम छात्र उससे वंचित हो जायेंगे। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज छूट की घोषणा कर दें जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया। हजारों छात्रों के भविष्य का मामला है। वह एक अध्यापक हैं और मेरी भावना से वे अवगत होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विषय में तुरन्त फैसला लेकर इसके निर्णय की सूचना दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, सायंकाल तक घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तुरन्त शब्द कहा है उसका अर्थ समझ लीजिये।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक रवीन्द्र सिंह जी ने शून्य प्रहर में जो प्रश्न उठाया है इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 15 मीटिंग की छूट देने का निर्णय ले लिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

15 दिन से काम नहीं चलेगा।

बाराबंकी के पुलिस कप्तान के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बाराबंकी जिले में गत कई महीनों से पुलिस आतंक एवं दहशत का वातावरण व्याप्त है। निम्न घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जुल्म और हत्याओं के दोषी पुलिस कप्तान के विरुद्ध मुकदमे कायम करने की मांग करता हूं।

8 जनवरी, 1979 को पटेल पंचायत इन्टर कालेज राम सनेही घाट के छात्रों पर बरबरतापूर्वक गोली चलाई गई। पिछड़ी जाति के दो छात्रों की हत्या की गई और इस घटना को आरक्षण विरोधी आन्दोलन से जोड़ दिया जबकि उससे कोई सम्बन्ध न था। इसी प्रकार 22 फरवरी को हैदरगढ़ राष्ट्रीय इन्टर कालेज एवं सार्वजनिक इंटर कालेज के क्रमशः 6 व 12 छात्रों को आरक्षण-विरोध का आरोप लगा कर गिरफ्तार किया गया जब कि यह समस्त छात्र हरिजन, पिछड़े एवं अल्प संख्यक वर्गों के हैं।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

पुलिस कप्तान डकैतों को शह देने में भी किसी से पीछे नहीं हैं। 2 मार्च, 1979 को बाबादीन वर्मा ब्रह्मचारी पुरवा, थाना लोनी कटरा के यहाँ आये डकैतों से दोनाली बंदूक, 2 कट्टे ग्राम वासियों ने छीन कर बहादुरी का काम किया, किन्तु यह बहादुरी पुलिस कप्तान को बुरी लगी। 8-9 मार्च को रात थाने के मकनपुर, मौजा दरगहा में 25 वर्षीय युवक महावीर को डकैतों ने मार डाला और डकैत अब भी पुलिस कप्तान की छाया में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।

उक्त गंभीर घटनाओं के बारे में शासन चुप्पी साधे बैठा है। मैं मांग करता हूं कि शासन इस पर वक्तव्य देकर यथोचित कार्यवाही से सदन को अवगत कराये।

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसके बारे में मैं अपने वर्तमान उप मुख्य मंत्री जी को पहले ही बता चुका हूं, उनसे और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बाराबंकी के कप्तान को जो आतंक मचाए हुए हैं, अविलम्ब वहाँ से हटाकर वहाँ शान्ति स्थापित करेंगे।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर बलिया में पाला और झुलसा रोग से आलू की फसल को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)---

साधारणतया सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में और विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर बलिया में पाला और झुलसा रोग से आलू की फसल पूर्ण रूपेण नष्ट हो गयी है और पूर्वी जिलों में पौध संरक्षण कार्यालयों तथा कृषि विभाग की निष्क्रियता भी आलू के फसलों की बरबादी में सहायक सिद्ध हुई है। इन कार्यालयों से रोग नियंत्रक दवाएं समय से किसानों को उपलब्ध नहीं करायी गयीं। जहाँ पर दवाओं का छिड़काव हुआ भी तो स्थिति नियंत्रण के बाहर रही, क्योंकि अधिकारियों ने प्रभावहीन दवाइयों का इस्तेमाल किया। पूर्वी जिलों में हार्टीकल्चर कार्यालयों से आलू के बीज पैदा करने के लिए फीस जमा करके जो किसान पंजीकृत हुए थे उनकी भी फसल नष्ट हुई है जिसके फलस्वरूप अगले वर्ष भी आलू का बीज दुर्लभ रहेगा। बहुसंख्यक किसान हजारों रुपये की क्षति से चकनाचूर हो गये हैं। जनहित में उन्हें अनुदान और सहायता देना सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

इन परिस्थितियों में आलू उत्पादकों में घोर क्षोभ और असंतोष का वातावरण व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर मैं आदरणीय सदन और माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आलू की फसल पूरी तरह नष्ट हुई है, किसान बहुत ही चिन्तित और परेशान हैं। सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए और उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। कृषि मंत्री जी बताएं कि वह इस पर क्या करने जा रहे हैं?

देवरिया जिले के बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य न दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष---

इसी प्रकार की सूचना श्री कृष्णाराय ने भी दी है। इसे वीरेन्द्र चतुर्वेदी जी पढ़ेंगे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

देवरिया जनपद की दो चीनी मिलों, बैतालपुर तथा देवरिया पर गन्ना किसानों का लगभग एक करोड़ रुपया बकाया है। गत वर्ष का भी लगभग 20 लाख रु० बकाया है। पिछला बकाया एवम् इस वर्ष के बकाये में से एक पैसे का भी भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सरकारी बकायों की वसूली तेजी पर है। बड़ी कड़ाई से वसूली हो रही है। किसानों को जेल भेजा जा रहा है। परिणाम स्वरूप गन्ना किसानों में भय-आक्रोश

देवरिया जिले के बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य न दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

तथा चिन्ता व्याप्त है। किसी भी क्षण गम्भीर घटना हो सकती है। गोदामों में चीनी भरी पड़ी है। लेकिन सरकार द्वारा गारण्टी न देने के कारण बैंक से पैसा एडवान्स नहीं मिल रहा है, जिससे मिलों के बन्द होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से माँग करता हूं कि सरकार तत्काल ऐसी व्यवस्था करे, जिससे गन्ना काश्तकारों को अपने बकाये की धनराशि का भुगतान प्राप्त हो सके।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

आपने उनको पढ़ने को दिया है, किन्तु आप गन्ना मंत्री जी से कुछ कहलवा दें नहीं तो इस पर हम जाकर वसूली बन्द करवा देंगे। ये हमारे गन्ने का दाम दें या वसूली बन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न पर माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हैं। जिन दो जगहों के बारे में जिक्र किया है म समझता हूं आप इस पर तात्कालिक कार्यवाही करके मिल-मालिकों को निर्देश दे दें, जिससे गन्ना काश्तकारों की परेशानी दूर हो जाए।

बांदा जनपद में बढ़ती हुई डकैती तथा कत्ल की घटनाओं और पुलिस की अकर्मण्यतया के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बांदा जनपद में बढ़ रही डकैती एवं कत्ल की घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, 5–6 मार्च, 1979 की रात जनपद के थाने नरैनी के अन्तर्गत ग्राम नौहाई के भू0 पू0 सरपंच श्री वंशगोपाल के घर पर भीषण डकैती पड़ी जिसमें, 55 वर्षीय गृह स्वामिनी की आग से जला-जला कर तथा बर्छियों से गोदन्गोद कर बुरी तरह तड़पाते हुए दर्दनाक हत्या कर दी गयी, पड़ोस का एक आदमी जो सहायता के लिए दौड़ा था उसको भी गोली मार कर घायल कर दिया गया जो सिविल अस्पताल में मरणासन्न अवस्था में है। इस प्रकार डाकू हजारों की सम्पत्ति लूट ले गये। घटनास्थल से 1–2 कि0 मी0 करीब के गाँव बड़ेहा में पुलिस मौजूद रही परन्तु सहायता के लिए नहीं आयी। अभी तक किसी डकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी थाने के अन्तर्गत अभी मोतियारी तथा करतल ग्रामों में भी भीषण डकैतियाँ पड़ीं। पुलिस इन मामलों में बराबर उदासीनता दिखा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि नरैनी थाने में अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस वालों को मीठा बाँटते हैं। अब इस प्रकार यह थाना अपराधियों के हाथ बिक चुका है।

उपरोक्त काण्डों से थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण बुरी तरह आतंकित हैं और अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा कुछ शहरों में बसने जा रहे हैं।

अतः उपरोक्त पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय तथा ग्रामीणों की सुरक्षा का अविलम्ब प्रबन्ध किया जाय।

प्रतापगढ़ जनपद के थाना रानीगंज के ग्राम कली मुरादपुर के श्री भगवानदीन मिश्र की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

महोदय, प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत थाना रानीगंज के कलीमुरादपुर ग्राम में दिनांक 10–3–79 को अपराह्न श्री भगवानदीन मिश्र आत्मज मातादयाल मिश्र की नृशंस एवं निर्मम हत्या शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन नरायनपुर रजबहा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियोंके षडयंत्र के फलस्वरूप कतिपय बदमाशों ने कर डाली। ज्ञातव्य है कि नरायनपुर रजबहा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कुछ बदमाशों को एकत्र

[श्री राम दुबे]

करके मृतक एवं उसके सहयोगियों की गेहूं की फसल को उखड़वाना आरम्भ किया। मृतक ने घटनास्थल पर जाकर फसल उखाड़ने से रोका। कर्मचारियों एवं बदमाशों ने मृतक पर प्रहार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। अत्यन्त क्रूरतापूर्ण हत्या थी यह।

तदन्तर शेषनारायण मिश्र, रामपूर्ति मिश्र, रामप्यारे पाँडेय, तालुकदीन पाँडेय, उदय प्रताप सिंह, नवधेश बहादुर सिंह एवं मातादीन हरिजन पर भी बदमाशों एवं कर्मचारियों ने आक्रमण करते हुए प्रहार किया तथा अमानुषिक रीत से पीट कर घायल कर दिया। बदमाश लाठी-डंडा, गंडासा, भाला तथा अन्यान्य आग्नेय अस्त्र-शस्त्रों से लैस थे। गोलियाँ भी चलीं और कुछ को छर्रे भी लगे। समस्त घायल किसान अस्पताल में भर्ती हैं। विलम्ब करने की नीयत से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इस प्रकार बड़ा आतंक व्याप्त हो गया है एवं जनमानस में असंतोष की लहर आन्दोलित हो चली है।

मान्यवर, इस हृदय विदारक एवं नृशंस हत्या की घटना को सदन के संज्ञान में लाकर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही के लिए माँग करता हूं एवं कानून-व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक समझता हूं कि नरायनपुर रजबहा की खुदाई रोक दी जाय तथा मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता सरकार दे कर उन्हें संतोष दें अन्यथा अनेक हत्याएं सम्भाव्य हैं। यह भी माँग करता हूं कि मुख्य मंत्री या सिंचाई मंत्री तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर स्वयं जाँच करें और सदन में वक्तव्य दें। साथ ही साथ बिना पुनः चकबन्दी कराये नहर की खुदाई रोकने का आदेश दें।

शाहजहांपुर में मार्गों के निर्माण में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहाँपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान श्रम के बदले खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत शाहजहाँपुर में मार्गों के निर्माण में व्याप्त घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अधिकारियों के अशोभनीय व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पीलीभीत से शाहजहाँपुर मार्ग पर मुख्य सड़क से निगोहा पर बन रहे मार्ग पर बहुत से मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निगोही ब्लाक जाकर जानकारी प्राप्त की है। ए0 डी0 ओ0, निगोही, विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया लेकिन आज तक उनको मजदूरी दिलाना तो अलग रहा, बल्कि उन्हें नाना प्रकार से परेशान व आतंकित किया जा रहा है। श्रीमन्, यही नहीं बल्कि ऊन कला से [illegible] रोड तथा खुदागंज से कुचई घाट सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को भी काम के बदले अभी तक खाद्यान्न नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि शाहजहाँपुर जनपद में उपरोक्त समस्या के निदान हेतु तत्काल आवश्यक आदेश प्रदान करके अनगिनत गरीब, बेसहारा मजदूरों को राहत प्रदान करेंगे तथा जिन भ्रष्ट अधिकारियों का इस षडयंत्र में हाथ है, उन्हें दंडित करेंगे।

पुलिस की निष्क्रियता से आगरा के ताजगांव में कई व्यक्तियों की विषाक्त शराब पीने से हुई मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस माह के प्रथम सप्ताह में आगरा में ताज गाँव क्षेत्र के अन्तर्गत विषाक्त शराब पीने से हरिजन एवं [illegible] जाति के करीब एक दर्जन व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। मान्यवर, [illegible] सामाजिक कार्यकर्ताओं

द्वारा क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों व आबकारी विभाग के अधिकारियों का ध्यान उपरोक्त घटना के घटित होने से पहले व बीच में कई बार आकर्षित कराया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही करना तो अलग बल्कि उनका अपमान तक किया गया। अगर समय रहते सम्बन्धित अधिकारियों ने आवश्यक कदम उठा लिए होते तो यह दर्दनाक काँड घटित होने से बच सकता था। आश्चर्य एवं शोक का विषय तो यह है कि विषाक्त शराब पीने से मृत किसी व्यक्ति का पोस्ट मार्टम तक नहीं कराया गया। यहाँ ज्ञातव्य है कि यह सारा काण्ड थाना पुलिस की नाक के ठीक नीचे घटित हुआ इससे ज्यादा पुलिस अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही का और क्या नमूना हो सकता है? श्रीमन्, आज अवैध एवं विषाक्त शराब की बिक्री नगर के प्रत्येक थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही है। मौत के सौदागर अपनी दुकान लगाये हुए बैठे हैं। आबकारी व क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता व साँठ-गाँठ से यह अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और इस अमानवीय कृत्य की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्रीमन्, आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त कांड में क्षेत्रीय पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को तत्काल मुअत्तल करके सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा जांच कराये जाने के तत्काल आदेश प्रदान करें ताकि नगर के अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से विषाक्त शराब की बिक्री को रोका जा सके। आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त कांड में मृत व्यक्तियों के परिवार जनों को आर्थिक सहायता देने की कृपा करें।

वाराणसी निवासिनी मधुरिमा के अपहरण के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद वाराणसी में दिनांक 11 मार्च, 1979 को श्री सुशील त्रिपाठी नामक युवक ने स्वयं मुझे यह जानकारी दी कि उसकी बहन मधुरिमा का अपहरण हो गया है और राजनैतिक दबाव पड़ने के कारण पुलिस उसका पता लगाने में असमर्थ हो गयी है। मधुरिमा सम्प्रति कहां है? जीवित है या मृत है? 11 मार्च, 1979 को वाराणसी में अत्यन्त ही व्यथित एवं परेशान अंदाज में श्री सुशील त्रिपाठी, जो कि छात्र संघर्ष वाहिनी के जिला संयोजक है ने मुझे बताया कि उनकी बहन का अपहरण 14 नवम्बर, 1978 को वाराणसी में किया गया जिसकी रपट भी भेलूपुर थाने में दर्ज करायी गयी। जो रपट लिखायी गयी वह नामजद थी। अभियुक्तों में श्रीमती प्रेमा गुप्ता व श्री राज कुमार गुप्ता का नाम स्पष्ट था। श्रीमती प्रेमा गुप्ता को बनारस की पुलिस ने बिहार में मुंगेर जाकर गिरफ्तार किया किन्तु जब वह बनारस लायी गयी तो यह भी आश्चर्यजनक बात हो गयी कि 363/366 की अभियुक्त को भेलूपुर थाने पर से ही निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। मुझे श्री सुशील ने स्वयं बताया कि वाराणसी के तत्कालीन राज्य मंत्री एवं आर0 एस0 एस0 के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने अभियुक्त को छुड़वाने में अत्यधिक दबाव पुलिस पर डाला क्योंकि अभियुक्त वाराणसी के आर0 एस0 एस0 के एक प्रभावशाली नेता की रिश्तेदार है। इसी तरह का समाचार 20 से 24 जनवरी, 79 के रविवार एवं 20 फरवरी, 79 के ब्लिट्ज में भी प्रकाशित हुआ है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी लोकनायक जय प्रकाश जी को भी करायी गयी। शासन ने खुफिया जांच के आदेश दिए हैं किन्तु स्थानीय आर0 एस0 एस0 के प्रभावशाली लोगों के निरन्तर दबाव के फलस्वरूप सी0 आई0 डी0 निष्पक्ष जांच करने में असमर्थ है अतः सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाये। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वे सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच कराने की सदन में घोषणा करें।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र दूर-दूर रख दिए जाने से छात्राओं को कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

(श्री राम आसरे का नाम पुकारे जाने तथा उनके न खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैं नियम 301 की सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 1979 में होने वाली अपनी हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये केन्द्रों का निर्धारण अत्यन्त अव्यवहारिक आधार पर किया है। जिसके अनुसार सभी केन्द्र बदल दिये गये हैं तथा संस्थागत एवं व्यक्तिगत सभी कन्या एवं बालक परीक्षार्थियों को अपने से भिन्न किसी दूसरे नगर में जाना पड़ेगा।

यह निर्णय इतना दोषपूर्ण है कि लड़कियों का भी दूसरे समीप के नगर में जाने से उनके आवास एवं सुरक्षा की सभी दृष्टियों से संकट उत्पन्न है। कठिनाई लड़कों को भी होगी परन्तु लड़कियों के लिये आसन्न संकट गम्भीर है। यदि केन्द्र बदलना आवश्यक ही था तो नगर के बाहर तो भेजना नहीं चाहिये था। हमारे केन्द्र ग्रामों में हैं जहां बाहर से पहुंची लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था असम्भव है और नित्य आने-जाने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

इससे सम्पूर्ण प्रदेश के अभिभावकों में बोर्ड के प्रति घोर असन्तोष उत्पन्न है। बोर्ड ने केन्द्र परिवर्तन करने से मना कर दिया है।

श्रीमन्, बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक हैं। अधिनियम में शासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। अतएव शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुये निवेदन करूंगा कि संदर्भित विषय पर अविलम्ब हस्तक्षेप किया जाये तथा ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि स्थिति ठीक हो। होली के बाद परीक्षायें प्रारम्भ है, अतएव आज ही निर्णय अपेक्षित है। मान्यवर, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से इसके लिये प्रार्थना की थी। वे सदन में मौजूद हैं, उनसे कुछ उत्तर दिलवा दें। उनसे पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं पहले कह चुका हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर विधिवत कार्यवाही करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

नियम 301 की मेरी सूचना भी थी

श्री उपाध्यक्ष—

उसे कार्यवाही के लिये भेज देंगे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

माननीय गन्ना विकास मंत्री सर्वेक्षण कराने को तैयार नहीं हैं, किसानों का बड़ा अहित हो रहा है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। अब मैं विशेषाधिकार की सूचनायें ले रहा हूं...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न था.....

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मुझे शहर की एक सूचना देनी थी कि पेट्रोल में मोम मिलाया जा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 की आपकी एक स्वीकार की है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

वह दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना आपकी स्वीकार कर ली। सब तो नहीं हो सकती। और भी माननीय सदस्यों की सूचनायें आती हैं। आप कृपा कर बैठें।

(व्यवधान)

अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

डीजल में मोम मिलाया जा रहा है, जिससे बसें ठप्प हो गयीं। सिंचाई के काम में जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसमें भी मोम मिलाया जा रहा है, जिससे इंजन खराब हो गये हैं और ठप्प हो गये हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने भी 301 में एक सूचना दी थी, क्या उसको अस्वीकार कर दिया है? मैं तो अध्यक्ष के कक्ष में कभी जाता ही नहीं हूं, मेरी आदत ही नहीं है, आपने उसको अस्वीकार कर दिया है?

उप मुख्य मन्त्री, श्री नारायण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने सूचना दी है कि उप मुख्य मंत्री, श्री नारायण सिंह जी ने 10 मार्च, 1979 को दिल्ली में यह घोषणा की थी कि "उत्तर प्रदेश में नये सिरे से चकबन्दी कराई जायेगी।" माननीय सदस्यगणों का कहना है कि यह बात उन्हें व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ज्ञात हुई है। यह समाचार कानपुर से प्रकाशित "दैनिक जागरण" के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित है। माननीय सदस्यों ने उक्त समाचार पत्र की प्रतिलिपि भी अपनी सूचना के साथ संलग्न की है। अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 524 पर निर्णय संख्या 90 में यह दिया गया है कि मंत्रि-परिषद् के नीति संबंधी निर्णयों के सदन में आने के पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी इस बारे में अपना जो निर्णय करना हो, और अगर कुछ कहना हो, तो कह दें।

उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नये सिरे से चकबन्दी कराने की घोषणा से संबंधित माननीय सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, गनेशी लाल चौधरी, रवीन्द्र सिंह एवं शारदा प्रसाद जायसवाल, सदस्यगण की विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने इस माननीय सदन के बाहर नई नीति की कोई घोषणा नहीं की है। जैसा कि सदन को विदित है, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 में 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 द्वारा संशोधन करके एक नई धारा, 4—क बढ़ाई गयी थी, जिसके द्वारा सरकार

[श्री नारायण सिंह]

को यह अधिकार दिया गया था कि जिस किसी जिले या उसके भाग के संबंध में चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को 10 वर्ष समाप्त हो जावें उस जिले या उसके भाग को दोबारा चकबन्दी के अन्तर्गत लेने के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है।

इस सदन में कई बार प्रश्नों के उत्तर के दौरान तथा अन्य चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन तहसीलों में चकबन्दी, 1953 और 1959 के बीच करायी गयी थी उन्हें सुविधानुसार दोबारा चकबन्दी के अन्तर्गत ले लिया जावेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शासन की यह नीति पहले से ही घोषित है कि जिन क्षेत्रों में चकबन्दी का पहला चक्र समाप्त हुये 10 वर्ष व्यतीत हो चुके है उन्हें दोबारा चकबन्दी के अन्तर्गत सार्वजनिक हित में लिया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट करने में कि कुछ क्षेत्रों में शीघ्र ही दोबारा चकबन्दी आरम्भ कराई जावेगी, कोई नई नीति संबंधी घोषणा नहीं की गयी है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सदन की गरिमा और सदन के प्रति सम्मान से भली-भांति परिचित हूं और मेरे द्वारा कभी भी सदन की अवमानना की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने नई नीति संबंधी कोई भी घोषणा सदन के बाहर नहीं की है और न मेरा ऐसा करने का कोई इरादा ही हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
मान्यवर, ऐक्ट में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चकबन्दी स्वतः करा दी जायगी।

कारागार मन्त्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने सूचना दी है कि 9 मार्च, 1979 को कारागार मंत्री, माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी घोषणा की है कि कारागारों में बन्दियों को नित्य मध्याह्न के समय चाय दी जाया करेगी। इस घोषणा के किये जाने के प्रमाण स्वरूप उक्त माननीय सदस्यों ने 'पायनियर' नगर संस्करण, शनिवार, दिनाँक 10 मार्च, 1979 की प्रतिलिपि संलग्न की है जिसमें उक्त घोषणा का उल्लेख है। यह घोषणा अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 524 पर निर्णय संख्या 90 के अनुसार मंत्रि परिषद के नीति संबंधी निर्णयों के सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
मान्यवर, यह नियमों में व्यवस्था है कि आप....

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—
मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष—
मैं स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं देता हूं।

प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने श्री मोरार जी देसाई, प्रधान मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय श्री मोरारजी देसाई ने अपनी आत्म-कथा के पृष्ठ 77-78 पर कहा कि 1974 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव को अपने खास तौर से व्यवस्थित किया, अपने दल का बहुमत और सरकार के रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया। अन्दरूनी झगड़े और संघर्ष के बावजूद सत्ता खोने का कोई डर नहीं था फिर भी असामान्य कदम उठाकर श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अपने दल की सरकार को निकाल कर उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन थोपा और विधान मण्डल के निलम्बन के बावजूद विधान सभा के सदस्यों की वफादारी बनाये रखने के लिये उन्हें वेतन देती रहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 (1) (क) के अनुसार प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध होगा। यह विषय ...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, इस पर आप व्यवस्था देने से पूर्व सुन लें। श्रीमन् यह सदन सक्षम नहीं है माननीय प्रधान मंत्री को सजा देने के लिए, जो लोकसभा के सदस्य हैं। श्रीमन्, आप ज्यादा से ज्यादा नियमों के अनुसार इतना कर सकते हैं कि इस मामले को लोक सभा को रेफर कर दें और लोक सभा इसे अपना अवमान माने और इस मामले पर कार्यवाही करे। हमारे नियमों में यह प्राविधान है। श्रीमन्, हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं और उन्हें इस पर शर्म नहीं आती कि भारत के प्रधान मंत्री ने अपनी किताब में लिखा है कि सदस्यों को वेतन दिया गया था। वफादारी बनाये रखने के लिए, इस पर आपत्ति नहीं है ...

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, चुनाव जीतने के बाद हमारा वेतन लेने का सांविधानिक अधिकार है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देती थीं। उन्होंने कहा कि वफादारी बनाये रखने के लिए वेतन दिया गया। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष--

यह विषय काफी समय पूर्व का है और लेखक द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से संबंधित है अतः इसे मैं सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, 2 महीने पहले यह किताब प्रकाशित हुई है।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैंने ईश्वर प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसे देखा नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह --

मान्यवर, कई सदस्यों के कमरों में एक दस्तावेज होली का वितरण किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं 19 तारीख को ले लूंगा।

वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग के लिये लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने इस लेखानुदान को पेश किया है वह नियम विरुद्ध है। अगर आप नियम 193 के उप नियम 3-4 को देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की माँग हो। अनुदान की माँगों का विवरण नियम 185 (1) में दिया हुआ है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान के लिये कोई माँग नहीं की जायगी। माननीय वित्त मंत्री ने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें यह नहीं कहा गया है कि वह श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लिये लेखानुदान का जो प्रस्तुतीकरण हुआ है वह नियम के विरुद्ध है और उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

मद चार जो है उसके संबंध में यह लागू होता है। प्रस्ताव इस संबंध में लागू नहीं होगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुज्ञा से वर्ष 1979-80 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने पढ़ दिया है।

मान्यवर, यह जो मैं लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूं यह 3 महीने के लिये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, यह परिपाटी है कि जब सम्पूर्ण बजट अपरिहार्य कारणों से प्रस्तुत करना संभव न हो तब लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर, यह लेखानुदान सम्पूर्ण बजट का चौथा हिस्सा है। मान्यवर, मैं पुनः बता दूं कि 2356.08 करोड़ रुपये कुल व्यय है जिसमें 1641.20 करोड़ रुपये शुद्ध व्यय है। उसके हिसाब से जैसा मैंने निवेदन किया 597.12 करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें 125.66 करोड़ रुपया भारित है और 471.46 करोड़ रुपया मतदेय है। मान्यवर, चूंकि अभी संपूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और जो राशि अनुमानित की गयी है उसमें चूंकि केवल वही हिस्सा मैंने प्रस्तुत किया है जो कमिटेड इक्सपेंडीचर का है तो इस दृष्टि से जो अभी अनुमानित तरीके से ऋणात्मक स्थिति बनती है उसका भी मैं उल्लेख करना उचित समझता हूं। मान्यवर, पिछले वर्ष जो चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम शेष है 35.69 करोड़ रुपये है और जो अर्थोपाय रिजर्व बैंक से प्राप्त अग्रिम लेने की स्थिति है इससे यह फर्क हो जाता है। इस वर्ष जो शुद्ध परिणाम निकलेगा, समस्त लेन-देन के बाद, 14.01 करोड़ रुपये घाटे का है। दोनों मिलाकर 49.68 करोड़ रुपये की ऋणात्मक राशि रह जाती है।

मान्यवर, यह आंकड़े अभी अनुमानित हैं। चूंकि अभी प्लान जो इस वर्ष के लिए चाहते हैं उसका निराकरण नहीं हो सकता है। अभी यह भी हमारे सामने आंकड़े नहीं हैं कि 2 हजार करोड़ रुपये से हमको जो राशि प्राप्त होगी वह कितनी होगी उसकी भी जानकारी नहीं है इसलिए अभी संपूर्ण तरीके से बजट प्रस्तुत नहीं हो सका है। इसलिये मैं लेखानुदान के रूप में एक हिस्से को प्रस्तुत कर रहा हूं और

समझता हूं कि इसको स्वीकार करेंगे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं, लेखानुदान का यह प्रस्ताव पेश करता हूं। 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अप्रैल, मई और जून, 1979 में 1979–80 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 12 मार्च, 1979 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 4,71,46,37,000 रुपये से अधिक न हो, लेखानुदान का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव आपको पहले ही पेश कर देना चाहिये था।

श्री मधुकर दिघे—

पूरा विवरण देते हुए अंत में मैंने प्रस्ताव को रखा है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल स्वयं जानते हैं कि अभी तक परम्परा रही है कि इस पर चर्चा नहीं होती रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

चर्चा तब न होती जब वित्त मंत्री कुछ न कहते। लेकिन उन्होंने अपने भाषण के अलावा दूसरा भाषण दे दिया है जिसकी परम्परा नहीं थी।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने तो आंकड़े समझा दिये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज तक प्रस्ताव के बाद दूसरा भाषण नहीं हुआ है। उत्तर देने के समय कहते तो ठीक था। आपने बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं वित्त मंत्री ने कैसे प्रस्ताव को बाद में रखा है। इससे पता लगता है कि यह ऊर्ध्वमूलवाली सरकार हो गयी है। इसके बारे में गीता में श्लोक है—

उर्ध्वमूलमधः शाखामयश्वत्थं प्राहुख्ययम्।
छन्दासि यस्य वर्णानियस्तं वेद सवेद वित्।

यानि मूल जिनका उल्टा है क्योंकि प्रस्ताव पहले आना चाहिये था जो कि बाद में आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कह चुके जितना कहना था। अभी आपको सप्लीमेंट्री में काफी बोलना होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, तीन महीने का बजट है। क्या नेता विरोधी दल को इतना भी अधिकार नहीं है कि उस पर कुछ कहें?

श्री उपाध्यक्ष—

परम्परा तो आपने ही डाली थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं 10 मिनट में खत्म कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

परम्परा न तोड़ें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि सदन की परम्परा रही है कि लेखानुदान पर चर्चा नहीं होती है। तो परम्परा न तोड़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मतदान में इसमें वोटिंग नहीं होती लेकिन चर्चा नहीं होती, यह बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव उन्होंने कर दिया। अब आपसे निवेदन है कि बैठ जायं। परम्परा को न तोड़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, सचिव महोदय से सलाह ले लें कि क्या वित्त मंत्री महोदय के भाषण के बाद दुबारा कभी भाषण हुआ है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई भाषण तो दिया नहीं। मैंने तो जो आंकड़े हैं, उन्हीं को थोड़ा स्पष्ट कर दिया है और उसको उस तरह से सदन के समक्ष रख दिया है तो कोई भूल तो की नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या आंकड़े दो बार रखे जायंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह भूल कर सकते हैं लेकिन आपसे निवेदन है कि....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, आंकड़े तो लिखे हुये है, उन्हें दुबारा रखने की क्या जरूरत ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह भूल कर सकते हैं तो आपको तो नहीं करना चाहिये। कृपया परम्परा न तोड़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो उन्होंने भूल की कि नहीं ?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

उन्होंने कोई भूल नहीं की। आपने संजय गांधी के जूते उठाये, क्या यह भूल नहीं थी ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने तो केवल आंकड़े बताये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं तो कुछ सुझाव दे रहा हूं। कुछ जानना चाहता हूं। मेरे बोलने में क्या परेशानी है ? अंतरिम बजट पर बोल रहा हूं जिससे कि तीन महीने तक तनख्वाहें दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप खड़े हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जायं। मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, परम्परा यही रही है कि वोट आन एकाउन्ट में वोटिंग नहीं होती। लेकिन क्या यह परम्परा है कि वोट आन एकाउन्ट पर एक दो बात भी न कहें ?

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उस कुर्सी से आप अनुरोध करेंगे या आदेश ?

श्री उपाध्यक्ष---

अनुरोध की बात नहीं है। सदन के वह एक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और पार्लियामेंटरी पद्धति के विद्वान रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, आपका अनुरोध मेरे लिये आज्ञा है। लेकिन मेरा भी अनुरोध है कि केवल.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था इसी में है कि आप बैठे जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन, मान्यवर.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी। मेरे अनुरोध पर माननीय तिवारी जी बैठ गये।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई और जून, 1979 में 1979–80 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 12 मार्च, 1979 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 4,71,46,37,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई और जून, 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 12 मार्च, 1979 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 4,71,46,37,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

नोटः---[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं। (विधेयक की प्रतियाँ वितरित की गईं)

(कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह बड़े खेद का विषय है कि 358 सदस्यों के अपार बहुमत के बावजूद यह शासन जो एक पार्टी का शासन है, उसे वोट आन एकाउन्ट 3 महीने के लिए लेना पड़ रहा है जबकि चुनाव में जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है तो वित्त मंत्री को यह चाहिए था, (जबकि वही वित्त मंत्री हैं) कि समय से बजट पेश करते, समय से बजट तैयार करते, जनवरी में असेम्बली बुलाते या फरवरी के प्रारम्भ में बुलाते और यहाँ पर बजट समय से पेश करते तो वोट आन एकाउन्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया है इसमें उन्होंने अपनी घोर असफलता को स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी असफलता के साथ ही केन्द्र सरकार की असफलता को भी यहाँ पर दिग्दर्शित किया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी योजना अभी बन ही नहीं सकी, एनुअल प्लान नहीं बन पाया। वार्षिक योजना हमें मालूम ही नहीं कि कितने रुपये की है? और जो मालूम भी है उसके विषय में उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन ने 690 करोड़ रुपये की योजना इंगित की है जो पिछले साल 755 करोड़ रुपये की थी। 755 करोड़ रुपये के स्थान पर घटी हुई योजना यानी 65 करोड़ रुपये कम की योजना केन्द्र ने हमारे लिये स्वीकार की है। इससे बड़ा अन्याय उत्तर प्रदेश के लिये क्या हो सकता है कि जहाँ 1269 करोड़ रुपये की योजना मानी जाए वहाँ पर कुल 690 करोड़ रुपये की योजना का संकेत किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात का जानते-बूझते हुए भी इस भाषण में उल्लेख नहीं किया, वह यह कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है लोकसभा में, उसमें भी यही धनराशि रखी गई है 690 करोड़ रुपये। अब यह प्लानिंग कमीशन का मामला नहीं रह गया।

केन्द्र सरकार ने बजट में सभी राज्यों को सेन्ट्रल प्लान असिस्टेंस बाँट दिया है, अपनी वित्तीय संस्तुतियाँ कर दी हैं। बजट बन गया है और जो 13 सौ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है उसके अन्दर यह धनराशि शामिल है। अब योजना बढ़ने वाली नहीं है केन्द्र से। जितना केन्द्र का पैसा था वह बंट चुका है। अब अपने बजट से आपको योजना बढ़ानी है। कितनी शक्ति है वित्त मंत्री जी में या नये मुख्य मंत्री जी में या भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी में, यह अब देखना है इस सदन को। श्रीमन् आप इसमें देखें कि यह प्रदेश के लिए कितने महत्व की बात है। इस बजट भाषण म सेबन्थ फाइनेन्स कमीशन का कोई जिक्र नहीं है। वित्त मन्त्री को मैं कैसे बधाई दूं? आप दुबारा मंत्री हुए हैं। सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन की संस्तुतियों के बारे में इस सदन को बताना चाहिए था, सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट प्रत्येक सदस्य को मिलनी चाहिए थी। जानना चाहिए था कि सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन ने यू0 पी0 को क्या दिया। सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन के आधार पर मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया था वह भाषण मैंने पढ़ा कि सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन ने जो रुपया यू0 पी0 को एलाट किया है वह रुपया काल्पनिक है। इतना रुपया हमको नहीं मिलने वाला है। अगर वह काल्पनिक है तो इस सदन को जब सदन बैठा था बताना चाहिए था।

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी सदन के बाहर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन इस सम्मानित सदन में जो उत्तर प्रदेश की दस करोड़ जनता का प्रतिनिधि है, उसको नहीं बताना चाहते। कितने दुख की बात है कि प्रेस वक्तव्य में कह दिया, सेन्ट्रल प्लान असिस्टेंस का जिक्र कर दिया, गाडगिल फार्मूले का जिक्र कर दिया, तो बजट में सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र होना चाहिए था। आपको कोई पता है या नहीं ? वित्त मंत्री जी, आपने नये मुख्य मंत्री जी की मदद नहीं की है। अगर नये मुख्य मंत्री जी की आप मदद करना चाहते तो आपके लिए अनिवार्य था, आप कहते कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पसन्द नहीं है, काल्पनिक बात है। केन्द्र कहता है कि हमने तो सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन में ज्यादा रुपया दे दिया है, आप अपनी योजनाओं को अपने साधनों से बढ़ाइये। इसका उत्तर बजट में आना चाहिए था जो बजट में नहीं है। मैं यही कहना चाहता था। मैं कोई विरोध के लिए नहीं कह रहा हूं इस राज्य के एक सेवक के नाते, जो हमारे विरोधी दल का दायित्व है उसको निभाने के लिए यह अनिवार्य था कि वर्तमान वित्त मंत्री और शासन यह बताता कि सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों में क्या खामियाँ है, उनसे राज्य को क्या नुकसान होने वाला है। इस पर हम भी आपकी सहायता कर सकते। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं किया। हम कुछ नहीं कह सकते। मैं रचनात्मक विरोध के नाते यह सुझाव दे रहा हूं। अगर आप कुछ कहते तो हम भी कुछ कहते। हम क्या कहें, कैसे कहें ? आप को शिकायत नहीं है, हमको शिकायत है। आप कैसे कहेंगे कि आप सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहते, सदन के सम्मानित सदस्यों का सहयोग नहीं लेना चाहते, तो हम क्या कहें ?

श्रीमन्, इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम में दो हजार करोड़ दिया है, उसका बंटवारा नहीं बताया गया है। श्रीमन्, क्या कहूं ? मैं यह बात कहने की धृष्टता नहीं कर सकता कि वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी के भाषण को नहीं पढ़ा। लेकिन इस भाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी को फुरसत नहीं मिली कि वह केन्द्रीय वित्त मंत्री, माननीय चौधरी चरणसिंह, जिनका आप भी आदर करते हैं नेता होने के नाते और मैं भी करता हूं, के भाषण को पढ़े। मुझे पता नहीं था कि जिनको नेता मानते हैं, जिनका आदर करते हैं, उनके भाषण को वह न पढ़ें, यह कल्पना मैं नहीं कर सकता। श्रीमन्, उसमें बंटवारा सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के रुपये का हो चुका है कि कितना रुपया मिलेगा प्रत्येक प्रदेश को ? 'इकानामिक टाइम्स' पढ़ लेते, मैं नहीं जानता वित्त मंत्री जी मंगाते हैं या नहीं, 'फाइनेन्शल एक्सप्रेस' मंगाते हैं या नहीं, केन्द्रीय बजट रिव्यू पढ़ते हैं या नहीं, पढ़ते होंगे हमें तो यह मान कर चलना चाहिये। अब श्रीमन्, सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स का रुपया बांटा जा चुका है। इसमें लगता है वित्त मंत्री जी को अभी भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 424 करोड़ में से अगले वर्ष कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश को मिलेगी। सारे प्रदेशों को मालूम है, केन्द्र के बजट में उल्लेख है, हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अभी कोई सूचना नहीं है और यह इस अंतरिम बजट को बनाने में जो भूल हुई है उसका एक मुख्य परिचायक है।

अब, श्रीमन्, दूसरी बात इसमें यह है कि इस अंतरिम बजट में यह स्पष्ट नहीं होता कि जो आंकड़े इस साल के बजट में दिये गये हैं---पैराग्राफ 4 और 5 में बजट वर्ष 1978-79 के आंकड़े हैं, और पूरक बजट जो 402 करोड़ कुल मिला कर हो जाता है, उसके आंकड़े इसमें शामिल हैं या नहीं हैं ? इस अंतरिम बजट में तीसरे सप्लीमेंटरी बजट के आंकड़े शामिल हैं या नहीं हैं ? कोई कुछ बताता नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आंकड़े हैं वह अधूरे हो जायेंगे। इसे स्पष्ट करना चहिये था कि आज जो अनुपूरक बजट में खर्च हम मांग रहे हैं बाद में अनुपूरक बजट के खर्च में उसे जोड़ेंगे .....

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें बहुत बोलना है .....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मैं तथ्य की बात कर रहा हूं कोई अनर्गल कह रहा हूं तो कहें ? श्रीमन्, अब इन्होंने ने जो डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांगा है इस अनुपूरक बजट में ऐडजस्टमेंट के लिये, वह इसमें जुड़ी नहीं है। तो यह बड़ी जल्दी में वोट आन एकाउन्ट लाया गया है, बिना तैयारी के लाया गया है और तीन महीने किस हिसाब से छांटे गये हैं ? क्या आप समझते हैं कि तीन महीने में योजना बन जायगी ? फिर विशेष क्षेत्रों के लिये योजना का उल्लेख नहीं है ? वित्त मंत्री ने पिछले साल की योजना 755 करोड़ की बतलाई है. . . (व्यवधान) . . . . लेकिन इस 755 करोड़ के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र की योजना को जोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार ये आंकड़े ही गलत हैं, जो बजट के आंकड़े वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं वे गलत हैं । कितनी जल्दी में यह वोट आन एकाउन्ट बनाया गया है। केन्द्रीय बजट का भी ध्यान नहीं रखा गया। तीन महीने के बजाय दो महीने का अथवा डेढ़ महीने का ही आप मांगते, तीन महीने का क्यों मांग रहे हैं ? तीन त्रिकट महा विकट।

श्री मधुकर दिघे—

आपके लिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो विरोधी दल में हूं ही। मुझे और क्या विकट होना है। तीन महीने का आप हिसाब बतलाते, कोई टाइम टेबिल बतलाते तो मैं वित्त मंत्री की बात का स्वागत करता। वह बतलाते कि मई की पहली तारीख तक योजना बन जायगी, यह बतलाते कि वह इस तारीख को बजट पेश कर देंगे, लेकिन कोई टाइम टेबिल माननीय वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया। बजट अधिवेशन किस तरीख को बुलायेंगे, किस तारीख तक योजना पूरी हो जायगी .. (व्यवधान) . . यह जानने का हमको अधिकार है। श्री श्यामधर मिश्र ने कहा कि छठीं योजना पर विचार होना चाहिये, एनुअल प्लान पर विचार होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया कि सदन इस पर विचार करेगा, लेकिन सदन कब विचार करेगा जब बजट पेश हो जायगा। छठीं योजना पर बहस पहले होनी चाहिए। वार्षिक योजना 1979–80 पर बहस पहले होनी चाहिये ताकि उस पर सदन के सुझाव आपको मिल सकें और उसके हिसाब से योजना बन सके और जो सुझाव ठीक हों उनको स्थान मिल सके। लिहाजा श्यामधर जी का जो सुझाव माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है उसके अनुसार छठीं योजना तथा एनुअल प्लान पर बजट पेश होने के पहले ही सदन में बहस हो जानी चाहिये तभी आप लाभान्वित हो सकेंगे। प्लानिंग कमीशन तैयार कर सकेगा और आप भी हमारे सुझावों पर विचार कर सकेंगे । मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी विरोधी दल के सुझावों के रचनात्मक पहलुओं को देखेंगे। मुझे दुख होता है जब वह तिलमिलाने लगते हैं। उसके लिये हम उनको सुझाव नहीं देते हैं, बल्कि इसलिये देते हैं कि आप गंभीरता से उन पर विचार करेंगे ताकि आप उन पर बल दे सकें।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सप्लीमेंटरी पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इसी पर बोलने दें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

तो सिर्फ दो-चार मिनट ही बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी कह रहे थे एक पार्टी की सरकार। मैं पूछता हूं कि कौन सी पार्टी है ? कौन नेता हैं—इधर के या उधर के ? केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार

है और उत्तर प्रदेश के अन्दर भी जनता पार्टी की ही सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रोमोशन होकर उप मुख्य मंत्री हो गया लेकिन वही पार्टी राज्य कर रही है। माननीय वित्त मंत्री भी वही हैं तो फिर कौन से कारण हैं कि आज उन्हें इस लेखानुदान को लाना पड़ रहा है? पूरा बजट न लाने के क्या कारण हैं? मान्यवर, कारण साफ है यह नहीं कि छठीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है? मैं कहता हूं कि वह न बन सकती है और न बनेगी। इस सरकार का योजना के ऊपर यकीन ही नहीं है। आप कहते हैं कि रोलिंग प्लान बनेगा। मैं पूछता हूं कि पिछली योजना का कार्यकाल जो था, उसका एक साल समाप्त हो गया और आज दूसरा साल चल रहा है, अभी तक पंचवर्षीय योजना का क्या होने जा रहा है, इसकी रूपरेखा जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिये नहीं है कि यह पार्टी कोई एक पार्टी है, बल्कि इसलिये कि यह घटकों का एक समूह है और एक घटक दूसरे घटक को सटक रहा है चाहे वह केन्द्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो।

आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है कि आगे जाकर पूरा बजट पास होता भी है या नहीं इसमें संदेह बना हुआ है। गनीमत है कि ये लेखानुदान ले आये। तो मेरा निवेदन है कि आज देश और प्रदेश की जनता को यह ज़ाहिर हो गया है कि इस देश के अन्दर जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है और अभी तो मुख्य मंत्री जी कहते थे कि आप रहें या न रहें, हम रहें या न रहें लेकिन यह सदन रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप रहे या न रहें, हम रहें या न रहे, जनता पार्टी नहीं रहेगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो-तीन बातें कहनी हैं। आप तीन बजट यहाँ पर लाये हैं। पहले जब आप बजट लाये थे तो वह लेखानुदान था। दूसरा बजट जो था वह लेखानुदान तो नहीं था, लेकिन साधारण था और तीसरा आज फिर लाचारी की वजह से लेखानुदान ही लाये हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको आदत पड़ रही है लेखानुदानों की और अध्यादेशों की। यह सरकार कब तक लेखानुदानों और अध्यादेशों द्वारा चलेगी? यह मैं जानना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि यह लेखानुदान 3/12 हिस्से, यानी 3 महीने का लेखानुदान है। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि जो 12 महीने में होने वाला था वह इसमें कदापि नहीं है।

इसमें यह है कि जो हुआ है आगे के तीन महीने के लिये, मेंटीनेन्स के लिये, उसके लिये इसमें है। 3/4 महीने पहले साल खोये और 3 महीने इस साल खो रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता पार्टी जल्दी में है। तभी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तिवारी जी ने ठीक ही कहा है कि जो सालाना योजना थी वह भी सामने नहीं आयी। हम इसकी रूपरेखा कैसे बतायें? इसलिये लेखानुदान द्वारा मूल बजट को काटा जा रहा है। यह प्रथा जो पुराने समय से रही है तब भी गलत थी और अब यह क्रांति दूत आये तो यह भी लेखानुदान लाते हैं। तो यह कभी भी क्षम्य नहीं है। ये यह कह कर आये कि जो पहले गलतियाँ रहीं उनको हम नहीं दोहरायेंगे। अगर पिछली गलतियाँ है तो उनको उस पर खड़े नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह लेखानुदान में जो करीब 6 सौ करोड़ का ब्योरा है ऋण और राजस्व को लेकर उसके एक-एक आईटम को हम देखें तो पता चलता है कि 3 महीनों में वही काम होंगे जो कि होते रहे हैं। किसी प्रकार से भी नये काम नहीं किये जायेंगे। इस तरह से यह पिछड़ा हुआ प्रदेश नये मुख्य मंत्री के काल में तीन महीने को पिछड़ जायेगा, चाहे वह कितनी ही प्रगतिशीलता दिखायें, चाहे वित्त मंत्री जी कितनी ही प्रगतिशीलता दिखायें। इन तीन महीनों में वह कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। अपने दल के विवादों के कारण उन्होंने यह लेखानुदान हम लोगों पर थोप दिया और सदन के सामने मूल बजट समय से न लाकर उन्होंने यह काम किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ज्यादा न बढ़ायें।

श्री श्याम धर मिश्र—

मेरा ख्याल है अगर यह जनवरी में अनुपूरक अनुदान ले आते तो इतने में झगड़ा आपस में न होता और समय से कार्य हो जाते।

अंत में एक बात कह कर खत्म कर रहा हूं कि एक परिपाटी चल रही है कि सदन को कम से कम समय बैठाइये और हम लोगों की कम से कम बात सुनें। मेरा मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस परिपाटी को न अपनायें और इस विचार को छोड़ दें। इससे उनको काम में बड़ी सहायता मिलेगी विरोधी दल की भी और अपने दल की भी। साल में सौ-सवा सौ दिन सदन की बैठक बुलायें औ इस संबंध में राय लें। हो सकता है कि हमारी राय उतनी परिपक्व न हो जितनी मंत्रियों की हो लेकिन बिना हमारी बातों को सुने, जिलों की बातों को सुने, अगर लेखानुदान आयेगा तो यह सदन का अपमान होगा इससे हमारे अधिकारों को छीना गया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, लेखानुदान आया और पेश हुआ। पूरे प्रदेश में एक हलचल थी, सब की नजरें आज के लेखानुदान पर लगी थी कि इस लेखानुदान में सरकार रहेगी या जायेगी। दो रोज से कनवैसिंग हो रही थी लोगों को बुलाया गया था... (व्यवधान) ..... मुझे भी खुशी होगी, सरकार रहे, लेकिन अपना आचरण ठीक करके रहे। अगर आचरण ठीक करके नहीं रहेगी, तो हमारे देश के लोग छोड़ेंगे नहीं। आप चाहे कहते रहें कि रहेंगे, लेकिन रह नहीं पायेंगे। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि साल भर का बजट सदन के सामने प्रस्तुत न करके सिर्फ तीन महीने का यह लेखानुदान पेश हुआ इसमें पुरानी परम्परा को दोहराया गया है कोई नई बात नहीं आई।

दूसरी बात यह लगती है आज की बात से कि लेखानुदान पास होने तक लड़ते रहो ताकि दूसरे लोग कुश्ती देखने में मुग्ध हो जायं और कुछ न कह सकें। यही इस सदन में आज के लेखानुदान के बारे में मुझे कहना है।

श्री [illegible] दिये—

मान्यवर, मैं आभारी हूं नेता विरोधी दल का, जब वह खड़े होते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न लगातार खटकता रहता है कि वह इस प्रदेश के कई वर्षों तक वित्त मंत्री रहे और जब वह वहाँ से बोलते हैं उनको लगता है कि किसी ने पूछा नहीं मैं उनकी बात से ऐसा अनुभव करता हूं। वह ज्यादा अनुभवी हैं मैं इसे स्वीकार करता हूं। नेता विरोधी दल के अलावा वे हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े जानकार और ज्ञानी हैं, लेकिन वह अपने ज्ञान का उपयोग करने के बजाए दुरुपयोग करने लग जाएं तो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, खड़ा हो सकता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वह वास्तव में प्रदेश के हित में कुछ कहना चाहते हैं तो उसे ईमानदारी से सामने रखें। जब वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े तो हमारे साथ रहे और उस समय मैं भी मजदूर नेता के रूप में रहा। तो कई छाप उनकी मेरे ऊपर हैं....

श्री [illegible] बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

लेकिन असर भी कुछ है ?

श्री [illegible] दिये—

पहले प्रश्न का जबाव मैं देना चाहता हूं। मुझे सख्त अफसोस है। मैं इसको बिलकुल छिपाना नहीं चाहता कि हमारी सरकार की, शासन की, मुख्य मंत्री जी की और मेरी यह लगातार इच्छा रही है कि जो कुछ पिछले 15 वर्षों में होता रहा है, उससे निकलकर, उस दलदल से निकलकर हम सही रास्ते पर आ जावें। यह आलोचना यदि कोई करता है तो उससे इंकार नहीं करता हूं। लेकिन उस दल-दल से निकलने में.....(व्यवधान) पहले तो सम्पूर्ण अनुदान आता रहा।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

यह दल जिसका जिक्र है वह सन् 69 से शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जबसे यह बना है, उसमें से 15 वर्ष घटा दिये जाएं तो सन् 64 आता है, वह सन् 64 से उसी समय से शुरू हुआ है, जिस समय आप पार्लियामेंटरी और कोआपरेटिव मिनिस्टर थे ...

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

सन् 70–71 में तीन महीने का लिया गया, 71–72 में पहले 3 महीने का और पुनःएक महीने का, 72–73 में डेढ़ महीने का, 73–74 में फिर डेढ़ महीने का और सन् 74–75 में जब सबको इमरजेंसी के दौर से गुजरना पड़ा, उस समय संजय गांधी की कृपा से .....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या उस रास्ते से गुजरने का आपका भी इरादा है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप न कहें, तो अच्छा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

जो सदन में यहाँ नहीं है, उसके बारे में इन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसीलिए तो मैंने रोक दिया।

श्री मधुकर दिघे—

जितनी उनसे उन्हें मोहब्बत है, उससे कम हमें नहीं है। मैं खामोख्वाह किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं जानता रहा हूं और उनके भाषणों को सुनता रहा हूं। वह उतने ही प्रिय मुझे हैं, जितने नारायणदत्त जी को हैं फिर भी मैं इसको छोड़े देता हूं। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि हम सम्पूर्ण बजट लाना चाहते थे। हमारी 755 करोड़ रुपये की प्लान के लिए जो योजना थी, उस योजना के मुकाबले में 690 करोड़ रुपया हमें मिला। फिर वह हमसे जानना चाहते हैं कि 31 करोड़ का आपने क्यों नहीं उल्लेख किया। यह मालूम होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो योजना रही है, वह तो योजना मिलती ही है। हमारी लगातार माँग रही है और आपकी भी रही है कि इसको सहायता के मामले में हिमांचल प्रदेश के बराबर कर दिया जाए। उससे हमारा उनका कोई मतभेद नहीं है। 755 का जिक्र इसलिए किया, उससे वह 690 की योजना संदर्भित है, 786 करोड़ करते तो उसमें मिला देता। तो यह साधारण गणित का मामला है। आपका ज्ञान हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत में अच्छा हो सकता है, लेकिन गणित में मेरा भी कुछ हस्तक्षेप रहा है। मैं डिस्टिंक्शन पाता रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गणित में यही योग्यता है कि आंकड़े जोड़े नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

सप्तम् वित्त आयोग का इसमें जिक्र करने की क्या जरूरत है ? उसकी सिफारिशें जनता और माननीय सदस्यों के समक्ष आ चुकी हैं। उसमें जो कुछ कहना है प्रदेश के हित में, स्वयं तिवारी जी ने मुझसे बातचीत की कि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले वर्षों में वित्त आयोग द्वारा जो राशियाँ मिलती रही हैं उसमें तुमको बधाई देता हूं बहुत अच्छी सफलता तुमने प्राप्त की। यह भी कहा इस हाउस में कि सप्तम वित्त आयोग द्वारा जो राशियाँ मिलीं उसका उपयोग भी काफी अच्छी तरह से कर सकते हो प्रदेश के हित में, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं।

[श्री मधुकर दिघे]

इसके अतिरिक्त उन्होंने एक प्रश्न उठाया। अब मैं क्या बताऊं, पहले भी एक दो बार उनके बारे में कह चुका हूं। वह जानते हैं, वह पढ़े लिखे हैं। वह बोलते बहुत हैं। हम कम बोलते हैं क्योंकि मान्यवर, माननीय तिवारी जी अपना ज्यादा समय पढ़ने लिखने में और बाकी समय दिल्ली में दरबार में बिताते हैं। मैं साधारण कार्यकर्ता रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप दिल्ली जाते ही नहीं हैं।

श्री मधुकर दिघे—

मेरा ज्यादा समय जन सेवा में जाता है। लेकिन चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें कह दें जिससे सारे लोग चकित हो जायं . . .(व्यवधान) . . . उन्होंने कहा सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें) के बारे में, उसके बारे में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने क्या कहा—

"Subsequent to the determination of the outlays for the Central Plan in the plans of the States for 1979-80, a decision has been taken at the recent meeting of the National Development Council to effect some modifications in respect of centrally sponsored schemes. The funds newly allocated for some of the centrally sponsored schemes will be released for distribution among the States on the basis of new formula. Consequently adjustments in the budget provisions of 1979-80 for the schemes will be made in the course of the year." इसमें जो फार्मूला तय हुआ . . . . .

श्री देवबहादुर सिंह—

हिन्दी में इसके बारे में बता दें।

श्री मधुकर दिघे—

हिन्दी कर रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर यह व्यवस्था दी गयी है कि सदन में अंग्रेजी लिपि में जो होगा वह यहां पढ़ कर भी नहीं सुनाया जायगा। यह व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जो उस समय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने दी थी। उसी कुर्सी पर बैठे हैं। आप किसी मंत्री को इजाजत न दीजिये कि अंग्रेजी में पढ़ कर कोई बात कहें और बाद में हिन्दी में अनुवाद करें। हिन्दी में अनुवाद करके पढ़ें, वही पढ़ने दिया जाय। अंग्रेजी में पढ़ कर पिछली व्यवस्था का निरादर किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री मधुकर दिघे—

सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स (केन्द्रीय पुरानिधानित योजनाओं) के बारे में जो प्लान तय हुआ है उसके अनुसार जो रकम एक वर्ष या पांच वर्ष के लिए दी जायगी उसके बारे में बाद में डिसीजन (निर्णय) लिया जायगा। उसका ऐडजस्टमेंट भी जो केन्द्रीय बजट में सुधार करना है, जो संशोधन करना है, वह बाद में किया जायगा। मान्यवर, ऐसा है कि जो तिवारी जी चाहते हैं वहीं मैं बता रहा हूं। दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में इस पर बहस हुई तो पहली बार जो माननीय नेता विरोधी दल जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और सारे प्रदेश के महान नेता थे और उनके ऊपर दिल्ली की कृपा भी रही।

और वह कृपा ठीक ही है, क्योंकि वह प्रदेश के हित में थी, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। गाडगिल फारमूला के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ लगातार अन्याय होता रहा।

पहली बार जो बैकवर्ड स्टेट्स थे, उन राज्यों ने जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार से और सुधार करने के लिए कहा कि इसके लिए एक अलग धनराशि मिलनी चाहिए। जो अभी तक उनके साथ अन्याय होता रहा है उसकी बात सामने लायी। पहले 42 हजार करोड़ रुपया बंटा। 2 हजार करोड़ रुपया अलग से निकाल कर सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स का एक नया फारमूला निकाल कर जिसमें पापुलेशन कम पावरटी रेशियो में दिया जायेगा और यही हमारी मांग भी थी। 42 करोड़ रुपया मिलने की सम्भावना है। क्या मिलेगा यह अभी निश्चित नहीं है इसलिए यह इसमें देना सम्भव नहीं था। आपका ज्ञान आपका सुझाव यह सब स्वीकार है। आप जानते हैं कि बजट बनता है तो उसमें निश्चित आंकड़े देने पड़ते हैं। जब निश्चित नहीं है तो कैसे दिया जा सकता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर आप रुपया ज्यादा ले आये हैं तो योजना कैसे कम हो रही है? योजना में जो धनराशि मिली है वह छोड़कर कितनी ज्यादा है? या तो जो योजना के आंकड़े दिए गये हैं वह कम करके दिखाये गये हैं या जो कहा जा रहा है वह ठीक नहीं है? जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका रुपया चाहे केन्द्र सरकार खर्च करे या राज्य सरकार खर्च करे मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि योजना कैसे कम हो गयी है?

श्री मधुकर दिघे--

पुनः उसी प्रश्न को उलझा कर कहलाना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन से 690 करोड़ की योजना हमारे संसाधनों और केन्द्रीय सहायता के आधार पर मिलती है। 2 हजार करोड़ रुपये की जो योजना है उसमें हमारा हिस्सा अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि कितना और रुपया मिलना है। इसीलिए अनिश्चित होने के कारण इसको छोड़ दिया है। आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय नेगी जी का कुछ जवा नहीं देना चाहिए। उनके अपने अनुभव बहुत अधिक है। उनके यहाँ पर घटकवाद भी बहुत चलता है। राजनैतिक जवाब देना उचित नहीं है। यह जो जनता पार्टी की सरकार है वह जनता के लिए बनी है। यह प्रश्नों को खड़ा करती है, लड़ती है, उसके लिये सदन का उपयोग भी करती है, पर बाद को एकजुट होकर प्रदेश के हित के लिये ही सदा कार्य करती है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इस लेखानुदान को पारित करने की कृपा करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या योजना के विषय में बजट से पहले विचार होगा?

श्री बनारसी दास--

प्रारूप तो जो उसका है वह प्रारूप ही रहता है, वह कोई फाइनल नहीं हुआ करता। वह चूंकि इस समय हिन्दी में नहीं अंग्रेजी में है, इसलिये बाद को बजट पेश होगा और बजट के लिये जब सदन बुलाया जायेगा तो उसे भी सदन के सामने पेश कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979

1 अप्रैल, 1979 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1979 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1979-80 के लिये 5,97,12,43,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1979 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 5,97,12,43,000 रु0 (रुपये पांच अरब सत्तानबे करोड़ बारह लाख तैंतालिस हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं—

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	राज्य विधान मंडल ..	44,55	85	45,40
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	3,57	3,57
3	मंत्रि परिषद् ..	16,54	..	16,54
4	न्याय विभाग ..	2,01,31	39,39	2,40,70
5	निर्वाचन विभाग ..	17,71	..	17,71
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर) ..	1,99,97	9	2,00,06
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	10,33,18	65,09	10,98,27

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	42,76	1	42,77
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग ..	6,45,32	3	6,45,35
10	आबकारी विभाग ..	38,64	2	38,66
12	परिवहन विभाग ..	4,19,45	1	4,19,46
13	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) ..	8,46	..	8,46
14	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) ..	85,27	1	85,28
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	8,19,75	8,19,,75
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	36,54,17	36,54,17
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	13,36	13,36
18	सचिवालय ..	1,56,95	1	1,56,96
19	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ..	8,66	..	8,66
20	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	76,04	..	76,04
21	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग ..	13,17	1	13,18
22	संस्थागत वित्त विभाग ..	2,74	1	2,75
23	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	4,80	..	4,80
24	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2,53,75	2	2,53,77
25	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	56,67	1	56,68
26	गृह विभाग (पुलिस) ..	20,16,67	2	20,16,69
27	गृह विभाग (कारागार) ..	1,48,54	1	1,48,55
28	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) ..	1,60,27	..	1,60,27
29	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	26,08	4	26,12
30	सतर्कता विभाग ..	21,05	1	21,06

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
31	नागरिक सुरक्षा विभाग ..	1,01,50	1	1,01,51
32	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) ..	5,18,14	9,39	5,27,53
33	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	1,99,50	..	1,99,50
34	शिक्षा विभाग ..	64,46,87	2	64,46,89
35	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	1,66,48	1	1,66,49
36	स्पोर्ट्स विभाग ..	17,75	..	17,75
37	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	13,99	1	14,00
38	विज्ञान और प्राद्योग विभाग ..	4,94	..	4,94
39	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	14,47,39	3	14,47,42
40	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	3,40,21	1	3,40,22
41	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	5,46,34	1	5,46,35
43	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	26,61	50	27,11
44	आवास एवं नगर भूमि विभाग	67,55	..	67,55
45	सूचना विभाग ..	42,70	1	42,71
46	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	1,11,79	1	1,11,80
47	श्रम विभाग (सेवा योजन)	1,22,04	5	1,22,09
48	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग ..	5,15,10	1	5,15,11
49	सहायता और पुनर्वासन विभाग	10,23	1	10,24
50	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) ..	2,70,00	2,70,00	5,40,00
52	सहकारिता विभाग ..	92,13	1	92,14
53	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	21,05,28	11	21,05,39
54	नियोजन विभाग ..	70,43	..	70,43
55	कृषि विभाग (कृषि) ..	4,24,89	11	4,25,00
56	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	63,63	65	64,28
57	गन्ना विकास विभाग ..	1,37,50	1	1,37,51
58	ग्राम्य विकास विभाग ..	7,56,48	2	7,56,50
59	पंचायती राज विभाग ..	1,45,00	5	1,45,05
61	क्षेत्रीय विकास विभाग ..	3	..	3
62	खाद्य तथा रसद विभाग ..	1,30,22	20	1,30,42

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
63	पशुधन विभाग ..	2,35,18	1	2,35,19
65	मत्स्य विभाग ..	18,56	1	18,57
66	वन विभाग ..	1,91,12	1	1,91,13
67	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	59,58	7	59,65
68	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	2,25,83	2,13,75	4,39,58
69	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	74,09	..	74,09
70	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) ..	15,90	1	15,91
71	विद्युत् विभाग ..	5,38	1	5,39
72	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) ..	23,70,77	1	23,70,78
73	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	11,25,00	2	11,25,02
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	6,89,44	3	6,89,47
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	15,51	5	15,56
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	5,32,34	1	5,32,35
78	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) ..	2,77,70	..	2,77,70
80	पर्यटन विभाग ..	7,94	..	7,94
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	2,43,76	25	2,44,01
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	87,42	81	88,23
84	चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय	4,42	..	4,42
85	स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	1	..	1
87	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	69,79	13	69,92
88	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग पूंजीगत परिव्यय ..	2,18	13	2,31

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
90	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	9,68,21	1	9,68,22
91	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय	4,80	..	4,80
92	सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय	10,00	..	10,00
94	संस्थागत वित्त विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	2,50	..	2,50
96	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) ..	8,66	..	8,66
97	कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय	8,58,94	13	8,59,07
98	ग्राम्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	7,58	..	7,58
100	नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	10,00	..	10,00
101	खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	43,62,00	..	43,62,00
102	पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	31	..	31
104	वन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	7,20	1	7,21
105	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	62,61,63	1	62,61,64
106	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) ..	10,56,00	..	10,56,00
107	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	13,38,23	13	13,38,36
108	परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	3,00,00	..	3,00,00
*110	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण ..	..	74,72,73	74,72,73
111	शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम ..	19,03	..	19,03
112	प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम ..	1	..	1

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची (समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयो में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
113	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	2,24,69	..	2,24,69
114	आवा स विभाग—ऋण और अग्रिम ..	80,93	..	80,93
115	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम ..	37,29	..	37,29
116	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	6,77	..	6,77
117	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम ..	31,94	..	31,94
118	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम ..	1,20,34	..	1,20,34
119	वन विभाग—ऋण और अग्रिम	9	..	9
120	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम ..	38	..	38
121	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम ..	1	..	1
123	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम ..	4,50	..	4,50
125	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	52	..	52
126	विद्युत् विभाग—ऋण और अग्रिम ..	39,92,50	..	39,92,50
127	परिवहन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	5,27,37	..	5,27,37
128	वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम ..	58,75	..	58,75
	योग ..	4,71,46,37	1,25,66,06	5,97,12,43

अपर विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 पारित किया जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

क्या राज्यपाल की सिफारिश नहीं ली गई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-सूची की मद संख्या 17, 18, 19 व 20 के समाप्त होने के उपरान्त ही अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री उपाध्यक्ष---

अब 5 बजे तक अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा होगी। उसके बाद कार्य-मंत्रणा समिति निश्चय करेगी कि इस पर कब फिर बहस हो।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)---

यह तय हुआ था कि केवल प्रस्तुतीकरण ही इसका आज होगा, चर्चा 19 तारीख को होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

वह निश्चय तो कार्य-मंत्रणा समिति करेगी कि कब फिर चर्चा होगी। 19 को तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 तारीख को साढ़े 9 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी तभी इसके लिये समय के बारे में तय होगा। आज इस पर 5 बजे तक चर्चा होगी। इस पर बहस जारी रहेगी।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

इसका प्रस्तुतीकरण हो जाने दीजिये, बहस चलती रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

यह कैसे हो सकता है ? आप नियमावली देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले सामान्य चर्चा ही होगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

कितना समय है इसके लिये ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सामान्य चर्चा पहले होगी, इसलिए मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

श्री श्यामधर मिश्र---

आपने सवा 4 बजे से कार्यक्रम जो बचे हैं और अकस्मात् सवा चार बजे ही रहा है और कुछ कार्यक्रम जो हैं, उनको आपको पूरा करना ही है....

श्री उपाध्यक्ष---

सदन ने यह संशोधन कर दिया था, सम्भवतः उस समय आप उपस्थित न हों।

श्री श्याम धर मिश्र—

जो बाकी हैं, आज कुछ नहीं लिये जायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सदन ने यह संस्तुति नहीं की थी, बल्कि केवल इतना कहा था कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट केवल पेश होगी। उसके ऊपर चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जब भी जो तारीख निश्चित करेगी, तब होगी। सवा चार बजे से आपके और कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग जायगा, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

पाण्डेय जी, आप तो मौजूद थे और आप ही के सामने यह निर्णय हुआ था कि 3 बजे वोट आन एकाउन्ट होगा और उसके बाद में जो समय बचेगा, उसमें यह अनुपूरक अनुदान जो हैं, उन पर चर्चा होगी और बराबर चलती रहेगी।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, अगर सदन के सामने और कोई विषय नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जो आइटम 17, 18, 19 और 20 हैं, ये चारों आइटम लास्ट में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा करते हैं कि ये जो वक्तव्य है, ये मद 17, 18, 19 और 20 जो हैं, इसको लिये लेते हैं और उसके बाद अगर समय बचेगा, तब अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बोलने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब यह न समझा जाय कि मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुझे मालूम है। लेकिन आप कितना समय लेंगे, कृपया यह बता दें ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, पूरा नहीं हो पायेगा। 17, 18, 19 और 20 ले लें।

श्री मैनेजर सिंह—

17, 18, 19 और 20 लेने के बाद जो समय बच रहेगा, तब आप बोलने के लिए माननीय नेता विरोधी दल को बुला लें।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावास के विरुद्ध चलाए गए आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कारागार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

दिनांक 19-12-78 को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावास के दंड के विरोध में कांग्रेस (आई0) द्वारा चलाये गए आन्दोलन के फलस्वरूप प्रदेश की विभिन्न जेलों में लगभग 46702 आन्दोलनकारी बन्द थे। कुछ ही दिनों में इतनी अधिक संख्या में आन्दोलनकारियों के जेलों में आ जाने के कारण जेल प्रशासन को उनके लिए उचित व्यवस्था करने तथा सुविधायें नियमानुसार उपलब्ध कराने की कठिन समस्या उत्पन्न हो गई थी। प्रदेश के कारागारों की क्षमता वर्ष 1947 में 37752 बन्दियों को रखने की थी, जो वर्ष 1976 में घटकर 31647 ही रह गई थी। वर्ष 1976 के बाद केन्द्रीय कारागार, आगरा के बन्द किये जाने तथा आदर्श कारागार, लखनऊ की कुछ बैरकें गिर जाने के कारण प्रदेश के कारागारों की क्षमता लगभग 25,800 रह गई है। जेलों में क्षमता के आधार पर ही कर्मचारी रहते हैं। और उसी आधार पर बन्दियों

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]
के लिए व्यवस्था भी रहती है। 19 दिसम्बर, 1978 के बाद उपरोक्त आन्दोलन के कारण अप्रत्याशित रूप से जेलों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यह स्वाभाविक ही था कि कहीं कहीं बन्दियों को नियमानुसार भोजन और वस्त्र तथा अन्य सुविधायें समय पर उपलब्ध कराने में कठिनाई हुई।

इस विषम स्थिति के बावजूद भोजन, वस्त्र तथा स्वच्छता की व्यवस्था पर अधिक से अधिक धन व्यय करके और जेलों में उत्पादित 56 रु0 मूल्य के कम्बलों को देखते हुए गाँधी आश्रम तथा अन्य स्रोतों से 60 रु0 से लेकर 120 रु0 तक कम्बल खरीदकर आन्दोलनकारी बन्दियों को अधिक से अधिक सुविधायें देने तथा उन्हें जाड़े से बचाने का प्रयास किया गया। जब आन्दोलनकारी बन्दी अत्याधिक संख्या में पहुंच गये और जेलों के अन्दर भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ तो उन्हें बाजार से पूड़ी और साग बनवाकर दिया गया। कारागारों में स्थानाभाव को दूर करने के लिए तम्बू और शामियाना आदि लगवाये गये। कहीं-कही पर कारागार में अतिरिक्त स्थानाभाव के कारण भवनों का भी प्रबन्ध किया गया और उक्त बन्दियों को रहने की सुविधा का समुचित प्रबन्ध किया गया।

आन्दोलनकारी बन्दियों के असहयोग तथा जानबूझ कर साधारण बन्दियों और कारागारों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपमानित करने एवं उनमें क्रोध भड़काने के प्रयासों के बावजूद जेल के अधिकारी वर्ग ने शालीनता, संयम, सहिष्णुता एवं मानवता का परिचय दिया है। और यथासंभव कम के से कम समय में आन्दोलनकारी बन्दियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधायें देने का प्रयास किया। जेलों में बन्द सत्याग्रही आन्दोलनकारियों में से नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को उच्च श्रेणी में भी रखा गया था। इन आन्दोलनकारियों के प्रति यथासम्भव अच्छा व्यवहार किया गया तथा सुविधायें नियमानुसार उपलब्ध कराई गई। फिर भी कुछ जेलों में भोजन आदि की समस्याओं को लेकर आन्दोलनकारियों ने जेल अनुशासन भंग किया और प्रशासन को बाध्य हो कर बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में करना पड़ा। ऐसी ही एक घटना केन्द्रीय कारागार, नैनी में दिनाँक 21-12-78 को प्रातः 9 बजे उस समय घटी जब चक्र नं0 5 से काफी संख्या में सत्याग्रही बन्दी मुख्य द्वार से निकल कर एक साथ जबरदस्ती बाहर की ओर जाना चाहते थे। ड्यूटी पर तैनात हेड वार्डर ने उन्हें रोका तो वे लोग गाली बकने लगे और फाटक को जोर-जोर से हिलाते हुए नारे लगाने लगे। इस क्रम में फाटक की सिटकनी का लोहा टेढ़ा होकर निकल गया और फाटक खुल गया। सत्याग्रही बन्दी हेड वार्डर से चाभी छीनने लगे। उन्होंने उनकी वर्दी फाड़ दी और उसे पीटने लगे। इस पर एलार्म कराया गया और सभी जेल वार्डर और नम्बरदार घटनास्थल पर पहुंच गए। सत्याग्रहियों ने फूल की क्यारियों में लगी ईटों को उठाकर पथराव करना शुरू किया। जेल वार्डरों ने आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। जेल के एक प्रधान बन्दी रक्षक, 6 वार्डर, 47 काँग्रेस (आई) के बन्दी, 16 सिद्ध दोष बन्दियों को चोटें आई। 2 सत्याग्रही, 1 हेड वार्डर एक वार्डर तथा 2 नम्बरदारों को गंभीर चोटें आई। शेष को साधारण चोटें आई। इस घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की जा रही है।

कुछ अन्य जेलों में भी इसी प्रकार की घटनायें हुई और ऐसी सभी घटनाओं की जाँच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

विभिन्न जिलों में आन्दोलनकारियों ने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर जिलों में भूख हड़ताल तथा प्रतीकात्मक अनशन भी किए। यह अनशन अधिकतर एक या दो दिन के लिए ही किये गये थे और बिना शर्त स्वेच्छा से समाप्त कर दिये गये थे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
मान्यवर, वक्तव्य मुझे आधा मिला है आधा नहीं है। मान्यवर, मुझे इसकी पूरी कापी मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—
आपके पास दूसरी कापी पहुंचा दी जायेगी।

श्री देवबहादुर सिंह—
मान्यवर, इसमें सहारनपुर जेल के बारे में कुछ नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—
मान्यवर, इसमें बरेली जेल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। वहां भीषण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 6 आदमी वहां बुरी तरह से मारे गये और उनको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल नहीं ले जाया गया। शंकर सिंह, अख्तर मेहदी साहब आदि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वहां आर0 डी0 शर्मा जो जेलर हैं उन्होंने हुक्म दिया कि लाठी चलायी जाय। राम सिंह खन्ना बुरी तरह से पीटे गये।

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
श्रीमन्, यह वक्तव्य अधूरा है। पैराग्राफ 4 में है, कुछ अन्य जेलों में भी इसी प्रकार की घटनायें हुईं और ऐसी सभी घटनाओं—की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। इसमें नैनी जेल के बारे में है। इसी प्रकार से आगे लिखा है कि विभिन्न जेलों में आन्दोलनकारियों ने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर जेलों में भूख हड़ताल तथा प्रतीकात्मक अनशन किया। तो इसमें विवरण नहीं दिया गया है। आप दोबारा वक्तव्य दिलवाइए। यह अधूरा वक्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष—
आप प्रश्न करके पूछ लीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह—
मान्यवर, यह वक्तव्य बिल्कुल अधूरा है।

श्री उपाध्यक्ष—
आप बैठिये। पैराग्राफ 4 में है कि कुछ अन्य जेलों में भी इसी प्रकार की घटनायें हुयीं। तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में जानकारी जब पुनः एकत्रित हो जाय तो दे दीजियेगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, एक बात सुन लें। मैंने और माननीय देव बहादुर सिंह ने न केवल नियम 56 में ही नहीं उस समय उठाया था, बल्कि 51, 52 और शून्य प्रहर में दिया था। तत्कालीन अध्यक्ष ने कृपा करके आज्ञा दी थी। लेकिन इसमें बरेली, बनारस, मेरठ आदि के बारे में कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
अब आप बैठ जाइये। मैंने कह दिया।

श्री देव बहादुर सिंह—
मान्यवर, सहारनपुर जेल में जो कैदी हैं उनको पिटवाया गया। इसी तरह से बरेली और गोंडा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जो रिपोर्ट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—
पैराग्राफ 4 के बारे में मैंने कह दिया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस आन्दोलन से सम्बन्धित आज भी लोग जेलों में हैं जिन्होंने शांति पूर्वक गांधीवादी तरीके से आन्दोलन किया था। भोला पांडेय और देवेन्द्र पांडेय लखनऊ जेल में हैं उनको उच्च श्रेणी नहीं दी गयी है। वह उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान हैं। गांधीवादी तरीके से उन्होंने जो कुछ किया है लेकिन यहां तो रेल की पटरियां उखाड़ने वाले लोग हैं जो इस पार्टी के नेता हैं। हजारों आदमियों को इमरजेंसी में मार दिया। देवेन्द्र पांडेय और भोला पांडेय को यातनायें दी जा रही हैं, उनके मुंह से खून आ रहा है। मेरे पास पत्र आया है। उन्हें अस्पताल नहीं भेजा जा रहा है। आखिर उनका कौन सा जुर्म है? उन्होंने हत्या नहीं की, हिंसा नहीं की? मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें जेल में उच्च श्रेणी दिलवाने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभियुक्त जेलों में बन्द हैं और जिनको साधारण श्रेणी में रखा गया है उनको सूचना प्राप्त करके शैक्षिक या जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं उनको उस श्रेणी में रखने के आदेश दे दिये जायेंगे। जो लोग बीमार हैं उनकी समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी। जो अभियुक्त हिंसा या तोड़फोड़ के अन्दर हैं उनको छोड़कर, बाकी सब लोगों को जो आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं उनको छोड़ने की व्यवस्था भी तुरन्त की जायेगी।

गोंडा में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों द्वारा धारा 144 तोड़ने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

दिनांक 21 दिसम्बर, 1978 को गोंडा शहर मोहल्ला महराज गंज में स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकल कर तथा शहर में अन्य स्थानों से आकर लगभग दो फर्लांग की दूरी पर स्थित गुड्डमल चौराहे पर कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं के धीरे-धीरे छुटपुट इकट्ठा होने व नारे बाजी की सूचना प्राप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट गोंडा तथा इन्सपेक्टर कोतवाली अन्य पुलिस फोर्स के साथ तुरन्त मौके पर पहुंचे। वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग की आती हुई जीप पर ईंट और पत्थर फेंके कर उसका शीशा तोड़ दिया तथा जीप के अन्दर रखी हुई दवाओं को चोरी से निकाल लिया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस स्थान पर 48 व्यक्तियों को धारा 144 के उल्लंघन करने एवं जीप के तोड़-फोड़ व दवा चोरी करने के संबंध में गिरफ्तार किया। दौरान गिरफ्तारी इनमें से कुछ लोगों ने परगना मजिस्ट्रेट, गोंडा के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी प्रयास किया। गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारशुदा लोगों में से 14 व्यक्तियों को चोटें भी आईं। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 1 (2) धारा 188/427/379 भा० दं० वि० का पंजीकृत करके इन अभियुक्तों को पुलिस की हिरासत में ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग की जीप पर केवल डाइवर था। स्वास्थ्य अधिकारी जीप पर नहीं थे। अतः स्वास्थ्य अधिकारी को चोट आने का प्रश्न नहीं उठता। ड्राइवर को भी चोट नहीं आई।

कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिये कटिबद्ध थे तथा धारा 144 तोड़कर जुलूस निकालने की कोशिश में थे। उपरोक्त घटना के बाद कुछ प्रदर्शनकारी भीड़ से अलग होकर कचहरी की तरफ आ गये। कचहरी गेट के अन्दर कांग्रेस (आई) के अन्य कार्यकर्त्ता भी धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगे तथा कचहरी के अन्दर पहले से उपस्थित अन्य लोग जो अपने मुकदमे आदि के सम्बन्ध में वहां पर मौजूद थे व अन्य दर्शकगण की उपस्थिति के कारण वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने कपड़े की एक गठ्ठरी को निकाल कर जला दिया जिसके बारे में निश्चित

रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह किसी का पुतला था अथवा नहीं। तत्काल पुलिस ने वहां से 65 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1172 धारा 188/427 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत किया गया। इस प्रकार दिनांक 23 दिसम्बर, 1978 को 113 कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार करके जेल भेजे गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह जो मुख्य मंत्री ने घोषणा की ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति की गठरी जलायी गयी और गिरफ्तार हो गये 65 व्यक्ति। तो ऐसे जो मुकदमे चल रहे हैं और जो राजनैतिक अपराधियों के नाम पर क्रिमिनल मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें भी वापस लेना चाहिये।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि प्रधान मंत्री का पुतला जल रहा है। पीछे-पीछे कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता चल रहे थे और उसके पीछे पुलिस गवाह के तरीके से चल रही थी, इसको स्वयं आंख से देखा है। तत्कालीन राजस्व मंत्री जी भी डाक बंगले में मौजूद थे। मैंने सूचना दी और उन्होंने हिदायत दी। उसके बावजूद भी अर्थी पहुंचायी गयी और जलायी गयी। वह 3/4 फुट की लम्बी अर्थी थी जली हुयी थी। तो इस प्रकार से यह झूठी रिपोर्ट दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसमें अनुपूरक उचित नहीं।

एक सदस्य—

पुतला जलाया गया—इससे ज्यादा और क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं।

नियम 51 में.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो राजनैतिक मुकदमें चलाये गये हैं, उसके ऊपर मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे।

श्री बनारसी दास—

मैंने शुरू में घोषणा की थी कि जो तोड़-फोड़ और हिंसा की कार्यवाही में है, उनके अतिरिक्त जिन्होंने 144 का उल्लंघन किया, उन सभी को छोड़ने पर विचार किया जायेगा और जिन केसेज की ओर माननीय नेता विरोधी दल ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, यदि उनमें हिंसा का कोई मामला नहीं है, तो उन सभी मामलों को वापस ले लिया जायेगा। मैं इन सभी केसेज में पूरी जानकारी मंगाऊंगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नियम 51 ले लिया था।

पहली सूचना श्री हरि केवल प्रसाद और श्री राम आसरे वर्मा की है जो स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के श्रमिक संघ के मंत्री श्री बाँके सिंह द्वारा प्रबन्धक के खिलाफ श्रमिकों से के समर्थन में दिनाँक 8-3-79 से आमरण अनशन के बारे में है। इसको नियम 51 में केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

[श्री उपाध्यक्ष]

दूसरी सूचना ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी द्वारा दी गई है जिसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। यह जनता युवा मोर्चा, उन्नाव के उपाध्यक्ष श्री मेहराज अहमद की उन्नाव शहर में निर्मम हत्या के संबंध में है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर की सूचना मेरठ विश्वविद्यालय के सभी 53 परीक्षा केन्द्रों में सामूहिक नकल के संबंध में है जिसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

चौथी सूचना श्री शम्भूनाथ चौधरी और श्री मन्नू राम जी की है जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र अग्रवाल के दिनाँक 28 दिसम्बर, 1978 द्वारा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वर्ष 1979 के लिए भेजे गये संदेश में प्रयुक्त शब्दों के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

शेष सूचनायें अस्वीकार किया है। इन पर 20 तारीख को वक्तव्य होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, नबावगंज, बरेली में आमरण अनशन के बारे में सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष---

लिख कर दे दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

जो 8 को करने जा रहे हैं उसको स्वीकार कर लिया लेकिन मेरा नहीं स्वीकार किया।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

मुझे यह निवेदन करना है कि नियम 51 में केवल एक सूचना स्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर वक्तव्य मांगेंगे तो फिर नियम 51 तो रहा नहीं। आपने नियम 51 के अर्न्गत सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया इसका तो कोई औचित्य नहीं लगता है। इस प्रकार तो नियमों में संशोधन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

भविष्य में मैं इसका ध्यान रखूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मुख्य मंत्री जी आपको निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

आप कहते हैं कि 8 तारीख में अस्वीकृत हो चुका है। क्या वहाँ पर गोली चल जायेगी तभी आप स्वीकार करेंगे? नवाबगंज में स्थिति बड़ी विस्फोटक हो रही है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मैं केवल एक सूचना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में हरिजनों के ऊपर जो गोली चली थी उसके सम्बन्ध में मैंने आपको नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी। उसके बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी कि कब वक्तव्य होगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

नवाबगंज और मुजफ्फरनगर दोनों स्थानों की घटनाएं स्वीकार करने योग्य हैं।

श्री चेतराम गंगवार---

नवाबगंज में पिछले 8 दिनों से बराबर बाजार बन्द है। लोग तहसीलदार के कोर्ट में नहीं जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमारा आपसे आग्रह है कि नवाबगंज जो रुहेलखंड का मुख्य केन्द्र है और मुजफ्फरनगर जहां पर एस० डी० पाटिल भी आ चुके हैं और लोक सभा में उसके विषय में कम से कम

6 बार प्रश्न उठाया जा चुका है लेकिन विधान सभा में एक बार भी न वक्तव्य आया और न चर्चा हुई । इसलिए मेरा निवेदन है कि मुजफ्फरनगर और नवाबगंज दोनों को लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

मुजफ्फरनगर का तो ले लिया है। शायद 19 तारीख वक्तव्य के लिए निश्चित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, (जिला सीतापुर)---

आपने शून्य प्रहर में अपेक्षा की थी दो मुद्दों के बारे में, एक तो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के अटेन्डेन्स कन्डोन किये जाने के बारे में, दूसरे इन परीक्षाओं में बैठने वाले लड़के और लड़कियों के सेन्टर जो अन्य स्थानों पर किये गये हैं। मैंने उस समय यह विषय उठाया था और आपने कहा था कि मुख्य मंत्री जी से सूचना दिलवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

जब पांच बजने में कुछ मिनट रह जायेंगे तो मैं उनको कह लूंगा ।

1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ....

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी तो यहां हैं ही नहीं । जब तक वे न आयें बोलना बेकार है।

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)---

मुख्य मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं उनकी कठिनाई को समझता हूं। लेकिन यह अनुपूरक बजट तो उनके मुख्य मंत्री होने के पहले ही तैयार कर लिया गया होगा। अगर वे मेरी बात का जवाब दे सकेंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

वित्त मंत्री जी विधान परिषद में हैं। यह निश्चित हुआ था कि इसके लिए और समय मिलेगा। आज ही अनुपूरक अनुदान पर पूर्व निश्चय के अनुसार मतदान होना था तो यह आप लोगों का सुझाव था कि इस पर जितना समय मिले, बहस हो जाए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैंने बिल्कुल दूसरी बात कही, श्रीमन् । मैंने यह कहा कि वित्त मंत्री उपस्थित नहीं हैं और अनुपूरक अनुदानों पर विचार हो रहा है तो वित्त मंत्री जी को बुला लिया जाए।

श्री बनारसी दास---

वे इस समय विधान परिषद् में हैं। मैं मौजूद हूं, अन्य मंत्री मौजूद है, आप जो कुछ कहेंगे उसका उत्तर बाद में दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी–

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं और जब मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं तो वहां किसी और मंत्री की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष के आसन पर थे तब आप उनकी व्यवस्था मान लेते थे इस लिए अभी भी उनकी बात को मान लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री मैनेजर सिंह जी ने अच्छी मैनेजरी की।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार तीसरा सप्लीमेन्टरी बजट आ रहा है। जहां तक मुझे याद है, अभी तक कभी भी 3 सप्लीमेन्टरी बजट यू0 पी0 में पास नहीं किये गये, 2 किये गये या एक किया गया। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, हो सकता है कि कभी 25 साल पहले या 10 साल पहले कभी किये गये हों लेकिन जहां तक मेरी स्मृति है, यह तीसरा सप्लीमेन्टरी बजट पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। सप्लीमेन्टरी बजट पेश करना कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं है। संविधान में यह बात है कि जितने सप्लीमेन्टरी बजट पेश किये जायें उतने पेश किये जा सकते हैं। लेकिन सामान्य परिपाटी एक या दो सप्लीमेन्टरी बजट पेश करने की रही है। यह वर्तमान सरकार की असफलता का एक प्रमाण है कि बजट बनाने में कितनी अदूरदर्शिता दिखाई गई है, बजट का प्राक्कलन बनाने में कितनी अदूरदर्शिता दिखाई गई है, बजट एस्टीमेट बनाने में कितनी कमी दिखाई गई है, यह इसका एक प्रमाण है और ऐसे प्रमाणों से यह पूरक बजट भरा हुआ है।

महोदय, इतना अपार बहुमत होते हुए और इतना अपने ऊपर आत्मविश्वास होते हुए यह तीसरी किस्त लानी पड़े बजट की, और सबसे बड़ी किस्त लानी पड़े, यह दुराग्रह तो नहीं है लेकिन एक परम्परा ऐसी है कि जिसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह आने वाली सरकारों के लिये भविष्य के लिये गलत परम्परा बन जाएगी। अगर 3 बजट बन गये तो 4 बजट भी बन सकते हैं। 2 उप मुख्य मंत्री बन गये तो 4 भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जो गलत परम्परायें बन रही हैं वह इस पूरक बजट की असफलता का प्रमाण है। श्रीमन्, इसमें आप पेज उठाकर देखें कि इसमें एस्टिमेटिंग में कितनी कमियां हुई हैं। अनुदान संख्या 3 देखें श्रीमन्, यह पृष्ठ 3 में है, अनुदान संख्या छपी ही नहीं है श्रीमन्, प्रकाशन की गलती है या क्या है? अनुदान संख्या 4 होना चाहिए लेकिन अनुदान संख्या ही लिखा हुआ है। न्याय प्रशासन के बारे में करीब कुल मिलाकर इस बजट में 61 लाख रुपये का प्राविधान मांगा गया है। और इसमें श्रीमन्, क्या लिखा गया है। जज नहीं बढ़े हाई कोर्ट के लेकिन उच्च न्यायालय के शीर्षक में 27,56,600 रुपये का टेलीफोन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते वास्तविक व्यय को मिला कर खर्च बढ़ गया है। उच्च न्यायालय को खर्च मिलना चाहिए मैं नहीं कहता लेकिन मुझे आश्चर्य है कि न्यायालय उतना ही है, जज उतने ही हैं। मूल बजट में यह खर्च क्यों नहीं लिखा गया? यह कटौती जो उस समय की गई यह बजट बनाने की बुद्धिमत्ता की कमी दिखाई दे रही है। आप देखें मुंसिफ के बजट में 21,82,000 रुपया खर्च कम इस्टीमेट किया गया, दीवानी न्यायाधीशों के बजट में 12,000 रुपये का कम इस्टीमेट दिखाया गया है, अभिलेखागारों, ट्रेजरी वगैरह के लिए बजट में 5,30,000 रुपये का कम बजट दिखाया गया है, फौजदारी न्यायालयों के बजट में 11 लाख रु0 का बजट दिखाया गया है, महंगाई भत्ता बढ़ा नहीं है। महंगाई भत्ता वही है लेकिन महंगाई भत्ते का रुपया क्यों मांगा गया? इसी प्रकार एडवोकेट जनरल के यहां खर्च का इस्टीमेट गलत है और जो लोक सेवा प्राधिकरण है, ट्राइब्यूनल है, उनके यहां 1,40,000 रुपये का कम इस्टीमेट दिखाया गया है। तो यह 61 लाख रूपये का इस्टीमेट कम दिखाया गया है। अब अगले बजट में क्या होगा? क्या इस साल की अनुपूरक धनराशि को जोड़कर अगले बजट में रखेंगे या नहीं? मुख्य मंत्री जी अगर आप अगले बजट में कटौती नहीं देंगे, बजट में घाटा कम करने के लिए और उसकी कटौती कर देंगे तो फिर पूरक बजट लेंगे? यह बैड बजटिंग है, अच्छी बजटिंग नहीं है। परम्परा अच्छी नहीं है। हाई कोर्ट का और जजों का खर्च मालूम रहता है कि इतना शायद खर्च होने वाला था। न तो वास्तव में बचत हुई और न खर्च और इस प्रकार खर्च बढ़ गया।

अब इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखें राज्य आबकारी की मद को । इसमें भी इस्टीमेट में कमी की गयी । अब आबकारी का इस्टीमेट कहां ज्यादा बढ़ रहा है जबकि शराब बन्दी कर रहे हैं और सात जिलों में शराबबन्दी की घोषणा हुई है । आप शराब बन्दी करेंगे लेकिन आबकारी खर्च कौन सा बढ़ा रहे हैं । यह खर्च किस मद में है ? क्या यह प्रिवेन्शन में है ? आबकारी के बारे में अनुदान संख्या 10 में है इसका उल्लेख नहीं किया गया है ।

अब श्रीमन्, इस बजट में सबसे बड़ी मद कौन सी है ? सब से बड़ी मद आप देखेंगे तो वह क्रम संख्या 90 पेज 112 में है । उसमें 232 करोड़ 57 लाख रुपये का चार्जड एवम-पेन्डीचर माँगा गया है । 232 करोड़ रुपया कम नहीं होता श्रीमन् । सबसे बड़ी मद खर्च की यह है । और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से मैं वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसका विवरण देना चाहिए था । इसमें लिखा गया है कि अब तक जो बजट में व्यवस्था थी वह 500 करोड़ रुपये की थी जिसके जरिये ऋणात्मक रोकड़ शेष प्रोफार्मा समायोजन का डेविट हुआ करता था । 500 करोड़ रुपये के बजाय 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस पूरक बजट में हो रही है यानी डेढ़ तिहाई खर्च बढ़ाया जा रहा है । पाँच करोड़ का आधा जोड़ कर ढाई करोड़ रुपये हुआ । 250 करोड़ रुपया इस मद में बढ़ाया जा रहा है । अब क्या कहा जा रहा है । इस प्रकार से समायोजन की गयी धनराशि लगभग 750 करोड़ रुपया आँकी गयी है जब कि मूल व्यवस्था 500 करोड़ रुपये है तो ढाई करोड़ रुपये अधिक की आवश्यकता क्यों पड़ी ? कोई कारण तो इसका होना चाहिये था कि इसकी संभावना क्यों हुई और पहले से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी । ये सारी बातें इसमें स्पष्ट नहीं है । यह कह दिया गया कि रिजर्व बैंक से समय-समय पर अग्रिम लेते रहे हैं और उनका भुगतान होता रहा है । यानी वेज और मीन्स पोजीशन में हर राज्य सरकार को इस तरह रिजर्व बैंक से थोड़े समय के लिये रुपया लेना पड़ता है जिसे शार्ट टर्म लोन कहते हैं । इस व्यवस्था में रुपया बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है ? ओवर ड्राफ्ट की हमारी क्या स्थिति है ? ओवर ड्राफ्ट के ब्याज के लिये भी प्राविधान किया गया है ?

अनुदान संख्या 16 में लिखा गया है मूल विनियोग में ओवरड्राफ्ट तथा ब्याज देने के लिये 6 करोड़ की व्यवस्था थी, अब आवश्यकता 6 करोड़ 75 लाख की है यानी 75 लाख रुपया ब्याज ओवर ड्राफ्ट के लिये रिजर्व बैंक को ज्यादा देना है । इस तरह से इसमें तालमेल नहीं है । इसी तरह से जो अनुदान संख्या 90 है वह भी बढ़ जाना चाहिये थी और उसे 9 करोड़ रुपया हो जाना चाहिये थी । इस तरह ओवर ड्राफ्ट में ब्याज की धनराशि तथा अनुदान संख्या 90 में जो 232 करोड़ रुपया ज्यादा माँगा गया है उसका कोई स्पष्टीकरण इस बजट में नहीं किया गया है । सरकार यह कह सकती है कि वेज एंड मीन्स की पोजीशन के लिये लोन लेना ही पड़ता है, यह होता ही है । फिर भी भले ही यह एडजस्टमेंट एंट्री हो लेकिन हमको बतलाया जाना चाहिये कि हम यह 232 करोड़ रुपया क्यों मंजूर करें क्या 100 करोड़ रुपये से काम नहीं चल सकता था ? क्या इसका यह अर्थ है कि इस बीच राज्य के ऐसे ट्रान्जेक्शन बढ़ गये हैं जिसके कारण यह करना पड़ा ? लेकिन विकास ठप्प है, कोई बड़ा भारी ट्रान्जेक्शन नहीं हो रहा है, योजना घट रही है । 786 करोड़ रुपये की योजना घट कर 690 करोड़ हो गयी है तो ऐसे कौन से ट्रान्जक्शंस बढ़ गये हैं राज्य सरकार के जिनके आधार पर वेज एंड मीन्स की पोजीशन में 232 करोड़ रुपये की और अधिक व्यवस्था करनी पड़ी ? आप यह कह सकते हैं कि यह टेक्निकल एंट्री है लेकिन बजट जब यह रिफ्लेक्ट होती है तो इसके लिये कंसोलिडेटेड फंड में बोझा पड़ता है । फिर यह चार्ज्ड एमाउंट है, इस पर वोट भी नहीं हो सकता, इसलिये इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण इसमें दिया जाना चाहिये था । ओवर ड्राफ्ट के बारे में 75 लाख रुपये की अधिक माँग की गयी है । वित्त मंत्री जी यहाँ हैं नहीं, मुख्य मंत्री जी को याद होगा कांग्रेस

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सरकार की बड़ी आलोचना की गयी थी। क्योंकि ओवर ड्राफ्ट कर लिया। और उस समय हमारी हंसी उड़ाने की चेष्टा की गई कि हमने ओवर ड्राफ्ट कर लिया।

अब मालूम हो रहा है ओवर ड्राफ्ट का महत्व और रहस्य क्या है ? वित्त मंत्री जी अगर यहाँ होते तो मैं कहता कि कहिये महाराज, दो साल का तजुर्बा हो गया। दो साल पहले हमारी हंसी उड़ाया करते थे और काँग्रेस सरकार की नीतियों का मखौल उड़ाने का प्रयास किया करते थे। वह प्रदेश के हित में था। वित्त मंत्री जी नहीं हैं, मुख्य मंत्री जी हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी आप अध्यक्ष थे, आपको स्मरण होगा, कार्यवाही उठाकर देख लें। आप पायेंगे कि ओवर ड्राफ्ट कोई पाप नहीं था और आज भी पाप नहीं है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ओवर ड्राफ्ट करना संघीय बपौती नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिग के नियम बनने चाहिए जो केन्द्र के लिए भी समान रूप से लागू होना चाहिये और प्रदेश के लिये भी समान रूप से लागू होना चाहिये। यह नहीं है कि एक यूनियन एक संघीय व्यवस्था में केन्द्र से उसको नासिक के छापेखाने की सहायता से खर्चा बढ़ा लें और कोई राज्य किसी योजना के लिये भी स्कूलों के लिये, सड़कों के लिये, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई ओवर ड्राफ्ट न कर सके। इसके लिये कई सरकारें चुनौती दे चुकी हैं। हमने भी केन्द्र से बहस की थी लेकिन इस सदन में, माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष जी, यहाँ पर तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के वित्त मंत्री जी ने हमारी मखौल उड़ाने का प्रयास किया। श्रीमन्, उस समय अगर काँग्रेस सरकार 170 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट नियमानुसार न किये होती तो वह आज प्रदेश की आमदनी न होती। सब राज्य सरकारों को यह ओवर ड्राफ्ट लोन के रूप में दे दिया जाय। मैं शासन से नहीं कहता कि आप ओवर ड्राफ्ट कर लें लेकिन मैं कहता हूं कि वित्तीय अनुशासन होना चाहिए।

आज समय आ गया है कि यह सदन स्पष्ट करे कि उत्तर प्रदेश के लिये जो केन्द्र से अनुदान मिलता है, दूसरी सरकारें जो जिनकी वित्तीय पद्धति अनुशासित नहीं है वह मनमाने ढंग से ओवर ड्राफ्ट कर लें। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता लेकिन क्या यह सही नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने 3 करोड़ रुपया रोजाना का ओवर ड्राफ्ट किया, बाढ़ के नाम पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ बाढ़ आयी थी। केन्द्र से 3 करोड़ रुपया रोजाना का ओवर ड्राफ्ट होता रहा और सेन्टर इसके लिये उन्हें इजाजत देती रही। उन्होंने बाढ़ दिखाकर इसे लिया। कोई टैक्स नहीं लगाया। दो महीने में 180 करोड़ रुपया हो गया। उन्होंने कहा हमें जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि हम भी वैसे ही लें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र को इसके लिये नियम बनाने चाहिए, नासिक के छापेखाने की सहायता से डेफिसिट फाइनेंसिग के लिये ऐसा करना चाहिए, उसको सालाना शेयर मिलना चाहिए। और उस बजट में 13 सौ करोड़ रुपये का घाटा है, डेफिसिट फाइनेंसिग है तो उसमें से उत्तर प्रदेश को भी हिस्सा मिलना चाहिए।

अगर रेट आफ इकोनोमिक ग्रोथ 6 प्रतिशत बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश को या दूसरे राज्यों को केन्द्र के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिये। हम नहीं चाहते हैं ओवरड्राफ्ट को रिसोर्स बनाया जाय लेकिन आवश्यक हो जाय तो केन्द्र उसमें सहायता करे.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में दूर के केन्द्रों में परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में छूट देने के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक सूचना दिलवानी है। शिक्षा मंत्री जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक सूचना आपसे चाही थी परीक्षा केन्द्रों के बारे में।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव किया था कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षायें ली जा रही हैं और उसके लिए जो सेंटर निर्धारित किये हैं उसमें बच्चों को बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है, विशेषकर लड़कियों को दूसरे नगरों में जाना पड़ रहा है और 20-25 कि0 मी0 जाना पड़ेगा। चार पाँच सौ की संख्या में लड़कियों को दूसरी जगह जाना संभव नहीं हो पायेगा, रहने की उनकी कहाँ व्यवस्था होगी ? इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था हो जाय लड़के और लड़कियों को जो सेंटर बदलना चाहते हैं उनको एक नगर से दूसरे नगर में न जाना पड़े।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय विधायक श्री राजेन्द्र कुमार जी ने प्रश्न उपस्थित किया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और सामयिक है। वास्तविकता यही है कि छात्रों को 30, 35 कि0 मी0 जाने में कष्ट होगा, रहन सहन की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि 8 कि0 मी0 अर्थात् 5 मील तक छोड़ बाकी जो भी छात्रायें अपने सेंटर से दूर भेजी गयी हैं वे सब वापस आ जायेंगी और उनकी परीक्षायें पूर्ववत जारी रहेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा वह बहुत ही सामयिक है और बच्चों के लिए आनन्द की बात है मैं हृदय से स्वागत करता हूं. यह जो 5 कि0 मी0 की बात कही है इसमें एक समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर से खैराबाद जाना पड़ेगा जो कि दूसरा कस्बा है। बड़े शहर लखनऊ में तो यह बात ठीक है एक ही शहर होगा। लेकिन हमारे यहां वह दूसरा कस्बा लग जाता है तो वहां के लिए विशेष आदेश जारी कर दें कि उसी शहर में रहेंगे दूसरे नगर में नहीं जायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

इसी से संबद्ध एक मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें पहले उनका स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री कैलासनाथ सिंह—

यदि माननीय सदस्य लिख कर दें तो विशेष परिस्थिति में विचार करके कार्यान्वित करा दिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

जैसा अभी 5 कि0 मी0 की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। कहीं-कहीं पर 5 कि0 मी0 में कोई कस्बा पड़ता ही नहीं। तो वहां के लिए कम से कम ऐसा कर दें कि छात्रायें जहां पर पढ़ती हैं वहीं पर उनकी परीक्षा की व्यवस्था कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें।

अब हम उठते हैं 19 मार्च को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे सोमवार 19 मार्च, 1979 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
12 मार्च, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 197 पर)

विकास खन्ड त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) में निर्माण कार्य हेतु क्रय किये गये ईंटों का भट्ठेवार विवरण:—

क्र0 सं0	नाम भट्ठा जहां से ईंटें क्रय की गयीं	क्रय की गयी कुल ईंटों की संख्या	निर्धारित दर (रुपयों में)	निर्माण कार्य की संख्या
1	जनता ईंट उद्योग, प्रो0 बनवारी लाल शिव बालक शर्मा मंगलपुर, बाराबंकी।	2,17,000	74,76,94, 99, 106 रुपया प्रति हजार	16
2	शंकर ईंट उद्योग, राघवपुर, प्रो0 रामपाल वर्मा, मंगलपुर।	1,04,000	"	10
3	जय भारत ईंट उद्योग, प्रो0 राम नरेश वर्मा, मंगलपुर।	19,000	"	2
4	राम बक्श सिंह, चन्दा, दतौली।	11,000	"	2
5	एम0 ब्रिक फील्ड दहली हुसैनाबाद, प्रो0 सन्तलाल अमर सिंह।	33,000	"	2
6	लक्ष्मी नारायण एन्ड ब्रदर्स, जौरास बाराबंकी।	36,000	"	1
7	पारसनाथ लाल बहादुर, जौरास, बाराबंकी।	14,000	"	1
8	नारायण ब्रिक फील्ड, जौरास, बाराबंकी।	5,000	"	1
	महायोग ..	4,39,000		35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खन्ड त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) में निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई ईटों का विस्तृत ब्यौरा

क्र0-सं0	नाम भट्ठा जहां ईट क्रय की गई	क्रय की गई कुल ईटों की संख्या	निर्धारित दर (रुपये में)	निर्माण कार्य का नाम	नाम गांव जहां निर्माण कार्य किया गया
1	2	3	4	5	6
1	जनता ईट उद्योग,	8,000	76	कूप	ठाकुरपुर
	प्रो0 बनवारी लाल	5,000	102-80	,,	महिमापुर
	शिव बालक वर्मा,	500	94·80	,,	
	मंगलपुर, बाराबंकी।				
		500	100.00	,,	पूरे गुरदयाल
		9,000	102·80	,,	मंजर ककरी
		60,000	74.00	खड़ंजा	जयन्ती ग्राम ककरी
		10,000	76.00	पाठशाला भवन	गौरवा उस्मानपुर
		8,500	94.00	कूप	फिरोजाबाद
		2,500	106.00	,,	हुसैनाबाद
		20,000	106.00	खड़ंजा	बीरमखेड़ा
		30,000	106.00	,,	अलादादपुर
		12,000	94.00	पुलिया	मंगलपुरवा ककरी
		15,000	106.00	खड़ंजा	अखैयापुर
		12,000	106.00	,,	बिडौरा
		3,000	94.00	कूप	असकापुर
		3,000	106.00	,,	सौनिकपुर
		9,000	106.00	,,	महगूपुरवा
		9,000	106.00	,,	घौरहरा
		2,17,000		16	16
2	शंकर ईंट उद्योग,	8,500	94.00	कूप	पैकौली
	राघवपुर, प्रो0	7,500	,,	,,	साइबल्लाखेड़ा
	रामपाल वर्मा,	7,000	,,	,,	इलियासपुर
	मंगलपुर।	7,000	,,	,,	शिवनाम
		20,000	,,	खड़ंजा	फतेहपुर जमरवा
		12,000	106.0	,,	दुर्गागंज
		15,000	,,	,,	परीता
		12,000	,,	,,	मुस्मा
		8,000	94.00	कूप	रेवेराबीर
		7,000	94.00	,,	कदही
		1,04,000		10	10

1	2	3	4	5	6
3	जय भारत ईंट उद्योग, प्रो० राम नरेश वर्मा, मंगलपुर।	9,000	95.00	कूप	फुरेगौतममान भंजरे रौनी
		10,000	99.00	पुलिया	देवीपुर
		19,000		2	2
4	राज बक्श सिंह, चन्दा दतौली।	6,000	94.00	कूप	गनेशपुर
		5,000	94.00	,,	लाही
		11,000		2	2
5	एम० ब्रिक फील्ड, दहली हुसैनाबाद, प्रो० संतलाल अमर सिंह।	15,000	140.00 (मय ढुलाई)	पुलिया	कबूलपुर
		18,000	128.00 (मय ढुलाई)	खड़ंजा	इलियासपुर
		33,000		2	2
6	लक्ष्मी नारायण एंड ब्रदर्स, जौरास, बाराबंकी।	20,000	94.00	खड़ंजा	मकनपुर
		16,000	128.00 (मय ढुलाई)	,,	
		36,000		1	1
7	पारसनाथ लाल बहादुर, जौरास, बाराबंकी।	6,000	128.00 (मय ढुलाई)		
		8,000	135.00 (मय ढुलाई)	कूप	लखौरा
		14,000		1	1
8	नारायण ब्रिक फील्ड, जौरास, बाराबंकी।	5,000	148.00 (मय ढुलाई)	कूप	राम नगर
		5,000		1	1

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मत्थी 'ख'

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीठे .....पृष्ठ 199 पर।)

20 सहकारी निरीक्षकों के नाम जिनको बैंकिंग में विशेष ट्रेनिंग हेतु भेजा गया :—

(1) सर्वश्री ज्योति भूषण श्रीवास्तव,
(2) एम0 एल0 तेजवानी,
(3) एन0 एन0 सक्सेना,
(4) हरेन्द्र सिंह विष्ट,
(5) देवेन्द्र प्रसाद गुरानी,
(6) विभूति नारायन लाल,
(7) दुर्वेश्वर नाथ त्रिपाठी,
(8) सुशील कुमार शर्मा,
(9) अतर सिंह,
(10) लालता प्रसाद शर्मा,
(11) मो0 दीन अन्सारी,
(12) एस0 एस0 द्विवेदी,
(13) वी0 के0 मिश्रा,
(14) भरत सिंह,
(15) गिरिराज सिंह,
(16) एच0 के0 मोविल,
(17) यावर मिर्जा,
(18) डी0 पी0 सिंह,
(19) जी0 पी0 पन्त,
(20) एन0 सी0 अनवारिया ।

7 सहकारी निरीक्षकों के नाम जिनको सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया :—

(1) हरेन्द्र सिंह विष्ट,
(2) विभूति नारायण लाल,
(3) दुर्वेश्वरनाथ त्रिपाठी,
(4) सुशील कुमार शर्मा,
(5) अतर सिंह,
(6) गिरिराज सिंह,
(7) जी0 पी0 पन्त ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(दखिए तारांकित प्रश्न संख्या [illegible] का उत्तर पीछे पृष्ठ 204 पर)

एक बीज निगम का पंजीकरण पहले तराई विकास निगम के नाम से दिनांक 27-2-1969 को हुआ था। राज्य सरकार ने तराई विकास निगम को पुनर्गठित करके प्रदेश में एक बीज निगम स्थापित किये जाने का निर्णय लिया। तदनुसार तराई विकास निगम का नाम बदल कर दिनांक 1-7-1978 से उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम कर दिया गया, इसमें 97,78,000 रु0 की पूंजी लगी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने फिलहाल 50 लाख रुपये की धनराशि उक्त निगम के अंशकों के क्रय हेतु निगम को दी है। कृषक हिस्सेदारों की संख्या 1230 है। अब तक विभिन्न वर्षों में निगम द्वारा किये गये बीज व्यापार का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यवसाय (रुपयों में)
1969-70	25,85,512
1970-71	1,60,08,702
1971-72	2,52,,22,000
1972-73	3,61,76,000
1973-74	4,00,03,000
1974-75	6,84,45,000
1975-76	6,78,56,000
1976-77	6,49,10,786
1977-78	5,30,00,000

निगम में कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या क्रमशः 317 तथा 12 है। इसके अलावा लगभग 200 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक आवश्यकतानुसार कार्य करते रहते हैं।

प्रमाणित बीज किस प्रकार उत्पादित किया जाता है और उसके उत्पादन में कितना अधिक खर्चा होता है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।—

(रुपयों में प्रति कुन्तल)

क्रम-संख्या	प्रजाति का नाम	1975 फुटकर मूल्य	1975 कृषकों को दिया गया मूल्य	1976 फुटकर मूल्य	1976 कृषकों को दिया गया मूल्य	1977 फुटकर मूल्य	1977 कृषकों को दिया गया मूल्य
1	गेहूं ..	265	200	210	157	230	147
2	धान मोटा/	180	120	180	106	190	**
	महीन	200	133	200	125	210	**
3	अरहर	400	304	400	305	600	447
4	मक्का ..	425	272	400	252	400	273
5	सोयाबीन ..	425	220	500	330	480	**

**अभी हिसाब बन रहा है।

विक्रय मूल्य में वृद्धि का कारण यह है कि प्रमाणित बीजों पर प्रमाणीकरण शुल्क देय है। यातायात का व्यय, विक्रेताओं को कमीशन, भण्डारण व्यवस्था, प्रचार खर्चा, थैलों में भराई और बीज [illegible] फंदी इत्यादि से बचाने के लिये कीटनाशक औषधियों पर भी व्यय होता है।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 202 पर)

सीतापुर जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर वर्ष 1977–78 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, व्यय तथा आय की सूचना।

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	व्यय (रु0 में)	आय (रु0 में)
1977–78	45	7,25,629	9,40,875

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 227 पर)

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1977–78 में 31–3–78 को निजी नलकूपों की संख्या	वर्ष 1978–79 में 31–3–79 को निजी नलकूपों की संख्या
1	फतेहपुर सीकरी	1,496	1,487
2	जगनेर	168	176
3	टूण्डला	1,788	1,908
4	कोटला	1,645	1,746
5	फिरोजाबाद	1,354	1,413
6	रामसाबाद	2,453	2,653
7	फतेहाबाद	2,022	2,359
8	जैतपुर कलां	534	576
9	बाह	562	631
10	पिनाहट	371	444
11	खतौली	1,374	1,502
12	एत्मादपुर	1,612	1,727
13	सैमा	1,420	1,544
14	खरोगर	1,229	1,329
15	बरौली बहोर	2,574	2,718
16	बिचपुरी	1,514	1,556
17	किरावली	2,134	2,316
18	अकोला	1,812	1,910
	योग	26,152	27,975

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 230 पर)

उ0 प्र0 के जिला सहकारी बैंकों में लिपिक तथा उससे ऊंचे पदों पर जनवरी, 1978 से की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में विवरण

नाम जिला सहकारी बैंक	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
1—नैनीताल (हल्द्वानी) ..	8	—	—
2—अल्मोड़ा ..	—	—	—
3—पिथौरागढ़ ..	2	—	—
4—देहरादून ..	1	1	—
5—टिहरी ..	—	—	—
6—चमोली ..	1	—	1
7—उत्तरकाशी ..	2	1	—
8—पौड़ी (कोटद्वार) ..	45	2	—
9—मुजफ्फरनगर ..	2	—	—
10—मेरठ ..	22	—	—
11—बिजनौर ..	13	—	—
12—सहारनपुर ..	12	—	—
13—बुलन्दशहर ..	5	1	—
14—रुड़की ..	8	2	—
15—झांसी ..	13	8	1
16—उरई ..	7	—	2
17—बांदा ..	9	—	3
18—हमीरपुर ..	9	3	3
19—गोरखपुर ..	14	2	8
20—देवरिया ..	1	—	—
21—आजमगढ़ ..	13	—	5
22—बस्ती ..	19	5	2
23—बरेली ..	9	—	1
24—बदायूं ..	14	1	1
25—मुरादाबाद ..	10	—	1
26—पीलीभीत ..	11	2	—
27—रामपुर ..	3	1	—
28—शाहजहांपुर ..	21	2	8
29—प्रतापगढ़ ..	22	3	—
30—सुल्तानपुर ..	—	—	—
31—फैजाबाद ..	17	2	6
32—गोण्डा ..	2	—	—
33—बहराइच ..	11	1	8
34—बाराबंकी ..	9	—	—
35 हरदोई ..	6	2	1
36—फर्रुखाबाद ..	12	—	2

नाम जिला सहकारी बैंक		कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
37—उन्नाव	..	5	—	3
38—लखनऊ	..	32	7	4
39—रायबरेली	..	11	1	—
40—सीतापुर	..	8	—	—
41—एटा	..	2	—	—
42 मैनपुरी	..	8	2	—
43—अलीगढ़	..	1	—	—
44—मथुरा	..	—	—	—
45—आगरा	..	22	1	7
46—इलाहाबाद	..	6	1	—
47—फतेहपुर	..	10	1	3
48—फर्रुखाबाद	..	5	2	3
49—कानपुर	..	16	2	3
50—इटावा	..	6	2	1
51—वाराणसी	..	3	—	—
52—गाजीपुर	..	14	1	7
53—बलिया	..	8	—	3
54—गोरखपुर	..	9	—	3
55—जौनपुर	..	8	1	
योग	..	527	60	75

यी०एस०यू०पी०—एच०—1 वि० सभा (1)—1979—835 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा